खण्ड-231, अंक-7
गुरूवार, 10 ज्येष्ठ, शक संवत् 1884
(31 मई, 1962 ई0)

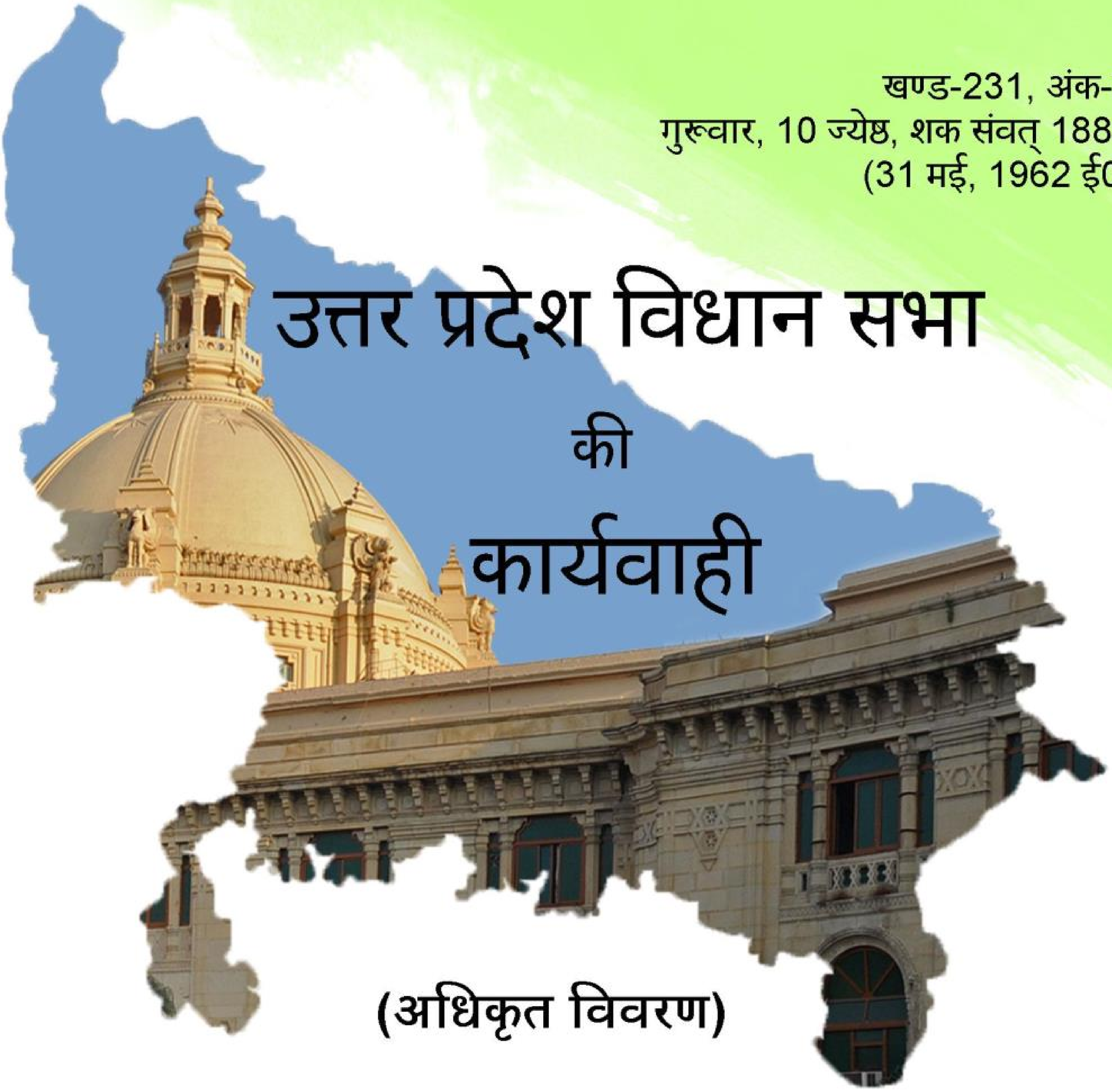

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 231 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६०३–६०७
प्रश्नोत्तर	६०७–६३८
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	६३८
सदन में समाचार-पत्र का वितरण	६३८
विधायक निवास में पानी व बिजली की कठिनाई	६३८–६३९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव	६३९
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	६४०–६४१
ग्राम क्षेत्रों पर कर बढ़ाने की अफवाह के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	६४१–६४३
२९ मई, १९६२ को नियम ५२ के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में नौतनवा उपनगर में बम विस्फोट के विषय पर दिये गये वक्तव्य पर एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण	६४४
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्यों की उपलब्धियों की नियमावली १९६२ में प्राप्त संशोधनों के सम्बन्ध में सूचना	६४४–६४५
सदस्यों द्वारा जानकारी	६४५–६४६
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—राज्य विधान मण्डल (स्वीकृत)	६४६–६४७
अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	६४७–६९४
नत्थियां	६९५–७०३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३१ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६७

अखंडप्रतापसिंह, श्री
अच्छैवरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुलहसीब खां, श्री
अमजदअली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, सिन्हा श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंचईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द्र, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री

पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातोराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोतमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेम सुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
विपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसेन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री

रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रियासत हुसेन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसेन रिजवी, श्री
शांतिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी

श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह युसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखपाल, श्री (इटावा)
सुखपाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—मंत्री श्री हरगोविंद सिंह, मंत्री श्री अलगूराय शास्त्री, उपमंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३१ मई, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में उपमंत्री, श्री धर्मसिंह के यहां चोरी

**१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १२ मई, १९६२ को दो बजे रात्रि के करीब ३, साउथ एवेन्यू, लखनऊ में किसी उपमंत्री के यहां चोरी हुई ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—जी हां । एक चोरी हुई ।

**२—श्री गंगाप्रसाद—क्या यह सही है कि एस० ओ०, इंचार्ज कोतवाली, कैसरबाग, लखनऊ चोरी के मामल में जांच करने के लिये मौके पर करीब-करीब ११ बजे पहुंचे जब कि थाने में चोरी होने के बाद ही चोरी की सूचना टेलीफोन द्वारा बता दी गई थी ?

श्री नवलकिशोर—टेलीफोन द्वारा कोई सूचना थाने में नहीं प्राप्त हुई । एक लिखित सूचना ९.१५ पर प्राप्त हुई और इंचार्ज कोतवाली तथा डिप्टी एस० पी० (क्राइम) ९.४५ पर घटनास्थल पर पहुंच गये ।

**३—श्री गंगाप्रसाद—चोरी का पता लगाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नवलकिशोर—चोरों की तलाश हो रही है। कुत्ता स्क्वाड भी मौके पर बुलाया गया था। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशियां और उनसे पूछताछ हो रही है।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि किस मंत्री के यहां चोरी हुई है और वह किस विभाग के मंत्री हैं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, यह चोरी श्री धर्मसिंह जी के यहां हुई थी जो मेडिकल विभाग के मंत्री हैं ?

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि चोरी में कितना नगद, कितना कपड़ा तथा बर्तन गये हैं और इसका ब्योरा क्या है ?

श्री अध्यक्ष—क्या मतलब है सब पूछने का ?

श्री गंगाप्रसाद—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने रुपये की चोरी हुई है ? उसका ब्योरा क्या है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इस घटना में २७६ रुपये की हानि हुई है जिसमें १२६ रुपये नगद और एक हाथ की जनानी घड़ी है।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि चोरी नकब काटकर हुई है या ताला तोड़कर हुई है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मंत्री जी ने बताया कि कोई खबर टेलीफून से प्राप्त नहीं हुई तो क्या पुलिस आफिस में यदि टेलीफून किया जाता है तो उसका रिकार्ड रहता है जिससे मालूम हुआ कि टेलीफून नहीं हुआ ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—थाने में अवश्य एक आदमी रहता है जो टेलीफून रिसीव करता है और वह इत्तिला देता है कि अमुक जगह जाना है या अमुक जगह वारदात हुई।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिपोर्ट लिखी है वह नामजद थी ? यदि हां, तो वह किन के विरुद्ध थी ?

श्री नवलकिशोर—नामजद रिपोर्ट नहीं थी और किसी के ऊपर संदेह भी नहीं किया गया था।

नैनीताल जाने के लिए सरकार से आग्रह

****४—श्री झारखंडे राय**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जिला कांग्रेस कमटी तथा अन्तरिम जिला परिषद्, नैनीताल के अध्यक्ष, श्री श्यामलाल वर्मा, तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, नैनीताल के संयुक्त मंत्री, श्री प्रताप सिंह, से इस प्रकार के आग्रह प्राप्त हुये हैं कि सरकार ग्रीष्म काल में नैनीताल नहीं जावेगी, इस निर्णय पर पुनः विचार किया जाय क्योंकि इसका कुप्रभाव नैनीताल की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति पर पड़ेगा ?

नियोजन उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—श्री श्यामलाल वर्मा, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, नैनीताल के हस्ताक्षर से कुमायूं-गढ़वाल एवं उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्त्ता सम्मेलन, नैनीताल द्वारा पारित एक प्रस्ताव की प्रति सरकार को प्राप्त हुई थी।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नैनीताल के संयुक्त मंत्री श्री प्रतापसिंह से इस प्रकार का कोई लिखित आग्रह सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु वे एक शिष्ट-मंडल के साथ इस सम्बन्ध में अवश्य मिले थे।

****५—श्री झारखंडे राय**—यदि हां, तो सरकार इस संयुक्त आग्रह के बारे में क्या निर्णय करने जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिल रिसेस की सुविधा न दिये जाने का निर्णय लेते समय सरकार ने श्री श्यामलाल वर्मा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को भी ध्यान में रख लिया था ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि नैनीताल रिसेस के बारे में पहाड़ के जितने विधायक हैं या गैर विधायक लोग हैं, बिना किसी पार्टी विचार के चाहे कोई कांग्रेसी हो, कम्युनिस्ट हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का हो, या जनसंघ का हो, बिना किसी पार्टी मतभेद के, वहां की जनता के सब प्रतिनिधि, इस राय के हैं कि सरकार ने नैनीताल जाना जो बन्द किये हुये है यह ठीक नहीं है ? इस सर्वसम्मत राय का आधार क्या है, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आधार तो वही है, जिसके विषय में माननीय सदस्य समय और बेसमय अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार ने यह निर्णय किया सरकार नैनीताल नहीं जायगी और पहाड़ के लोगों की तरफ से यह प्रश्न उठाया गया कि आर्थिक दृष्टिकोण से उनकी हानि होगी, तो माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार दूसरे तरीकों से उसको पूरा करने की कोशिश करेगी, मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिये सरकार की तरफ से क्या प्रयास किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार जब नैनीताल को एक प्रदेश का प्रमुख टूरिस्ट सेंटर बना रही है और उसको टूरिस्ट सेंटर बनाने के सिलसिले में बहुत सारे उपाय इस्तेमाल कर रही है, जिन उपायों के द्वारा टूरिस्ट सेंटर बढ़ते हैं, फूलते और फलते हैं ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि पारसाल सरकार को इस दिशा में, नैनीताल को टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप करने में कितनी कामयाबी मिली और सरकार को कितनी अधिक आय हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार की आय तो जो कागज बांटा गया है और जो बचत सरकार की हुई है वह उसमें दी हुई है, जो आपको मिला है । वैसे नैनीताल वालों को जैसी कि मेरी सूचना है कोई घाटा नहीं हुआ क्योंकि जितने व्यक्ति पिछले वर्ष नैनीताल आये वह अधिक थे उन व्यक्तियों से जो १९६०, १९५९ या १९५८ में पहले आते थे ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि श्री श्याम लाल जी वर्मा, अध्यक्ष, का आग्रह प्रस्ताव के रूप में प्राप्त हुआ था, और वहां कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, नैनीताल के मंत्री जो शिष्ट-मंडल के रूप में मिले थे, और उसमें जो आग्रह किया गया था उनमें क्या तर्क थे जिसके आधार पर वे सरकार से चाहते थे कि सरकार अपने इस निर्णय को बदल दे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो वही पुरानी बात कहते थे कि नैनीताल १०० वर्ष से उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकाल में राजधानी रहता है, उसको उस जगह से हटाना नहीं चाहिये यानी उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकाल की राजधानी वह बन कर रहे । उनका यह भी कथन था कि यदि सरकार नहीं आयेगी तो वहां के निवासियों को आर्थिक कठिनाई होगी, तकलीफ होगी, उनकी आमदनी घटेगी, परन्तु आंकड़ों से ऐसी बात अब तक विदित नहीं हुई है । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि यह सही है कि जो उस क्षेत्र से विधायक-गण आये हुये हैं, वे अवश्य चाहते हैं कि जैसे पहले नैनीताल सरकार जाती थी अब भी जाय लेकिन मुझे आम आदमी ने जो बात बतायी उसमें उसने कोई हमारे निर्णय के विषय में शिकायत नहीं की । वह ऐसा अनुभव करते हैं कि कदाचित् हमारी सरकार के न जाने से सरकार के रूप में, उनकी आमदनी बढ़ सकती है क्योंकि जो लोग सरकार के साथ जाते थे वे कुछ वहां के लोगों की आमदनी में वृद्धि नहीं करते थे ।

श्री उग्रसेन—इस बात के निर्णय के बाद कि सरकार इस वर्ष नैनीताल नहीं जायगी माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने खर्चे के बचत की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब इसके आंकड़े तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूं। बहरहाल जो सरकार के मकान थे जो मंत्री इत्यादि को दिये जाते थे, वे अब किराये पर उठ गये हैं, उनसे आमदनी होगी और जाने-आने में जो खर्च होता था वह बचेगा।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—जब सरकार का यह ध्येय है कि नैनीताल विशेष रूप से टूरिस्ट सेंटर बनाया जाय तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि नैनीताल का टूरिस्ट आफिसर बिलकुल स्वतंत्र रहे और टूरिस्ट के लिये नैनीताल परिवहन के अन्तर्गत न रखा जाय ताकि टूरिस्ट आफिसर विशेष रूप से नैनीताल को टूरिस्ट सेन्टर बनाने की कोशिश करे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—टूरिज्म को परिवहन के अन्तर्गत तो इसी लिये रखा गया है कि टूरिज्म को उसके अन्तर्गत रखने से अधिक सहायता मिलती है। जब से हमने यह निर्णय लिया है कई कार्य विभाग की ओर से इस प्रकार के हुये हैं जिनसे टूरिज्म की दिशा में चलने की तरफ ध्यान सरकारी कर्मचारियों का अधिक बढ़ा है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि पारसाल सरकार के इस निर्णय से सरकार को कितनी बचत हुई है ? इसकी कुछ जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी को है अथवा कराई गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो माननीय सदस्य की मेज पर भी रख दिये गये हैं, वह इस प्रकार हैं:— सन् १९५६ में खर्च हुआ था २ लाख ६० हजार, सन् ५७ में १ लाख ९० हजार, ५८ में १ लाख १० हजार ९००, ५९ में एक लाख २१ हजार ८००, ६० में १ लाख ९१ हजार ५०० और ६१ में ३२ हजार।

बिजली कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं से चार्ज करने का अधिकार

****६—श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय विद्युत् (संशोधन) अधिनियम, १९५९ के द्वारा न्यूनतम चार्ज का Clause रद्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो बिजली कंपनियां उस संशोधन अधिनियम का पालन नहीं करतीं और उपभोक्ताओं से चार्ज कर रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० में से न्यूनतम चार्ज का क्लाज इंडियन एलेक्ट्रिसिटी (एमेंडमेंट) ऐक्ट, १९५९ द्वारा निकाल दिया गया है परन्तु एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनियां उपभोक्ताओं से न्यूनतम चार्ज लेने के लिये अधिकृत हैं जब तक कि उनका खालिस लाभ (Clear profit) उचित आय की रकम (Reasonable Return) से अधिक न हो।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सरकार ने एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनियों की बैलेंस शीट जांचने का आधार क्या रखा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हमारे यहां इंसपेक्टोरेट में कुछ आडिटर्स हैं, वह जाकर उसकी जांच करते हैं और देखते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि उन्हीं की कैबिनेट के एक उपमंत्री माननीय बहुगुणा जी ने जब वह लेबर लीडर थे तो उन्होंने लेबर ट्रिबियूनल में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि यह एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी वाले जो रिटर्न देते हैं यह बिलकुल गलत देते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इसकी सूचना चाहिये। मेरे पास इस प्रश्न के सिलसिले में इसकी सूचना इस वक्त नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)------क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर पुनर्विचार करेंगे कि जो हमने अभी एक बिजली कम्पनी का स्टेटमेंट सरकार को भेजा है और उसका हवाला मंत्री जी को दिया है कि जितनी प्राइवेट बिजली कम्पनियां हैं वह अपना स्टेटमेंट गलत भेजती हैं, तो उसको देखते हुये क्या सरकार कोई जांच कमेटी विभाग की तरफ से इसके लिये नियुक्त करेगी जिससे कि ठीक से इस मामले पर विचार हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिन अधिकारियों की चर्चा अभी उपमंत्री जी ने की है उन्हीं अधिकारियों के पास वे कागजात भेज दिये जायेंगे जिन्हें माननीय सदस्य ने हमारी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है और उनके द्वारा जांच करा ली जायगी। यदि उन तथ्यों में कुछ वास्तविकता होगी तो सरकार अवश्य उन तथ्यों के ऊपर गौर करेगी।

राज्य कर्मचारी संघटन समिति बनाने का सुझाव

७--श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री की लोक सभा में घोषणा कि "गृह मंत्रालय केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठनों से विचार-विनिमय के लिये सलाहकार कमेटी नियुक्त करेगी" को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार राज कर्मचारियों के साथ विचार-विनिमय के लिये राज्य स्तर पर सलाहकार कमेटी निर्माण करने पर विचार करेगी।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री की लोक सभा में घोषणा का कोई ज्ञान नहीं है। न ही ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---पहले तो मुझे आपसे यह प्रार्थना करनी है कि मैंने जो सवाल किया उसमें मैंने यह पूछा था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की इम्पलाईज यूनियन की कन्सल्टेटिव कमेटी बनाने के लिये गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में अनाउन्समेंट किया था ? अब हमारी सरकार जवाब देती है कि हमको मालूम नहीं। हमारे प्रश्न के मुताबिक गृह मंत्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी से पूछते कि क्या वाकई गृह मंत्री जी ने कोई इस विषय में पालिसी स्टेटमेंट दिया है या नहीं।

श्री अध्यक्ष---आपका प्रश्न यह है कि "क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय गृह मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री की लोक सभा में घोषणा कि 'गृह मंत्रालय केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठनों से विचार-विनिमय के लिये सलाहकार कमेटी नियुक्त करेगी' को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार राज कर्मचारियों के साथ विचार-विनिमय के लिये राज्य स्तर पर सलाहकार कमेटी निर्माण करने पर विचार करेगी।" तो उनका कहना यह है कि हमें इसका ज्ञान नहीं है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आपने वहां के गृह मंत्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी से यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की ? और अगर नहीं की, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार ने अभी तक गृह मंत्री जी से कोई जानकारी नहीं प्राप्त की। अब माननीय सदस्य का आग्रह है कि कोई ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो सरकार अवश्य उस बयान के सिलसिले में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगी।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पालिसी स्टेटमेंट दिया है उसको यह सरकार मानेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सरकार तो अपनी परिस्थिति और स्थिति और अपने यहां की सब बातों को ध्यान में रखकर यदि केंद्रीय सरकार की ओर से कोई सुझाव इस प्रकार के विषय के सम्बन्ध में आता है तो उन सुझावों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक दृष्टि रखती है और उनको अमल में लाने की चेष्टा करती है ।

श्री चन्द्रजीत—क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या वह इस सुझाव पर विचार करेंगे कि हमारे राज्य में कर्मचारियों का संगठन या और उनके प्रतिनिधित्व के सिलसिले में कोई समिति बना सकेंगे ताकि आये दिन जो झंझट हुआ करते हैं उनको हल किया जा सके ? प्रांतीय सरकार इस प्रकार का कोई विचार कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हमारे यहां पहले से ही स्टाफ कौंसिल बनी हुई हैं जिसमें आफिसर और स्टाफ दोनों का एसोसियेशन है । उसमें उनके रिप्रेजेन्टेटिव रहते हैं इनकी मीटिंग आपस में हुआ करती हैं और उसमें विभिन्न विषयों पर विचार हुआ करता है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कृपा करके जो यह आश्वासन दिया है कि वह गृह मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात का पता लगायेंगे कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है या नहीं तो क्या उस जवाब के आने के बाद उस जवाब की सूचना हम लोगों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, जब इस प्रकार की सूचना आ जायेगी और उसको सदन में देने के लिये आवश्यक समझा जायगा तो उस विषय में सरकार सूचना देगी ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन से विभाग के कर्मचारी हैं जिनकी स्टाफ कौंसिल का निर्माण कर दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हमारे यहां सेक्रेटरियेट में एक स्टाफ कौंसिल है और विकास के जितने कर्मचारी हैं उनके यहां एक ऐसी कौंसिल है ।

महानगर स्कीम, लखनऊ की आडिट रिपोर्ट

८—श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर स्कीम लखनऊ का कोई audit कराया गया है कि नहीं ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—जी हां, जनवरी, १९५३ से मार्च, १९५६ तक के एकांउन्ट्स का आडिट कराया गया है । उसके बाद के एकाउन्ट्स का आडिट आजकल किया जा रहा है ।

९—श्री किशोरीलाल अग्रवाल—यदि कराया गया है तो क्या सरकार आडिट की रिपोर्ट सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जनवरी, १९५३ से मार्च, १९५६ तक के एकाउन्ट्स के आडिट के रिपोर्ट की एक †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

१०—श्री किशोरीलाल अग्रवाल—महानगर में प्रारम्भ में प्लाटों का allotment किस आधार पर किया गया है ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्रीमती तारा अग्रवाल--महानगर स्कीम में प्लाटों का एलाटमेंट महानगर स्कीम रूल्स १९५३ के नियम १२ के अनुसार किया गया जिसकी एक प्रति संलग्न है। इस नियम के निदेशों के अनुसार एलाटमेंट कमेटी ने यह निश्चय किया था कि जहां तक सम्भव हो सकेगा एलाटमेंट प्राथमिकता के आधार पर किया जायगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९५ पर)

श्री किशोरीलाल अग्रवाल--क्या मंत्राणी जी बतलाने कि कृपा करेंगी कि इस आडिट रिपोर्ट में जो इर्रेगुलैरिटीज, इल्लीगैलिटीज, मिस्टेक्स और मिसएप्रोप्रियेशन इन एकाउन्ट्स में पाये गये हैं उनके सम्बन्ध में अपराधी अधिकारियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी है? अगर नहीं की गयी, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने जा रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल--इस सम्बन्ध में शासन विभागीय सम्बन्धित अधिकारियों से पता लगा रहा है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--क्या मंत्राणी जी बतलाने की कृपा करेंगी कि इस सम्बन्ध में कितने दिनों के अन्दर वे पता लगा कर कार्यवाही करेंगी?

श्री अध्यक्ष--बहुत शीघ्र, वह कह रही हैं।

श्री नरसिंहनारायण--क्या माननीय मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि उस आडिट रिपोर्ट के अनुसार इसमें कितने का गबन पाया गया है?

श्रीमती तारा अग्रवाल--इसकी सूचना इस समय नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में आडिटर के ३५, ३६ एतराज हैं जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है।

श्री नरसिंहनारायण--श्रीमन्, यह व्यवस्था का प्रश्न है। कहा गया कि आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गयी है और उसमें से मैं जानना चाहता हूं कि कितने का गबन है?

श्री अध्यक्ष--वह कह रही हैं कि अभी स्पेसिफिक नहीं किया गया है, जांच हो रही है।

श्री ऊदल--मंत्राणी जी इसकी गंभीरता को देखते हुए कि महानगर स्कीम में काफी गड़बड़ियां हुई हैं और जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिये थी उनको नहीं मिली, मुख्य मंत्री जी से इसकी जांच करायेंगी ताकि वे गड़बड़ियां दूर हो सकें?

श्री अध्यक्ष--जिसका विभाग है वह तो देख ही रहा है।

श्री ऊदल--विभाग कहां देख रहा है। ३६ एतराज हैं।

श्री चन्द्रजीत--क्या मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि जब उस रिपोर्ट में ३५, ३६ एतराज हैं और गबन तक के चार्जेज हैं और रिपोर्ट मार्च, १९५६ में आ गयी थी तो उस पर अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्रीमती तारा अग्रवाल--सम्बन्धित अधिकारियों को जांच-पड़ताल आदि करने में समय लगता है और इसलिये कुछ समय ज्यादा लगा है।

बदायूं जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेट चुनने वाली समिति के सदस्य

****११--श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)--क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में आनरेरी मैजिस्ट्रेट चुनने वाली जो कमेटी है उसके मेम्बरान इस वक्त कौन-कौन हैं?

न्याय मंत्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—

१—डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट,
२—डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन्स जज,
३—चौधरी बदनसिंह, भूतपूर्व एम० पी०,
४—श्री रमेशचन्द्र रस्तोगी,
५—श्री असरार अहमद,
६—श्री श्रीकृष्ण गोयल, भूतपूर्व एम० एल० ए०,
७—श्री केशवराम, एम० एल० ए०,
८—श्री कैलाशकुमारसिंह, भूतपूर्व एम० एल० ए०,
९—श्री राजन्द्रनाथ टंडन, वकील ।

**१२—श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कमेटी में नये चुने हुये एम० एल० ए० नहीं हैं और पुराने ही रखे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और ऐसी कमेटी ने १४ मई, १९६२ को उक्त मजिस्ट्रेटों का चुनाव क्यों किया ?

श्री चन्द्रसिंह—सरकार को इस बात का ख्याल है कि बहुत से जिलों में विधान सभा के सदस्य जो इन कमेटियों के मेम्बर थे वे चुनाव में हार गए हैं अतः जब सरकार नई कमेटियां मुख्तलिफ जिलों में बनायगी तो इस बात का ध्यान रखेगी और इसी तरह ऐसी कमेटियों का भेजा हुआ आनरेरी मेजिस्ट्रेट की नियुक्ति का सुझाव आवेगा तब भी इस बात का ध्यान रखा जायेगा ।

श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि १४ मई को एक आनरेरी मजिस्ट्रट का चुनाव हो गया है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मैंने यह सुना है कि कमेटी न कुछ सिफारिशें की हैं, अभी तक वह मेरे सामने नहीं आई हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—जहां तक मेरी जानकारी है नियम श्रीमन् यह हैं कि उस कमेटी में एम० एल० ए०, एम० एल० सी० तथा एम० पी० भी पदेन सदस्य होंगे । यदि यह सही है, तो क्या सरकार द्वारा इस कमेटी को फिर से क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री चन्द्रसिंह—कमेटी फिर से रिकन्सट्रक्ट की जा रही है । उसके तीन एम० एल० एज० अनसक्सेसफुल हो गये थे, इसलिये वह कमेटी फिर से बनाई जायेगी ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—जैसा कि उत्तर में कहा गया है यह कमेटी किस बात का ख्याल रखेगी जब अपने सुझाव भेजेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—वही बात जो ऊपर कही गयी है कि बाज मेम्बरान ऐसे हैं जो मेम्बर नहीं रह गये हैं ।

चीनी के भाव में बढ़ती

**१३—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की किन-किन चीनी मिलों ने गत दो महीनों में पूर्व निर्धारित चीनी की दर से कितनी ऊंची दरों पर बेची है और उक्त ऊंची दर से चीनी बेचने का कारण क्या है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—केंद्रीय सरकार द्वारा सितम्बर, १९६१ के अंतिम सप्ताह से चीनी के मूल्य (एक्स फैक्ट्री) तथा वितरण पर से नियंत्रण हटा दिये जाने के कारण उसके उपरान्त किस चीनी मिल ने कितने दाम (एक्स फैक्ट्री) पर चीनी बेची उसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

**१४—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार चीनी की बढ़ती हुई दरों को देखते हुये उसे पुराने भाव पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित था लाने का कोई आश्वासन देगी? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—चीनी के भाव (एक्स फैक्ट्री) को नियंत्रित करने का विषय केंद्रीय सरकार से संबंधित है अतएव राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कोई आश्वासन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनार्थसिंह—इस बात को देखते हुये कि सरकार को चीनी की दरों के मुताबिक या मिल मालिकों द्वारा बेची जाने वाली चीनी के आधार पर ही सरकार को अन्य प्रकार के टैक्स मिलते हैं, तो क्या कारण है कि सरकार ने बेचे जाने वाले आंकड़ों को रखने की जरूरत नहीं समझी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो वस्तुयें डिकन्ट्रोल हो जाती हैं और जिनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता उनके दामों के रखने की व्यवस्था सरकार ने अभी तो रख नहीं छोड़ी है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान श्री टामस, डिप्टी मिनिस्टर फार फूड, लोक सभा, के उस उत्तर की ओर गया है जो उन्होंने लोकसभा में दिया है और जिसमें यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के नगरों में चीनी के दाम बढ़े हैं? यदि हां, तो उन्होंने वह बात किस आंकड़ों के अनुसार कही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रोजमर्रा चीनी के या अन्य चीजों के दाम जो बाजार में रहते हैं वे किसी से छिपे तो रहते नहीं हैं। वे अखबारों में छपते रहते हैं। उसी के आधार पर कहा होगा। मार्केट में विभिन्न चीजों के क्या दाम हैं यह अखबार भी छापते हैं और वह केंद्रीय सरकार तक पहुंचते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार, इस बात को देखते हुये कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं जसा कि श्री टामस सहब ने कहा है, उस बढ़ोत्तरी को रोकने के लिये कोई उपाय सोच रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो केंद्रीय सरकार का ही विषय है और वही कंट्रोल और डिकंट्रोल का निर्णय इस विषय में करती है। यदि केंद्रीय सरकार कोई कंट्रोल की व्यवस्था इस संबंध में लगायेगी या उस पर विचार करेगी तब कोई कार्य इस संबंध में किया जा सकता है। प्रदेशीय सरकार को स्वतः कोई भी नियंत्रण शक्कर की बिक्री के विषय में लगाने का अधिकार नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर इत्यादि बड़े-बड़े शहरों में ज्यादा मंहगी चीनी बिक रही है, तो उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी दी जा सके इस ओर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केंद्रीय सरकार ने इस विषय में ऐसी नीति बरत रखी है कि शक्कर को प्राइसेज एक सतह के अन्दर रहें और वह नीति इस प्रकार की है कि जो वह मिलों से शक्कर उठाने के विषय में रिलीजेज करती है वह एक निर्धारित मात्रा में करती है और इस प्रकार से एक इंटेरिम ढंग से चीनी पर नियंत्रण लगाने की चेष्टा करती है। अब यह हुआ है कि ३ नये पैसे और नये पैसे के दरमियान में कभी-कभी इस शक्कर की कीमत में विभिन्न मंडियों में अन्तर रहता है और हो जाता है।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मुख्य मंत्री इस बात को देखते हुये कि चीनी के दाम बढ़ने के कारण कोटे का समय से रिलीज नहीं करना है, केंद्रीय सरकार को यह सुझाव देने पर विचार कर रहे हैं कि चीनी मंहगी इसलिये हो रही है कि कोटा समय से रिलीज नहीं किया जाता और हफ्ते के आखिर में रिलीज किया जा रहा है, इस वजह से स्केयरसिटी बढ़ रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी बात नहीं है। कोटा तो महीने के आखिर में रिलीज किया जाता है, वह तो सब लोगों की सलाह से हुआ वरना वैसे तो कोई कंट्रोल चीनी के ऊपर नहीं है। आज यदि अनियंत्रित ढंग से रिलीज कर दे तो बड़ा भारी संकट इस चीनी के उद्योग पर पड़ सकता है या आ सकता है।

सोहावल पावर हाउस में कोयले का अभाव

****१५—श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले में सोहावल पावर हाउस कोयले के अभाव के कारण बन्द होने जा रहा है यदि हां, तो सरकार पावर हाउस बन्द न हो इसके लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं। प्रदेशीय सरकार के बहुत चेष्टा करने पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि सोहावल पावर हाउस पर कोयले का अभाव आगे न रहेगा।

श्री रक्षपालसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मई के प्रारम्भ में तथा अप्रैल के अन्त में यह पावर हाउस पूर्णतया या अंशतः बन्द रहा ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने कहा कि कोयले के अभाव से बन्द रहा।

श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इससे पहले यानी सब से आखिर में कोयला कब सप्लाई किया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब इस विषय में मेरा ध्यान खींचा गया था उसी समय हमारे सचिव ने मिल से पूछा था, अधिकारियों से पूछा था और बात की जानकारी करायी गयी थी कि पावर हाउस को यह अन्दाजा था कि कोयला आगे के हफ्ते के लिये है वरना शायद पावर हाउस को बन्द करना पड़े और जो पावर मिलों को या कारखानों को दी जाती थी उनके विषय में उन्होंने पहले से ही सूचना उन लोगों को दे दी थी कि सावधान रहें, परन्तु ऐसी नौबत नहीं आयी।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोयले के अभाव में जो पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी उसके न मिलने के कारण नहरों में पानी नहीं गया और ट्यूबवेल बन्द रहे जिससे क्षति हुई है तो सरकार उस दिशा में क्षति को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोटे के पूरा करने का सवाल तो मैं समझता हूं उठता नहीं है। आज की हालत में प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से जो प्रयास कर सकती थी वह उसने प्रयास किया है और हमें इस बात की खुशी है केन्द्र में इस विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि जहां तक पावर हाउसेज को चलाने का संबंध है, जितना कोयला उनको देने की बात है, उस विषय में वे काफी जागरूक हैं और उनकी चेष्टा है कि उचित मात्रा में हर ढंग से कोयला भेजने का प्रयास करें। उन्होंने इस विषय में कुछ आदेश भी दिये हैं कि चाहें कुछ पैसेन्जर ट्रेन्स बन्द करनी पड़ें लेकिन कोयले के लिये उचित मात्रा में वैगन्स रेलवे बोर्ड दे जिससे इन पावर हाउसेज को चलाने के लिये कोयला उचित मात्रा में और समय से पहुंच सके।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—इस बात को देखते हुये कि आये दिन कोयले का संकट आता रहता है, क्या सरकार कोयले का कोई सेन्ट्रल पूल बनाने पर विचार करेगी जहां से कि आवश्यकता पड़ने पर कोयला पहुंचाया जा सके जैसा कि सरकार ने गल्ले के संबंध में पुल बना रखा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस दिक्कत को रफा करने के लिये केन्द्रीय सरकार की सलाह से कुछ जंक्शन बने थे लेकिन वह भी उतनी मात्रा में कोयला प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो मुगलसराय से आगे वैगन्स प्राप्त करने की है। वह ऊपर रेलवे का जितना ट्रैक है और जितने वैगन्स हैं वह उतनी मात्रा में कोयला नहीं ला सकते हैं जितना की प्रदेश में आना चाहिये। साथ ही केन्द्रीय सरकार की जो बहुत सी योजनायें चल रही हैं उनके लिये भी कोयला भेजा जा रहा है, जो बड़े-बड़े स्टील प्लान्ट्स हैं उनके लिये कोयला दिया जा रहा है। तो भारी संकट वैगन्स की कमी का है। अतएव केन्द्रीय सरकार और रेलवे मिनिस्ट्री इस बात की चेष्टा में लगी है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में वैगन्स की कमी को दूर किया जाय और रेलवे ट्रैक के विषय में भी कुछ प्रबन्ध किया जाय ताकि अधिक संख्या में मुगलसराय के आगे वैगन्स भेजे जा सकें। इस प्रदेश में हमारी यह ख्वाहिश है कि सिंगरौली कोल फील्ड्स से जल्दी से जल्दी कोयला, चाहे वह घटिया किस्म का ही क्यों न हो हम पा सकें और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कोयला की आवश्यकता पड़ती है उसको पूरा कर सकें।

रिहन्द से मध्य प्रदेश को बिजली देने के लिए पत्र-व्यवहार

****१६—**श्री झारखंडे राय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार के पास केन्द्रीय सरकार से कोई ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मिल कर आपस में समझौते से तय कर लें कि रिहन्द की बिजली किस प्रदेश में कितनी खर्च हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—केन्द्रीय सरकार से नहीं वरन् सेन्ट्रल जोनल कौंसिल ने यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मिल कर यह तय करने की कोशिश करें कि रिहन्द से मध्य प्रदेश को कितनी बिजली दी जाय और किस दर पर ?

****१७—**श्री झारखंडे राय—यदि हां, तो दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री कब इस विषय हेतु मिलने जा रहे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से पत्र-व्यवहार हो रहा है पर अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का निर्णय कर लिया था कि कितनी बिजली वह मध्य प्रदेश सरकार को देंगे तो फिर यह नौबत क्यों आई, क्या मध्य प्रदेश सरकार को जो बिजली दी जा रही है वह कम है या क्या पोजीशन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह कुछ ज्यादा चाहते थे, इसलिये बातचीत तय नहीं हुई।

श्री चन्द्रजीत—पहले एलाटमेन्ट में, जहां तक मुझे याद है, मध्य प्रदेश को १४,००० किलोवाट देने का निर्णय हुआ था, अब उनकी मांग कितनी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहले बातचीत हुई थी १०,००० किलोवाट के लिये। अब वह जितनी पैदा हो उसका २५ फी सदी देने के लिये कहते हैं।

श्री ऊदल—क्या सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि रिहन्द डैम में जो पया लगा है उसका २५ फीसदी मध्य प्रदेश सरकार से लेने की कोशिश करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिये, मुझे व्यवसाय करना आता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

कानपुर की मसजिदों में पाकिस्तानी एवं साम्प्रदायिक प्रचार की शिकायत

*१—श्री झारखंडे राय—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात की सूचना मिली है कि कानपुर की कुछ बड़ी मस्जिदों में कतिपय पुराने मौलाना शुक्रवार को नमाज के बाद मस्जिदों में पाकिस्तान पक्षीय तथा सांप्रदायिक प्रचार करते हैं ?

श्री नवलकिशोर—कानपुर की बड़ी मस्जिदों में ऐसा प्रचार करने की सूचना सरकार के पास नहीं है ।

*२—श्री झारखंडे राय—यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता ।

महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन की चिकित्सा-व्यवस्था

*३—श्री चन्द्रजीत, श्री झारखंडे राय, श्री ऊदल तथा श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश के महान् विचारक और विद्वान महापंडित राहुल सांस्कृतायन की बीमारी का सरकार को पता है ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राहुल जी हमारे राज्य के निवासी हैं सरकार उनकी चिकित्सा की उचित व्यवस्था कराने पर विचार कर रही है ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—जी हां । कुछ व्यवस्था कर दी है और व्यवस्था का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री चन्द्रजीत—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राहुलजी हमारे ही देश के नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान हैं और इस वक्त बीमारी की जिस नाजुक हालत में वह पड़े हुये हैं, सरकार का ध्यान उनकी पत्नी, श्रीमती कमला सांस्कृत्यायन, के उस पत्र का ओर गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज मुख्य समस्या पये की नहीं है बल्कि इलाज की है कि कहां अच्छे डाक्टरों से इलाज कराया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो व्यक्ति मेरे पास आये थे उनसे मैंने निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े डाक्टर द्वारा हम उनका इलाज करा सकते हैं यदि वह उत्तर प्रदेश के किसी बड़े अस्पताल में आना चाहते हैं और दाखिल होने के लिये तैयार हों ?

श्री चन्द्रजीत—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वह ३ महीने से ऐसी अवस्था में हैं कि उनको होश नहीं है सरकार अपना कोई प्रतिनिधि वहां भेजकर और उनके डाक्टरों से सलाह-मश्विरा करके उनका इलाज कराने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेशीय सरकार ने बंगाल की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को उनकी दशा की ओर ध्यान खींचते हुये यह अभिलाषा प्रगट की थी कि वहां की सरकार उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेगी । प्रदेश की सरकार ने उनके इलाज के संबंध में कुछ उनकी सहायता की और कर रही है । क्या सहायता की, क्या करना चाहती है या करगी, इन बातों को मैं सदन के सामने इसलिये नहीं रखना चाहता हूं कि बहुत सी चीजे यदि लेखक लोगों के विषय में रखी जाती हैं तो उसे वे पसन्द नहीं करते ।

आम चुनाव के दिनों में मंत्रियों के दौरे पर व्यय

*४—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी २० जनवरी, १९६२ से ७ मार्च, १९६२ तक उत्तर प्रदेश शासन के किस-किस मंत्री ने किन-किन स्थानों पर दौरे किये तथा किन-किन मंत्रियों के दौरे पर कितना व्यय अलग-अलग हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—वांछित सूचना का विवरण †तालिका १ और २ में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—इन दौरों में जिनका भत्ता मंत्रियों ने लिया है चुनाव के अलावा कोई और काम किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मंत्रिगण यहां उस समय में आते रहे । दो-एक बार कैबिनेट की मीटिंग्स हुई या किसी सब कमेटी की हुई । उन्हें अटैंड करने के लिये लखनऊ आते हैं। उसका खर्चा उन्होंने चार्ज किया ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जो सूची रखी गई है उससे मैंने देखा कि माननीय वन मंत्री ने शायद २,८०० रुपये का दौरा किया । तो क्या केवल कैबिनेट और सब-कमेटी ही अटैंड करने में उनका इतना दौरा हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वन मंत्री तो चुनाव में थे नहीं । वह वन विभाग से संबंध रखते हैं, इसलिये विचरते भी रहते हैं ।

श्री अवधेशकुमार सिन्हा (जिला सीतापुर)—क्या इस प्रदेश के मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह ने सीतापुर जिले का दौरा इस अवधि में किया है ? यदि हां, तो सरकार के कोष से कितना खर्चा हुआ है ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—सीतापुर का दौरा किया लेकिन उसमें सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हुआ।

श्री अवधेश कुमार सिन्हा—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय हरगोविन्दसिंह जी जब इलैक्शन के दौरान में सीतापुर तशरीफ ले गये थे तो सरकारी मोटर उनके साथ थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान में सरकारी गाड़ी पर गया भी होगा तो उसे पैट्रोल का सारा खर्चा देना पड़ा होगा । मुझे स्वतः इसका ज्ञान नहीं है क्योंकि जो कागज मेरे पास आये हैं उनमें इसकी चर्चा नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रिगण चुनाव के काम के अलावा जब घर जाते रहे हैं तो क्या उस समय का पाकेट खर्चा और सब खर्च लेते रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जिन गाड़ियों का इस्तेमाल मंत्रियों ने चुनाव काल में दौरे के लिये किया है और उनका पैसा मंत्रियों ने स्वयं दिया है तो वह किस रेशिओ पर दिया है ?

---

†छापी नहीं गई है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक मुझे ज्ञान है, मंत्रियों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट से गाड़ियां ली हैं, और ट्रांसपोर्ट की दरों से पैसा चुनाव में खर्च किया है। अधिकांशतः जो मंत्री दौरे पर गये उसका भार, जहां तक मेरी जानकारी है, यू० पी० कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड ने बर्दाश्त किया है।

श्री रामसुन्दर—तालिका २ में जो दौरे की सूचना है उसमें व्यय की तालिका क्यों नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिनका व्यय नहीं दिया है उन्होंने एक पैसा भी यहां से चार्ज नहीं किया है। उनका सारा खर्चा या तो उन्होंने स्वयं किया है या यू० पी० कांग्रेस पार्लियामेन्टरी बोर्ड ने सहन किया है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

बांदा जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

*१—**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा में सन् १९५९-६० तथा १९६१ में कितनी डकैती, कत्ल तथा चोरी और राहजनी हुई और इनकी प्रत्येक थानेवार संख्या क्या है ?

श्री नवलकिशोर—वांछित सूचना संलग्न तालिका 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९६-६९७ पर)

*२—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऊपर लिखी घटनाओं में कितने अभियुक्त बन्दी बनाये गये और उनमें कितनों को सजा हुई और कितने छूट गये और कितनों पर अदालत में मुकदमा चल रहा है ?

श्री नवलकिशोर—वांछित सूचना संलग्न तालिका 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९७-६९७ पर)

श्री मतोलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ६० में ३२ कत्ल हुये जबकि ६२ में ५ महीने में ही ५२ हो गये, इसी प्रकार डकैतियां बढ़ीं, इसका क्या कारण है ?

श्री नवलकिशोर—अब यह हिदायत दे दी गई है कि क्राइम्स को छिपाया न जाय।

श्री नरसिंहनारायण—इस बात को देखते हुये कि क्राइम बढ़ा है क्या सरकार इसके निराकरण के लिये कोई विशेष योजना बनाने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—कुछ पुलिस फोर्स बढ़ा दी है।

[३१ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

रामकोला पंजाबी यूनियन, जिला देवरिया का प्रस्ताव

*१—**श्री रामसुन्दर**—क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पास रामकोला पंजाबी यूनियन, जिला देवरिया के प्रतिनिधि मन्डल का १२ फरवरी, १९६१ का कोई प्रस्ताव तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु आया है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर कौन-सी कार्यवाही अभी तक की गई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---जी हां। प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में समिति की नियमावली के नियम १०८ के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त से जो व्याख्या मांगी गई थी उस व्याख्या को गन्ना आयुक्त ने अपने व्याख्या पत्र संख्या २९६५६ दिनांक १४-३-६१ के द्वारा जिला गन्ना अधिकारी पडरौना के पास भेज दिया था।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६९८ पर)

श्री रामसुन्दर---१४ मार्च १९६१ को जो गन्ना अधिकारी ने पत्र भेजा वह क्या है?

श्री दाऊदयाल खन्ना---पत्र की पूरी कापी तो मेरे पास नहीं है। लेकिन उसमें खास-खास बातें मैं अर्ज किये देता हूं। सहकारी गन्ना समिति रामकोला ने दिनांक १२-२-१९६१ को प्रस्ताव पास किया कि प्रतिनिधियों का चुनाव नियम २८ के अनुसार नहीं हुआ है। इसकी व्यवस्था गन्ना आयुक्त से कराई जाय। जिनका चुनाव टोलों एवं मजरों से हुआ है उनका चुनाव फिर से कराया जाय। यह आदेश दिया गया था कि वह कार्यवाही १ माह के भीतर खत्म हो जानी चाहिय। तदनुसार समिति ने १ माह के भीतर ही उन ३८ गांवों के प्रतिनिधियों के चुनाव जिनमें निर्वाचन गलत ढंग से हुआ था करा दिये।

*२---**श्री रामसुन्दर**---[हटा दिया गया।]

नैनी, इलाहाबाद में कारखाने

*३---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद (नैनी) में कितने कारखाने चल रहे हैं?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---कारखाना अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत नैनी (इलाहाबाद) में २७ कारखाने चल रहे हैं।

*४---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन कारखानों में कितने आदमी काम करते हैं और किस-किस श्रेणी में हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मजदूरों की कुल औसत संख्या ३७१४ है। श्रेणी की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी।

*५---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनी के कारखानों में कार्य करने वालों के रहने के स्थान बनाये गये हैं? यदि हां, तो कितने?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां, कुल १,२६० गृह बनवाये गये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि इन २७ कारखानों के अलावा और कारखाने जो चल रहे हैं वे किस प्रकार से चल रहे हैं? वे रजिस्टर्ड हैं या नहीं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---मान्यवर, ये कारखाने फैक्ट्रीज ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा और कौन चल रहे हैं इसकी सूचना नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---मैंने यह नहीं पूछा था कि फैक्ट्री ऐक्ट के मातहत कितने कारखाने चल रहे हैं, मैंने तो पूछा था कि नैनी में कितने कारखाने चल रहे हैं, इसलिये अब यह पूछ रहा हूं कि इसके अलावा और कितने कारखाने चल रहे हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, श्रम विभाग के पास ऐसे कारखानों की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण—बहुत से ऐसे कारखाने चल रहे हैं जो गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं और इसमें सरकार का बहुत नुक्सान होता है। तो क्या सरकार जांच करा कर उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि वहां गैर कानूनी ढंग से फैक्ट्रियां चल रही है क्योंकि हमारा फैक्ट्री इंसपेक्टर अक्सर मुआयना किया करता है, हां कुछ ऐसे होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन विचाराधीन होगा।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मजदूरों की संख्या ३७१४ है और उनके रहने के लिये १२६० मकान बनाये गये हैं। शेष मजदूरों को रहने के लिये निवास स्थान कब तक बन जाने की संभावना है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जितने मकान अभी तक बने हैं उतने मकानों की संख्या हमने बता दी। उसके अलावा जो मजदूर हैं वे अपने-अपने घरों से आते हैं। अगर और भी मकानों की आवश्यकता होगी तो उस पर विचार किया जायगा ?

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर रहने वाले मजदूरों ने यह मांग की है उन मकानों का किराया ज्यादा है तो क्या सरकार किराये को कम किये जाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह सूचना किसी ने दी नहीं है।

*६—**श्री ऊदल**—[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७-८—**श्री ऊदल**—[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९—**श्री रामसुन्दर**—[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१०—१२—**श्री गयाप्रसाद** (जिला वाराणसी)—[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१३—**श्री गणेशचन्द** (जिला मैनपुरी)—[हटा दिया गया।]

शिवगंज की डकैती

*१४—**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन के ग्राम गंज तथा डिकोली थाना रामपुरा में अप्रैल, १९६२ के पहले सप्ताह में एक ही रात में ९ बजे तथा २ बजे दोनों जगह डाका पड़ा ?

श्री नवलकिशोर—जिला जालौन के ग्राम शिवगंज में दि० ६,७ अप्रैल, १९६२ की रात्रि को लगभग १२ बजे डाका पड़ा किन्तु ग्राम डिकौली में डकैती की कोई घटना नहीं हुई। केवल डाकू उस स्थान से होकर निकले।

*१५—**श्री विजयसिंह**—यदि यह सही है, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि इन डकैतियों में कितनी जान माल की हानि हुई ?

श्री नवलकिशोर—उक्त डकैती में कोई जन हानि नहीं हुई केवल १,२०२ रुपये की सम्पत्ति लूटी गई।

*१६—**श्री विजयसिंह**—क्या यह सही है कि पी० ए० सी० की चौकी गंज से केवल १ मील जगम्मपुर में तैनात है तथा दूसरी ग्राम डिकोली के पास ग्राम विलोड़ में तैनात है ? यदि हां, तो डाकुओं का मुकाबला या पीछा करने के लिये चौकियों के तैनात सिपाहियों ने क्या किया ?

श्री नवलकिशोर—पी० ए० सी० की एक चौकी ग्राम शिवगंज से २ मील दूर ग्राम जगम्मनपुर में तथा दूसरी चौकी ग्राम डिकौली से १ मील दूर ग्राम बिलोड़ में हैं। डकैती की सूचना मिलते ही दोनों चौकियों के सिपाहियों ने डकैतों को पकड़ने का प्रयास किया किन्तु उनके पहुंचने तक डकैत भाग चुके थे।

श्री विजयसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि ग्राम लखेरी में डकैतों ने चमारों के घरों को लूटा और उनको परेशान भी किया ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी घटना की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री विजयसिंह—जो पी० ए० सी० जगम्मनपुर में तैनात है वह ग्राम गंज में डकैती की सूचना पाकर पहले थाना रामपुरा गयी जो वहां से ६ मील की दूरी पर है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मेरी जो सूचना है वह यह है कि यह चौकी २ मील दूर है और जैसे ही इसकी सूचना मिली वहां के सिपाही वहां पहुंचे लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक डकैत भाग चुके थे।

श्री विजय सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां-जहां पी० ए० सी० की चौकी मौजूद हैं, वहां डकैती की सूचना पाने पर क्या पहले वे थाने में जाकर सूचना देते हैं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, ऐसा कोई नियम है, इसकी सूचना मुझे तो नहीं है।

*१७-१८—**श्री काशीनाथ** (जिला बलिया)—[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१९-२१—**श्री चन्द्रजीत**—[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

मेरठ जिले के दैनिक पत्र "नया राष्ट्र" में श्री महाराजसिंह भारती, एम० एल० सी० के विषय में लेख

*२२—**श्री नरसिंहनारायण**—क्या सरकार को सूचना है कि मेरठ जिले के दैनिक पत्र "नया राष्ट्र" ने अपने अंक ४१, दिनांक १८ फरवरी, सन् १९६२ में श्री महाराज सिंह भारती, एम० एल० सी० के बारे में कोई लेख छापा है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—जी हां।

*२३—**श्री नरसिंहनारायण**—क्या सूचना मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त लेख से अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी है ? यदि हां, तो भविष्य में उस पत्र को लेकर कोई अप्रिय घटना न हो इसके रोक-थाम के लिये पत्र के मुद्रक तथा सम्पादक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

*२४-२५—**श्री चन्द्रबली** (जिला देवरिया)—[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

राधा कृष्ण काटन मिल के मजदूरों की मांगों के लिए श्री राजबहादुर वर्मा की भूख हड़ताल

*२६--श्री झारखंडे राय, श्री रामसुन्दर तथा श्री ऊदल--क्या श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि राधाकृष्ण काटन मिल के मजदूरों की मांगों को लेकर टेक्सटाइल मजदूर सभा के अध्यक्ष तथा जिला कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री श्री राजबहादुर वर्मा ने २० अप्रैल से उक्त मिल के फाटक पर अनिश्चित काल के लिये अनशन आरम्भ कर दिया है ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--श्री राजबहादुर वर्मा ने २० अप्रैल, १९६२ से भूख हड़ताल की जो २९ अप्रैल को समाप्त हो गई।

*२७--श्री झारखंडेराय, श्री रामसुन्दर तथा श्री ऊदल--क्या सरकार बतायेगी कि मजदूरों की मांगों को पूरा करवाने के लिये वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--श्री राजबहादुर वर्मा को अपनी मांगें वैधानिक ढंग से संराधन समिति में लाने की तुरन्त राय दी गई। दोनों पक्षों में समझौता हो जाने पर भूख हड़ताल समाप्त हो गई।

रिहन्द बांध क्षेत्र में उद्यान बनाने की योजना

*२८--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द और सातोटीला बांध पर (वृन्दाबन गार्डन मैसूर की तरह) कोई गार्डन बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--केवल रिहन्द बांध क्षेत्र में ऐसी योजना बनाई गई है जिसमें पावर हाउस के पास रिहन्द नदी के दाहिने घाट पर मैसूर के वृन्दाबन गार्डन की तरह फव्वारे, बिजली की रोशनी तथा बगीचे बनाने की योजना है।

आयुर्वेदिक औषधालय, कठौड़ा

*२९--श्री जगरनाथ (जिला बलिया)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला अन्तर्गत ग्राम कठौड़ा में आयुर्वेदिक अस्पताल कब से चल रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त औषधालय २४ अक्तूबर, १९६० से कार्य कर रहा है।

*३०--श्री जगरनाथ--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त अस्पताल में अब तक फर्नीचर तथा आपरेशन के सामान नहीं भेजे गये ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त औषधालय को फर्नीचर का कुछ तथा आपरेशन का पूरा सामान भेज दिया गया है। फर्नीचर का जो सामान बाकी है उसके भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है।

*३१-३२--श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

पुलिस चौकी बहादुरगंज में सब-इन्सपेक्टर नियुक्त करने का आदेश

*३३--श्री रघुवीर--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर का आखिरी हिस्सा कस्बा बहादुरगंज पड़ता है, और जिला आजमगढ़ व बलिया की भी हदें वहां मिलती हैं और इस इलाके में काफी चोरी, डकैती हुआ करती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां पर एक थाना इंचार्ज के रखने पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। पुलिस चौकी बहादुरगंज के क्षेत्र की जनसंख्या व अपराध स्थिति को ध्यान में रखते हुये वहां पर एक सब-इंस्पेक्टर नियुक्त किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

*३४--**कुंवर श्रीपाल**--[हटा दिया गया।]

*३५-३६--**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**--[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३७-३८--**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)--[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३९--**श्री गोपीनाथ** (जिला उन्नाव)--[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४०--**श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली)--[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४१--**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

जिला परिषद् विधेयक का प्रवर्तन

*४२--**श्री भोखालाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् विधेयक को पूर्णतया कब तक लागू किया जायेगा और उसके आधार पर परिषद् व क्षेत्र समितियों के प्रमुखों का चुनाव कब तक किया जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--क्षेत्र समितियों के प्रमुखों के चुनाव की तिथि निश्चित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। चुनाव हो जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम को पूर्णतया लागू किया जायगा। जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव परिषदों का संगठन हो जाने के पश्चात् किया जायगा।

बांदा बिजली-कम्पनी स अपूर्ण सप्लाई

*४३--**श्री बृजमोहन लाल गुप्त** (जिला बांदा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा बिजली सप्लाई कम्पनी को सरकार ने अपने अधिकार में लेने के बाद भी अब तक पूरे तौर से बिजली न देने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बांदा बिजली सप्लाई कम्पनी को राज्य विद्युत् परिषद् के अधिकार में लेने के पश्चात् एक नया विद्युत् गृह बनाना पड़ा तथा तंतु पथों एवं सर्विस कनेक्शनों को मजबूत तथा नये सिरे से मरम्मत करना पड़ा जिसके कारण वहां पूरी तौर पर बिजली मिलने में कुछ देर हुई।

*४४--**श्री कल्पनार्थसिंह**--[८ वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

*४५-४७--**श्री सुक्खनलाल** (जिला मुरादाबाद)--[८ वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये।]

*४८-४९--**श्रीमती शकुन्तलादेवी** (जिला सहारनपुर)--[८वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये।]

बिल्हौर थानान्तर्गत राजनीतिक कार्यकर्ताओं के चालान

*५०--**श्री शिवनाथ सिंह** (जिला कानपुर)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत थाना बिल्हौर में आम चुनाव के समय कितने राजनतिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध दफा १०७ क मुकदमे चलाये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाना बिल्हौर में आम चुनाव के समय किसी राजनैतिक कार्यकर्त्ता के विरुद्ध दफा १०७ का कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। चुनाव के लगभग ३ महीने पूर्व बिल्हौर के ३ राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का उपर्युक्त धारा के अधीन चालान किया गया था।

*५१—**श्री शिवनाथसिंह**—क्या यह सही है कि आम चुनाव के कार्य-काल में सोशलिस्ट प्रत्याशी के विरुद्ध भी दफा १०७ चलाई गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

जगतपुर प्रसार क्षेत्र का नया मुख्यालय गौरा

*५२—**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत जगतपुर प्रसार क्षेत्र के स्थान परिवर्तन के हेतु क्यों दो बार बी० डी० ओ० के मत लिये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मत, ब्लाक डेवलपमेंट आफीसर का नहीं, बल्कि ब्लाक डैवलपमेंट कमेटी का लिया गया। जगतपुर को विकास खण्ड का मुख्यालय बनाए रखने में खण्ड विकास समिति के एक तत्कालीन सदस्य को आपत्ति थी। विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेशानुकूल यह प्रसंग खण्ड विकास समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किन्तु खण्ड विकास समिति ने इस विषय के निर्णय का उत्तरदायित्व अधिकारी वर्ग पर डाल दिया। विकास आयुक्त समिति के इस निर्णय से सहमत न हुए। उन्होंने यही कहा कि इस मामले में खण्ड विकास समिति ही निश्चित निर्णय ले। मामला समिति के सम्मुख दुबारा रखा गया परन्तु समिति ने अपने पिछले निर्णय की पुरावृत्ति-मात्र कर दी। अस्तु, विकास आयुक्त ने फिर इस बात पर जोर दिया कि निर्णय खण्ड विकास समिति को ही करना है। तब, तीसरी बार, खण्ड विकास समिति ने खण्ड का मुख्यालय गौरा नामक स्थान पर रखने का निश्चय किया।

रामपुर मथुरा ब्लाक अस्पताल की इमारत में अव्वल ईंटा न लगाने की शिकायत

*५३—**श्री शिवेन्द्रप्रताप** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि रामपुर मथुरा जिला सीतापुर में जो ब्लाक के अस्पताल की इमारत बन रही है उसमें पीला ईंटा सेकेंन्ड क्लास का लगा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*५४—**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)—[८वें गु वार के लिए स्थगित किया गया।]

*५५—**श्री अब्दुल शमी** (जिला सुल्तानपुर)—[हटा दिया गया।]

न्यूनतम वेतन समिति के प्रतिवेदन की संस्तुतियां

*५६—**कुंवर श्रीपाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्यूनतम वेतन आयोग जो सरकार ने नियुक्त किया था उसका प्रतिवेदन सरकार को कब मिला तथा उसकी मुख्य-मुख्य संस्तुतियां क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उत्तर प्रदेश न्यूनतम वेतन समिति का प्रतिवेदन सरकार को १५ मार्च, १९६० को मिला।

मुख्य संस्तुतियों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६९९–७००पर)

*५७—कुंवर श्रीपाल—क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट अप्रैल, १९६० से पहिले ही सरकार को मिल गई थी ? यदि हां, तो उसे अब तक प्रकाशित क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । न्यूनतम वेतन अधिनियम तथा न्यूनतम वेतन नियमों के अनुसार रिपोर्ट को प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है ।

एलिया ब्लाक

*५८—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एलिया ब्लाक को किसी दूसरी जगह स्थानान्तरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

सिधौली में हड़ताल

*५९—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को पता है कि ८ अप्रैल, सन् १९६२ ई० को सिधौली (सीतापुर) में सड़क के किनारे लगी दूकानों को हटवाये जाने के सिलसिले में हड़ताल हुई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । ८-४-६२ को कुछ दुकानें पहले बन्द रही थीं परन्तु अनधिकृत दुकानों के हटाये जाने का कार्य समाप्त होने के पूर्व उनमें से कुछ खुल गयीं थीं ।

*६०—श्री बैजूराम—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मामले से सम्बन्धित कितने कर्मचारियों को कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन या डिप्टी कमिश्नर, सीतापुर अथवा सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सीतापुर के द्वारा अच्छे कार्य का प्रमाण-पत्र देकर पुरस्कृत किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—किसी को नहीं ।

पंचायत निरीक्षकों को बी० डी० ओ० का कार्य करने के लिए भत्ता न मिलना

*६१—श्री मैनेजर (जिला बलिया)—क्या विकास मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इंचार्ज बी० डी० ओ० का कार्य भार सम्भालने के कारण पंचायत निरीक्षकों को कोई अतिरिक्त भत्ता या बी० डी० ओ० के पद पर पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

ब्लाक प्रमुख का वेतन

*६२—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या विकास मंत्री यह बतायेंगे कि ब्लाक प्रमुख को १५० ० माहवार तनख्वाह देने जा रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसा कोई प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है ।

*६३—श्री चन्द्रबली—[८ वें गुरूवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*६४-६६—श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—[हटा दिये गये]

टेरिटोरियल आर्मी के सम्बन्ध में आदेश

*६७—**श्री चन्द्रजीत, श्री ऊदल, श्री गेंदासिंह, श्री रामायण, श्री रामसुन्दर तथा श्री उग्रसेन**—३ मई, १९६१ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १०-११ के उत्तर के क्रमों में क्या मुख्य मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि सदन में की गई घोषणा के बावजूद प्राविन्शियल यूनिट में ट्रेनिंग में जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग पीरियड के दौरान में असैनिक व सैनिक दोनों वेतन तथा भत्ता दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार की जानकारी में ऐसे कोई मामले नहीं है। फिर भी इस संबंध में जांच करा ली जाएगी।

*६८—**श्री चन्द्रजीत, श्री ऊदल, श्री गेंदासिंह, श्री रामायण, श्री रामसुन्दर तथा श्री उग्रसेन**—यदि हां, तो मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त वेतन व भत्ते सरकार की आज्ञा से दिये गये या भूल से ? यदि भूल से दिये गये तो क्या सरकार उक्त कर्मचारी से एक तरफ का वेतन व भत्ता वापस (refund) करायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि जांच कराने पर यह पाया गया कि प्रान्तीय यूनिट की ट्रेनिंग के दौरान में किसी सरकारी कर्मचारी को असैनिक व सैनिक दोनों वेतन तथा भत्ता दिया गया है तो उस कर्मचारी से एक तरफ का वेतन और भत्ता वापिस कराये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

*६९—**श्री चन्द्रजीत, श्री ऊदल, श्री गेंदासिंह, श्री रामायण, श्री रामसुन्दर तथा श्री उग्रसेन**—यदि नहीं, तो क्या मुख्य मंत्री उन लोगों को भी वह वेतन तथा भत्ता (सैनिक या असैनिक) दिलाने की कृपा करेंगे जिनको ट्रेनिंग पीरियड में केवल एक तरफ का ही वेतन तथा भत्ता मिला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

विकास खंड रजपुरा में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का आदेश

*७०—**श्री जुगलकिशोर** (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं ब्लाक (Block) रजपुरा में अस्पताल खोलने की कोई व्यवस्था हो रही है, यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विकास खण्ड रजपुरा जिला बदायूं में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के लिये निर्णय लिया जा चुका है तथा वहां पर भवन बनने हेतु आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। भवन बन जाने पर प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जावेगा जिसकी सम्भावना अगले वित्तीय वर्ष तक है।

*७१-७३—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**—[८ वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये।]

*७४-७५—**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—[८वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये।]

इटावा जिले में भूमि संरक्षण प्रशिक्षित ग्राम सेवक

*७६—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन ग्राम-सेवकों को अग्रगामी विकास योजना, इटावा के अधीन भूमि संरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया था उनकी नियुक्ति उसी योजना के अन्तर्गत की गई थी, यदि हां, तो क्या अब उनकी पद अवनति करके ग्राम-पंचायत के मंत्री पद पर उन्हें नियुक्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां। लेकिन उनकी पदोन्नति करके पंचायत मंत्री पद पर नियुक्त करने की कोई भी योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवा समिति मथुरा के एलोपैथिक अस्पताल को सहायता देने पर विचार

*७७--**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा)--क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सेवा समिति, मथुरा को आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान देने हेतु कोई पत्र सेवा समिति, मथुरा का संक्षिप्त परिचय सहित प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या और इस हेतु क्या विचार किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। सेवा समिति मथुरा के एलोपैथिक अस्पताल की सेवाओं का एक संक्षिप्त परिचायत्मक विवरण माननीय सदस्य महोदय के पत्र दिनांक १ मई, १९६२ के साथ प्राप्त हुआ जिसमें अन्य सुझावों के अतिरिक्त सेवा समिति मथुरा को ६,००० पये का आवर्त्तक तथा ८,००० रुपये का अनावर्तक अनुदान देने की प्रार्थना की गई है। इस पर विचार किया जा रहा है।

हैदरगढ़ चिकित्सालय के मेडिकल अफसर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*७८--**श्री रामकिशोर** (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल अफसर औषधालय, हैदरगढ़ (बाराबंकी) के विरुद्ध अनुभव हीनता, जनता के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं और समाचार पत्रों, ग्राम-पंचायत, हैदरगढ़ के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर इस अव्यवस्था को मिटाने की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हैदरगढ़ चिकित्सालय के मेडिकल अफसर के विरुद्ध ऐसी शिकायतें १९६० में प्राप्त हुई थीं। जांच होने पर उनमें लगाए गए आरोप निराधार पाए गए।

उक्त मेडिकल अफसर के विरुद्ध ऐसी कुछ और शिकायतें आई हैं। उनकी जांच की जा रही है।

समाचार पत्रों तथा ग्राम पंचायत हैदरगढ़ का इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

*७९--**श्री रामकिशोर**--क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त डाक्टर के दुर्व्यवहार के कारण इस क्षेत्र के हजारों मरीज नौतिकपुर औषधालय ६, ७ मील गोमती पार कर इलाज के लिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जन-कष्ट को दूर करने की समुचित व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रकार का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि डाक्टर के दुर्व्यवहार के कारण शिकायत कर्त्ता को नौतिकपुर चिकित्सालय इलाज के हेतु जाना पड़ा। उसकी जांच की जा रही है।

*८०-८१--**श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़)--[८वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये]।

उत्तराखण्ड में जिला परिषदें न होना

*८२--**श्री गंगाधर** (जिला चमोली)--क्या विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तराखंड के जिलों में जिला परिषदें स्थापित की जा रही हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—उत्तराखंड डिवीजन के चमोली, उत्तरकाशी तथा प्रिथौरागढ़ जिलों में इस समय जिला परिषदें स्थापित नहीं की जा रही हैं ?

मऊ को परगनाधीश का मुख्यालय बनाने में कठिनाई

*८३—**श्रीमती बेनीबाई** (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में मऊ और गरौठा के तहसील के लिये एस० डी० ओ० कोर्ट मऊ में रक्खा जाय इस तरह का कोई आदेश सरकार का हुआ था ? यदि हां, तो कब ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस तरह का कोई आदेश नहीं निकाला गया। इस प्रश्न पर विचार किया गया और यह ज्ञात हुआ कि मऊ में उपयुक्त इमारतें उपलब्ध नहीं हैं। नई इमारतों के बनवाने में अधिक व्यय होगा, क्योंकि अभियोक्ता वर्ग (Prosecuting staff) आदि के कार्यालय की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

*८४—**श्री पूरनलाल** (जिला हरदोई)—[७ जून, १९६२ के लिये प्रश्न ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८५—**श्री नरसिंहनारायण**—[हटा दिया गया।]

जिला उद्योग कार्यालय हमीरपुर का स्थानान्तरण

*८६—**श्री मदनपालसिंह** (जिला हमीरपुर)—क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उद्योग कार्यालय, हमीरपुर महोबा नगर से हट कर हमीरपुर सदर मुकाम पर जा रहा है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

ग्राम तथा लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—जी हां। प्रशासकीय सुविधा के कारण ऐसा किया जा रहा है।

क्षेत्रीय विकास अधिकारियों के चयन में परिगणित जाति का संरक्षण

*८७—**श्री ज्वालाप्रसाद** (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी निकट भविष्य में लोक सेवा आयोग द्वारा क्षेत्रीय विकास अधिकारियों का चयन विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति करके होना है। यदि हां, तो कितने स्थानों के लिये यह चयन होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—जी हां। २४२ स्थानों के लिये यह चयन होना है।

*८८—**श्री ज्वालाप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विभागीय पदोन्नति के स्थानों में परिगणित जाति का संरक्षण है ? यदि हां, तो कितने स्थान सुरक्षित होंगे और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—जी हां। परिगणित जाति के अभ्यर्थियों के लिये ४४ स्थान सुरक्षित हैं।

बांदा जिले में पोलीटेक्निकल स्कूल की आवश्यकता

*८९—**श्री बृजमोहनलाल गुप्त**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में कोई पौलीटेक्निकल स्कूल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो इसकी क्या प्रगति है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*९०-९१—**श्री बृजमोहनलाल गुप्त**—[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर में निर्धारित समय पर दुकानें खोलने की प्रार्थना पर विचार

*९२--श्री सन्तसिंह यूसुफ तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के शापकीपर्स तथा उनकी दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का रिप्रेजेन्टेशन मंत्री जी से दुकानों के खुलने के फिक्स टाइम के बारे में मिला है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले पर क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--(क) जी हां ।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है ।

आर्म पुलिस का भत्ता बन्द होना, तथा प्रासीक्यूशन शाखा को पुलिस से अलग करना

*९३--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में आर्म पुलिस को दो रुपया एलाउन्स दिया जाता था जो अब बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । पुलिस आयोग १९६० की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने यह निर्णय दिया ।

*९४--श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार पुलिस से प्रासीक्यूशन शाखा अलग करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार पुलिस आयोग की इस सिफारिश पर विचार कर रही है कि आसिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर और पब्लिक प्रासीक्यूटर पुलिस कर्मचारी न हों ।

*९५--श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*९६-९७--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*९८--श्री रामसुन्दर, श्री दौलतलाल तथा श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--[६वें सोमवार के लिये प्रश्न २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

खीरी जिले में जूट मिल स्थापित करने की प्रार्थना

*९९--श्री तेजनारायण (जिला खीरी)--क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार जिला खीरी में एक जूट मिल लगाने का है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

*१००--श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा)--[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मड़ियाहूं तहसील के कुछ स्थानों के विद्युतीकरण पर विचार

*१०१--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर के मड़ियाहूं तहसील के अन्तर्गत ब्लाक रामपुर बरसठी, रामनगर के तमाम ग्रामों में जो बाजारों से सम्बन्धित हैं उद्योग को बढ़ाने के लिये बिजली लगाने के लिये सरकार द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा है ? यदि, हां तो कितने दिनों में और कहां-कहां ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के रामपुर नगर का विद्युतीकरण हो गया है तथा नगर को बिजली दिनांक ३१ मार्च, १९६२ को दे दी है। अन्य नगरों में जो बिजली की लाइनों के निकट हैं, विद्युतीकरण के लिये जांच हो रही है और यदि प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टि से सम्भव हुआ तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में इनके भी विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है।

गाजीपुर जिले में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजना

*१०२—**श्री झिलमिट झिल्लू** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन स्थानों पर अस्पताल खोलने की योजना है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला गाजीपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत निम्न स्थानों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की योजना है। प्रत्येक केन्द्र में एक चिकित्सालय भी सम्मिलित रहेगा।

(१) मनिहारी
(२) मरदहा
(३) भदौरा
(४) जखनिया
(५) सादात
(६) भनवर कोल
(७) करेंदा
(८) विरनो

इनके अतिरिक्त ग्राम जमानिया में एक महिला चिकित्सालय तथा ग्राम शेरपुर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के आदेश १९६१-६२ में दिये जा चुके हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिला गाजीपुर में ऐसे कितने और चिकित्सालय खोले जायंगे, इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है।

बरबर कस्बे के विद्युतीकरण पर विचार

*१०३—**श्री मन्नालाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी की मोहम्मदी तहसील के बरबर नामक कस्बे में लगभग १ १/२ वर्ष से बिजली के खम्भे आदि लग गये हैं पर अभी बिजली कस्बे वालों को क्यों नहीं दी जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बरबर कस्बे में बिजली देने के लिये, खम्भे आदि नहीं लगाये गये हैं।

*१०४—**श्री मन्नालाल**—क्या सरकार बतायेगी कि इसी बरबर नामक कस्बे में बने अस्पताल में पिछले लगभग १ १/२ वर्ष से बिजली के सभी कनेक्शन फिट हो गये हैं पर अभी बिजली क्यों नहीं दी गयी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बरबर के मेडिकल आफिसर से प्रार्थना-पत्र आने पर अस्पताल को १८ फरवरी, १९६१ को बिजली दे दी गई थी?

*१०५—**श्री मन्नालाल**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदी तहसील के बरबर नामक कस्बे तक अस्पताल में बिजली देना कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस कस्बे के अस्पताल को बिजली पहले ही दी जा चुकी है: बरबर कस्बे के विद्युतीकरण का प्रश्न विचाराधीन है।

आजमगढ़ जिले में प्रशासन के अन्तर्गत हरिजन कर्मचारी

*१०६—श्री मंगल देव—क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के प्रशासन के विभिन्न विभागों में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें हरिजन कितने प्रतिशत हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आजमगढ़ जिले के प्रशासन के विभिन्न विभागों में (जिला जज के कार्यालय को छोड़ कर) कुल ६,०६१ कर्मचारी हैं तथा उनमें हरिजन ५.६ प्रतिशत हैं।

*१०७—श्री मंगल देव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में कुल कितने चपरासी हैं और उनमें हरिजन कितने प्रतिशत हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आजमगढ़ जिले के सरकारी तथा अर्ध-सरकारी कार्यालयों में कुल ८०८ चपरासी हैं और उनमें हरिजन १०.६ प्रतिशत हैं।

राज्य का पिछड़ा क्षेत्र

*१०८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ के वित्तीय वर्ष से सन् १९६२ के ३१ मार्च, तक प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्र की उन्नति के लिये भारत सरकार से किन-किन योजनाओं के लिये कितना रुपया प्राप्त हुआ है और उसमें से किन-किन योजनाओं पर किस-किस जिले में कितना-कितना रुपया खर्च किया जा चुका है और बाकी रुपया खर्च न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१०९—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कौन-कौन से जिले पिछड़े हुये क्षेत्र में माने जाते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना में निम्नलिखित जिलों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना गया है।

क्षेत्र		जिले
१—उत्तरा खंड	..	उत्तर काशी, चमोली और पिथौरागढ़।
२—पर्वतीय क्षेत्र	..	टेहरी-गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून।
३—पूर्वी क्षेत्र	..	देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, और इलाहाबाद।
४—बुन्देलखंड	..	झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा।

बरेली जिले में सिंचाई कूपों के लिए सहायता

*११०—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में १९६०-६१ व १९६१-६२ में अलग-अलग तहसीलों में कितना-कितना पया कितने व्यक्तियों को सिंचाई के कुएं निर्माणार्थ प्रदान किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७०१ पर)

मदनपुर के श्री रघुनाथसिंह को पुलिस गार्ड न मिलना

*१११—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री जगदीशप्रसाद—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी के ग्राम मदनपुर के निवासी श्री रघुनाथसिंह जी को जिन्होंने रत्लीसिंह आदि डाकुओं को मारा उनको पुलिस संरक्षण कब से मिलता रहा है और यह संरक्षण उनको चुनाव के दिनों में क्यों नहीं दिया गया जिसके लिये उन्होंने अधिकारियों से बार-बार मांग की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री रघुनाथसिंह को विशेष रूप से कोई संरक्षण कभी नहीं दिया गया था। सन् १९५७ में डाकुओं के संगठित गिरोह के उत्पातों की रोक थाम के लिये एक सशस्त्र गार्ड उनके ग्राम मदनपुर में नियुक्त कर दिया गया था और चौकी मदनपुर भी पुनः स्थापित कर दी गई थी। चुनाव के दौरान में श्री रघुनाथसिंह जिस क्षेत्र से विधान सभा के लिये चुनाव लड़ रहे थे उस क्षेत्र में मुख्य-मुख्य स्थानों पर पुलिस पहले से ही नियुक्त कर दी गई थी इसके अतिरिक्त श्री सिंह तथा उनके घर वालों के पास ६ आग्नेयास्त्र थे अतः उनकी प्रार्थना के अनुसार अतिरिक्त गार्ड प्रदान करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

गाजीपुर के टी० बी० क्लीनिक तथा सदर अस्पताल में दवाओं की कमी की शिकायत

*११२—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार को मालूम है कि जिला गाजीपुर के टी० बी० क्लीनिक तथा सदर अस्पताल में मरीजों को सब दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

अधिकतर दवाइयां क्रमशः टी० बी० क्लीनिक तथा सदर अस्पताल से ही दी जाती हैं।

*११३—श्री कमलासिंह यादव—क्या यह सही है कि सदस्य विधान सभा का जो कोटा है वह भी नहीं है और सदस्यों को दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*११४—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर सदर अस्पताल में दक्षिण ओर सटी हुई पोखरी है जिसमें बहुत गन्दगी बहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी विभाग द्वारा उसको उद्यान के रूप में परिणत करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

करीब १० साल पहले नगरपालिका ने उसको पाटने के लिये कहा था, परन्तु कुछ कानूनी कारणों से वह अबतक नहीं पट सका है।

अलीगंज महिला अस्पताल, जिला एटा में डाक्टरनी न होना

*११५—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिला अलीगंज महिला अस्पताल के लिये डाक्टरनी की कब तक व्यवस्था हो जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रदेश में लेडी डाक्टरों की अत्यन्त कमी होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अलीगंज महिला अस्पताल, जिला एटा में लेडी डाक्टर की व्यवस्था कब तक हो सकेगी ।

कृषि निकायों में मजदूरों का न्यूनतम वेतन

*११६---**श्री भीखालाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खेत मजदूरों के संबंध में राज्य में न्यूनतम वेतन अधिनियम किन-किन जिलों में लागू है तथा इन सब जिलों में प्रत्येक में कितने कितने फार्म हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---न्यूनतम वेतन अधिनियम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कृषि निकायों में लागू है ।

प्रत्येक जिले में कितने २ फार्म हैं, इसकी सूचना संकलित की जा रही है ।

*११७---**श्री भीखालाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ से १९६१ तक इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने विवादों की सूचना सरकार को प्राप्त हुई तथा इसमें से कितने विवाद मजदूरों के पक्ष में निर्णित हुये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---विवादों से तात्पर्य यदि न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत निर्धारित वेतन दरों से कम दिये जाने से संबंधित उपालम्भों से है तो सन् १९५७ से १९६१ की अवधि में ऐसा कोई उपालम्भ प्राप्त नहीं हुआ । यदि विवाद से तात्पर्य इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त उपालम्भों से है तो उपरोक्त अवधि में ऐसे कुल २६१८ उपालम्भ प्राप्त हुये, जिनका श्रम निरीक्षकों द्वारा आवश्यक जांच करके निपटारा किया गया । कितने निर्णय मजदूरों के पक्ष में हुये, बताना संभव नहीं है ।

अनट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स

*११८---**श्री अहमद बख्श** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने पिछले कई वर्षों से कम्पाउन्डर्स की ट्रेनिंग बन्द कर दी है ? यदि हां, तो क्यों ? और, अब अस्पतालों में इनकी बजाय किस योग्यता के व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । क्योंकि जिन सेन्टरों में वे ट्रेनिंग पा रहे, थे वह सेन्टर फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया एजूकेशनल रेग्यूलेशन ऐक्ट के अनुसार रिकगनाइज्ड नहीं थे ।

जिन अस्पतालों के लिये ट्रेन्ड कम्पाउन्डर नहीं मिल पाते, वहां अनट्रेन्ड कम्पाउन्डर अस्थायी रूप से रख लिये जाते हैं ।

*११९---**श्री अहमद बख्श**---क्या यह भी सही है ट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स की कमी है और बहुत से अस्पतालों में अनट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स काम कर रहे हैं ? यदि हां तो प्रदेश के अस्पतालों में अनट्रेन्ड काम करने वालों की कितनी तादाद है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोंडा जिले में ग्राम पंचायतों को सिंघाड़ा बोने के लिए अनुदान

*१२०---**श्री शीतलाप्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की किन-किन ग्राम पंचायतों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंघाड़ा बोने के लिये अनुदान दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गोंडा जिले की जिन जिन गांव पंचायतों को द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंघाड़ा बोने के लिये अनुदान दिया गया था उनकी सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७०२–७०३ पर)

*१२१—**श्री शीतलाप्रसाद**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सिंघाड़ा बोने के अनुदान की प्राप्त धनराशि ग्राम पंचायतों के कोष में जमा की गयी है ? यदि हां, तो किन किन तारीखों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ब्लाक परस ुर में स्थित, दुरगोड़वा धनखर, तुलसीपुर, बेलवा नहेर, सेरेया चौबे, गांव पंचायतों को छोड़ कर शेष समस्त गांव पंचायतों के कोष में अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि जमा कर दी गई है। इन पांच गांव पंचायतों के कोष में अब तक प्राप्त धनराशि जमा न करने के संबंध में आवश्यक जांच की जा रही है। गांव पंचायतों के कोष में जमा की गई तारीखों की सूचना प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में वर्णित सूची में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ..७०२–७०३..पर)

*१२२–१२३—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—[७ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १२२–१२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

डाक्टर के बिना चिकित्सालय

*१२४—**श्री सुखदेव प्रसाद** (जिला गोंडा) **श्री बाबू लाल** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन सरकारी चिकित्सालयों में इस समय डाक्टर नहीं हैं तथा कब से व इनमें डाक्टर कब तक भेजे जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

गाजीपुर जिले में रेलवे घाट स्टेशन पर मुसाफिर को पीटने की कथित घटना

*१२५—**श्री झिलमिट झिल्लू**—क्या मुख्य मंत्री को पता है कि जिला गाजीपुर में दिनांक २१ अप्रैल, १९६२ को रेलवे घाट स्टेशन पर जी० आर० पी० पुलिस द्वारा एक मुसाफिर को छड़ी, लात घूंसा द्वारा बुरी तरह पीटा गया ? यदि हां, तो घायल व्यक्ति गाजीपुर शहर अस्पताल में भरती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। जी० आर० पी० द्वारा किसी मुसाफिर को नहीं पीटा गया।

डलमऊ, कांजीहाउस मुंशी की नियुक्ति पर आपत्ति

*१२६—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि उसकी जानकारी में यह बात आई है कि जिला बोर्ड रायबरेली में स्थित डलमऊ कांजी हाउस में पांड कीपर का एक स्थान रिक्त हुआ था और उसमें कई-कई वर्षों से वेटिंग लिस्ट में पड़े हुये आवेदकों को न लेकर एक बिलकुल बाहरी व्यक्ति को लिया गया, उसमें उसी समय जमानत का पया जमा कराया गया और नियुक्ति पत्र दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसके पूर्व सरकार की जानकारी में यह बात नहीं आयी थी। ऐसी छोटी-मोटी नियुक्तियों के संबंध में परिषदें स्वतन्त्र हैं। जिला बोर्ड ऐक्ट की धारा ८२ के के अन्तर्गत, परिषद् का मंत्री यह नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियों के लिये वेटिंग लिस्ट परिषद् ने बनाई थी लेकिन प्रश्नगत रिक्त स्थान में क्योंकि परिषद् के एक छटनी किये कर्मचारी को रखा गया था अतः वेटिंग लिस्ट से कोई उम्मीदवार नहीं रखा गया।

कोंच को बिजली देने का आयोजन

*१२७—श्री विजयसिंह—क्या सरकार को पता है कि जिला जालौन के कोंच शहर में अभी तक बिजली नहीं लग सकी है ? यदि हां, तो सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोंच शहर में बिजली कब तक लग जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । इस नगर का विद्युतीकरण सितम्बर–अक्तूबर, १९६२ तक सम्पूर्ण होने की आशा है ।

*१२८—श्री विजय सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजली कोंच को जालौन से ले जाने में अधिक व्यय होगा या उरई से जाने में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोंच नगर का उरई से विद्युतन करने में अधिक व्यय होगा । परन्तु जालौन से कोंच को लाइन ले जाने की अपेक्षा उरई से जालौन तक लाइन का निर्माण प्रारंभिक तथा अन्य दृष्टि से अधिक हितकर है ।

तालबेहट, बबीना तथा मऊरानीपुर के विद्युतीकरण की योजना

*१२९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका मऊरानीपुर जिला झांसी के नगर में बिजली लगाने के लिये राज्य विद्युत् परिषद् को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । मऊरानीपुर नगर जिला झांसी के विद्युतीकरण की स्वीकृति हो चुकी है और इसके विद्युतन के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है ।

*१३०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बांसी, तालबहेट, बबीना (जिला झांसी) में बिजली के खम्भे गड़ चुके हैं, क्या उक्त ग्रामों को हाल ही में माताटीला बांध के मौजूद पावर हाउस से बिजली दी जाने की योजना है, यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फिलहाल इन नगरों को बिजली माताटीला में लगे उस डीजल विद्युत्गृह से देने की योजना है जो माताटीला हाइडिल योजना को निर्माण काल में बिजली देने के लिये बना है । उक्त नगरों का विद्युतीकरण इसी वित्तीय वर्ष में हो जाने की आशा है ।

बिसवां से महमूदाबाद बिजली ले जाने की कथित योजना

*१३१—श्री शिवेन्द्रप्रताप—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला सीतापुर में बिसवां से महमूदाबाद बिजली ले जाने की जो योजना थी वह कब तक कार्यान्वित करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

खुटार गांव का विद्युतीकरण

*१३२—श्री विक्रमशाह राजा (जिला शाहजहांपुर)—क्या मुख्य मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि खुटार ग्राम जिला शाहजहांपुर में विद्युत् विभाग की ओर से जब सब पावर स्टेशन का ५ या ६ वर्ष पहले निर्माण हो चुका, परन्तु गांव के अन्दर बिजली की लाइन का एक्सटेन्शन (Extension) ग्रामवासियों के इस्तेमाल के लिये अभी तक नहीं हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—खुटार का विद्युतीकरण पहिले ही हो चुका है ।

*१३३—**श्री विक्रमशाह राजा**—यदि हां, तो क्यों, बिजली की लाइन गांव के अन्दर नहीं ले जाई गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

*१३४-१३५—**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)—[हटा दिये गये ।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । मैंने २८ अप्रैल, १९६२ को क्वेश्चंस दिये थे, मुझे सूचना मिली कि १७ मई, १९६२ को उनके जवाब मिलेंगे । १७ मई को वे आज के लिये स्थगित कर दिये गये थे लेकिन आज के एजेंडा में उनके लिये है कि वे हटा दिये गये । तो इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में मैं देखूंगा, आप आ जाइये तो जानकारी प्राप्त करके मैं बतला दूंगा ।

सदन में समाचारपत्र का वितरण

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है । आज नोटिस आफिस में कुछ अखबार हम लोगों को दिये जा रहे हैं, तो ये किसकी तरफ से दिये जा रहे हैं और क्यों दिये जा रहे हैं ? क्योंकि इसको पढ़ने से हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे मैं यह समझूं कि वे सरकार की तरफ से दिये गये हों । तो मैं जानना चाहता हूं कि ये किसकी तरफ से दिये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप बैठ जायं । मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कोई भी पर्चा सदन के अन्दर बिना मेरी आज्ञा के नहीं रखा जा सकता है । मालूम यह होता है कि ये अखबार जो आये हैं वे डाक से माननीय सदस्यों के पास व्यक्तिगत नाम से आये हैं । किन्तु इस सम्बन्ध में मैं जांच करूंगा और मालूम करूंगा कि क्या बात है, किसने भेजा है और ये कहां से आये हैं ।

विधायक निवास में पानी व बिजली की कठिनाई

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—श्रीमन्, दारुलशफा में तीन दिन से रोज बिजली फेल हो रही है । उसका कोई इन्तजाम नहीं किया गया है जिससे गर्मी में बड़ी परेशानी है । इसका कोई उचित प्रबन्ध हो जाय तो बेहतर है ।

श्री अध्यक्ष—दारुलशफा में बिजली फेल हो जाती है, उसकी कोई ठीक व्यवस्था हो जाय, यह माननीय सदस्य चाहते हैं । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है ।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज दो रोज से जोरों की आंधी आ रही है और उस आंधी की वजह से तार भी खराब हो रहे हैं, बिजली का सब इन्तजाम भी खराब हो रहा है । कल शाम को यह बात मेरे नोटिस में लायी गयी कि 'ए' ब्लाक की बिजली फेल हो गयी है, 'बी०' ब्लाक की बिजली तो जल रही थी । मैंने रेजिडेंट इंजीनियर को कंटैक्ट किया लेकिन वहां से कोई बोला ही नहीं । फिर अपने डिपार्टमेंट के लोगों से मैंने कहा कि वे बिजली ठीक कराने का प्रबन्ध कर दें । अब बिजली ठीक हो गयी है और मैंने यह हिदायत कर रखी है कि जहां तक हो, सरकार की यह कोशिश हो कि आंधी कम आया करे और अगर आये भी तो जहां तक हो सके बिजली का प्रबन्ध कर दिया जावे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—परसों कोई आंधी नहीं आयी थी और बिजली खराब हो गयी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप बैठें, आपने जो अपनी कठिनाइयां निवेदन की है उनको मैं मंत्री जी के पास स्वयं लिख कर भेज दूंगा और जब मैंने उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया तो उन्होंने कहा कि वे इसको देखेंगे और जहां तक उनके कंट्रोल की बात होगी उसे वे करेंगे ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—यह आप बाद में रखिये, मैं अभी स्वयं अपनी व्यवस्था तो दे दूं····

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, मैं प्रार्थना कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायें, जरा ठहर जाइये ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मुझे भी आपको थोड़ा ध्यान दिलाना है, जब से हम आये हैं रायल होटल में कभी हमें पानी नहीं मिलता और तीन-तीन दिन तक नहाने के लिये हम लोग परेशान हो जाते हैं । मैं आप के द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वहां जो २—४ गरीब आदमी रहते हैं उनकी तरफ भी ध्यान किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—श्री सन्तसिंह जी अगर कोई दूसरा सदस्य ऐसा करता तो मैं समझता कि वह अनभिज्ञता से ऐसा कर रहे हैं और बीच में खड़े हो जाते हैं । आप तो अनुभवी सदस्य हैं, यहां बीच में ऐसा आचरण नहीं होना चाहिये जिससे समय नष्ट हो । आप इस सम्बन्ध में बातचीत कर लेते और आप के नेता डाक्टर साहब हैं उन से आप पूछ लेते, आप को इस तरह की चीज शोभा नहीं देती । दूसरे खड़े हो जाते हैं तो मैं समझ लेता हूं कि वह अभी अनुभवी नहीं हैं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब एक कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है ।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता था आप ने कहा····

श्री अध्यक्ष—आप बाद में कहियेगा, मैं आप को बुला लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—श्री रामकिशोर जी का एक कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है । यह मामला मिल्क कोआपरेटिव सोसाइटी का है जिस में मामूली शिकायतें लिखी गई हैं । इस सम्बन्ध में यहां प्रश्नोत्तर भी हो चुके हैं इसलिये जिस रूप में यह सूचना दी गई है उस रूप में, मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं । अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि किसी और रूप से वह इस को ला सकते हैं तो ले आयें, उस वक्त मैं इस को देख लूंगा ।

श्री रामकिशोर (जिला फतेहपुर)—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस से ४०० आदमियों की जीविका का संबंध है । यदि इस रूप में न लें तो कम से कम मंत्री जी को ही कह दें कि वह इस पर कोई वक्तव्य दे दें ।

श्री अध्यक्ष—आप ठीक कहते हैं रामकिशोर जी, जिस दरवाजे से आप आ सकते हैं उससे आप आयें, आप प्रश्न जैसे हो सकता है वैसे कीजिये । वैसे रखिये में आपको रोकता नहीं हूं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—ऊदल जी की बड़ी शिकायत है और वह ३–४–५ बार आ चुकी है, रिहन्ड डेम और उसकी प्रगति के सम्बन्ध में यह है, और मैं बराबर उसे अस्वीकार करता चला जा रहा हूं और जितना मैं इसे अस्वीकार करता हूं उतना ही ऊदल जी उसको बार बार यहां रखते हैं। यह विषय अविलम्बनीय नहीं है, इसको वह किसी और तरह से ला सकते हैं। मैं मानता हूं यह लोकमहत्व का है लेकिन यह अविलम्बनीय नहीं है और इसी कारण से मैंने इसे अस्वीकार किया है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष—इसी तरह से श्री लखपतराम जी का झांसी के सम्बन्ध में आया है जो किसी विशेष एस० ओ० के बारे में है, उन का कहना है कि दीर्घ काल से उनका ऐसा रवैया चल रहा है, इसलिये यह अविलम्बनीय नहीं है और मैंने इसे अस्वीकार किया है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष—एक मिनट आप ठहर जायं, मैं आपको बुला लूंगा।

श्री अध्यक्ष—एक श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी का भी प्रश्न आया है, वह गम्भीर जरूर है लेकिन वह इन्टेलीजेंस विभाग से सम्बन्धित है और केन्द्रीय सरकार का विषय है। ऐसी सूरत में मैं उसे भी स्वीकार करने में असमर्थ रहा हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपने स्वीकार नहीं किया आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। लेकिन श्रीमन्, मानवता की दृष्टि से सरकार ने कई बार सदन में और बाहर आश्वासन दिया था कि जो वहां से विस्थापित निकाले गये हैं उनकी हालत बहुत खराब है। अगर आप कोई व्यवस्था कर दें तो मैं कोई प्रश्न भी नहीं उठाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—मैंने स्वयं कहा है लोक महत्व का है। तो मैं स्वतः बातचीत करके आपको बता दूंगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—मेरी प्रार्थना है श्रीमन्, कि मुझे ऐसी सूचना मिली है कि गिरफ्तारी उस व्यक्ति की अपनी सरकार ने की है। इस तरह से अपनी सरकार से भी वह सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य का विषय यह है कि कोई पाकिस्तानी गिरफ्तार हुआ बरेली में है, और पता यह चला, उसके ऊपर आरोप यह लगाया गया है कि वह पाकिस्तान का गुप्तचर है और हमारी सरकार द्वारा उसकी गिरफ्तारी हुई है। मैं उसको पढ़ दूं। सिर्फ इसलिये पढ़ रहा हूं कि सदन को सूचना हो जाय, और कुछ नहीं।

"बरेली में पाकिस्तान के एक गुप्तचर को बंदी बनाया गया है। बताया जाता है कि वह पाकिस्तानी वायु सेना का एक उच्चाधिकारी है। ज्ञात हुआ है कि छद्मवेश धारी गुप्तचर भारत के विभिन्न फौजी अड्डों पर घूम घूम कर सूचनाएं एकत्र करता था। बदायूं तथा बरेली में गुप्तचरों का बहुत बड़ा केन्द्र बताया जाता है। इस प्रकार प्रदेश में बहुत बड़ा पाकिस्तानी गुप्तचरों का कोई दल काम कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है। प्रान्त की सुरक्षा तथा शान्ति को खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रदेश में क्षोभ, आतंक तथा भय का वातावरण व्याप्त है...."

यह विषय कदाचित् माननीय सदस्यों को पता होगा समाचार पत्रों में भी निकला था और केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, सही वस्तु स्थिति क्या है इसकी जानकारी आपने सरकार को करा दी कि पाकिस्तानी गुप्तचर पकड़ा गया है।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—श्रीमन्, २७ तारीख को मैं बरेली में था। जब मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तानी वायु सेना का कोई कर्मचारी बदायूं के लिये आया था उसको कोई अधिकार बरेली में जाने का नहीं था। चूंकि वह अपने अधिकार से बरेली गया था इसलिये गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जितनी बातें यहां कही गई हैं उसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

ग्राम क्षेत्रों पर कर बढ़ाने की अफवाह के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा नियम ५३ में एक प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष—नियम ५३ का जहां तक प्रश्न है उसको मैं स्वतः देख कर इस सदन के सामने व्यवस्था दूंगा। जैसा मैंने शुरू में कहा था उसके कागजात सारे मंगवाये हैं। आप पौने ग्यारह बजे आये थे इसलिये मैं उसको देख नहीं सका।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, क्योंकि ४ तारीख के बाद सदन नहीं बैठ रहा है और आज ३१ तारीख हो गई.....

श्री अध्यक्ष—मैं अभी निर्णय दिये देता हूं।

एक सूचना नियम ५३ में सर्वश्री रियायत हुसैन, बलवानसिंह और कल्पनाथसिंह जी ने दी है जो इस प्रकार से है...

"ग्रामीण क्षेत्रों पर कर बढ़ाने की आफवाह से बड़ा असंतोष व्यापक रूप से उत्पन्न हो कर वातावरण को विक्षुब्ध कर रहा है। सदन के उठ जाने के बाद यह प्रश्न और अधिक वातावरण को दूषित करेगा। अतः इस प्रश्न पर सदन में स्पष्टीकरण हो जाना बहुत आवश्यक है। इसलिये प्रक्रिया नियमावली के नियम ५३ के अनुसार ढाई घंटे वादविवाद करने के लिये माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।"

इस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय देता हूं। कल या परसों इस सदन में इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न माननीय वित्त मंत्री से हुए। उन्होंने जो वस्तुस्थिति है वह बता दी कि हम व्यापक रूप से विचार कर रहे हैं कि अपनी कमियों को हम किस तरह से पूरा करें। यह प्वाइंटेड प्रश्न भी किया गया कि आप लगान में वृद्धि कर रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि यह एक व्यापक प्रश्न है। कोई एक विषय पर विचार नहीं हो रहा है। तो एक बार जब प्रश्नोत्तर हो चुके हैं और इसमें लिखा है "बढ़ाने की अफवाह" तो नियम ५३ में अफवाहों पर बहस नहीं होती। कोई निश्चित और तथ्यात्मक बात हो।

श्री बलवानसिंह—इसमें निश्चित है जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमको साढ़े १३ करोड़ रुपये के टैक्सेज को बढ़ाना है ...

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये। जिन शब्दों में आपने यह प्रस्ताव भेजा है उस पर मैंने अपना निर्णय दिया है। नियम ५३ में यह लिखा हुआ है "विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा।"

श्री बलवानसिंह—आप पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष—अब आप आग्रह नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि मैं सोचूंगा। लेकिन आप सोचने नहीं देते। तो जो शब्दावली है उसे देखते हुए मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री बलवानसिंह—मिनिस्टर साहब बैठे हैं आप उनसे कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष—मैंने आपसे कहा था। आपने उसे स्वीकार नहीं किया। जो शब्द आपके हैं, जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है उन शब्दों में मैं उसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। जो बातें आप इस समय कह रहे हैं उनको आप लिख कर देंगे तो मैं उन पर विचार करूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इससे सम्बन्धित कल एक प्रश्न रखा गया था। माननीय वित्त मंत्री ने फरमाया था कि सरकार के समक्ष यह मसला विचाराधीन है। सरकार अगर १३ करोड़ ३९ लाख रुपये के टैक्सेज बढ़ाना चाहती है तो इस पर विवाद करा लिया जाय और बलवानसिंह का प्रस्ताव मान लिया जाय। स्पष्ट सफाई हो जायगी और प्रदेश की जनता जान जायगी कि सरकार यह यह टैक्सेज बढ़ाने जा रही है।

श्री अध्यक्ष—उस तरीके से आप प्रस्ताव लायें तो मैं विचार कर सकता हूं।

श्री बलवानसिंह—८ करोड़ रुपया इस सरकार के खजाने में आता था और अब २८ करोड़ रुपया आ रहा है। यह निश्चित है कि केबिनेट में तै हो चुका है फिर भी ताज्जुब है कि सरकार की तरफ से हिम्मत नहीं हो रही है कि इस बात को स्पष्ट करें आया वह मालगुजारी बढ़ाने जा रही है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। मैं कुछ कहूं या आप ही कहते रहियेगा।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—माननीय मुख्य मंत्री से आप पूछ लें। हाउस में और बाहर भी समाचार पत्रों में इस बात का ऐलान किया गया है कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के करों में बड़ी विषमता है। यानी शहर के मुकाबले में ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स और मालगुजारी कम है। इसलिये सरकार इस पर फैसला करने जा रही है कि वह टैक्स और मालगुजारी बढ़ायेगी।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना यह है कि मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा है। आप इस प्रकार की सूचना देंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा। इस समय मुझे इस प्रकार की सूचना नहीं है। जैसी सूचना मेरे समक्ष आई है उस पर मैंने अपना निर्णय दे दिया। अब आप दूसरा प्रस्ताव दे सकते हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। वित्त मंत्री जी की उस बात से यह बात साफ नहीं हुई कि सरकार ने लगान अथवा टैक्स बढ़ाने का निश्चय कर लिया है अथवा नहीं? कर लिया तो किस तरह उसको बढ़ायेगी, कहां बढ़ायेगी, किस पर कितना बढ़ेगा? अगर अन्तिम रूप से तै हो चुका है कि सरकार लगान और टैक्स बढ़ायेगी तो उस पर हमें सोचना होगा और हमें आसानी हो जाती अगर वह इस पर कुछ कहते।

श्री अध्यक्ष—माननीय झारखंडे राय जी, इसी वजह से मैं कह रहा था कि या तो मुझे इस पर विचार करने दीजिये या उस रूप में आप सूचना दीजिये। एक तरीका यह होता है कि किसी भी माननीय मंत्री से मैं एक प्रश्न कर सकता हूं बशर्ते कि उस प्रकार की सूचना हमारे समक्ष हो। इस समय चूंकि सूचना नहीं है। कल सदन है, परसों है आप कर सकते हैं। आप क्यों यह जिद्द करते हैं कि जिस प्रकार से सूचना दी गयी है और जिसको मैंने अस्वीकार किया उसी पर हम प्रश्न करें? यह गलत बात है और इस प्रकार नहीं आनी चाहिये।

श्री रामसुन्दर—नियमों के अन्दर आपको अधिकार मिला हुआ है . . . .

श्री अध्यक्ष—अब आप कृपा कर के बैठिये ।

श्री रामसुन्दर—एक वाक्य सुन लीजिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—बड़े अफसोस की बात है कि मैं कह रहा हूं कि आप बैठ जाइये और आप जिद्द कर रहे हैं कि नहीं सुनिये ।

श्री रामसुन्दर—आप जरा सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष—मैंने जो कुछ कहना था वह कह दिया । अगर आप कुछ संशोधन उसमें कर सकते हैं तो कर दीजिये ।

श्री रामसुन्दर—नियमों के अन्दर आपको अधिकार प्राप्त है कि अगर माननीय सदस्यों से कोई शाब्दिक गलती हो जाय तो उसको सुधार कर. . . .

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठिये, मैं समझ गया । मुझे अधिकार है कि मैं ठीक कर दूं किसी बात को । अगर मैं ठीक करना चाहूं और आप स्वीकार न करें, यह बड़ी अजीब बात है । मैंने कह दिया कि आप संशोधन करके दें उस पर मैं विचार करूंगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—मेरा कहना यह है. . . .

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठिये, कोई बात नहीं सुनी जायगी इसके सम्बन्ध में ।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं यह कहना चाहता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष—कल्पनार्थसिंह जी, बैठो ।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं यह कहता हूं कि सरकार गला घोट कानून बनाये और अगर आपके सामने कोई प्रस्ताव लाया जाय तो आप उसको लेना नहीं चाहते. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे कहता हूं कि आप बैठ जाइये ।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं बैठने जा रहा हूं ।

श्री बलवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं एक मिनट में कह दूं ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं । अब मैं कोई भी बात इस बारे में सुनना नहीं चाहता ।

श्री बलवानसिंह—अगर आप सुनेंगे नहीं तो हम लोग वाक आउट करते हैं ।

(समाजवादी दल के समस्त सदस्यों ने सदन का त्याग किया ।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—अध्यक्ष महोदय, अभी आपने बताया था कि नियम ५२ में जो मैंने नोटिस दी थी उस पर मेरे विचार आप सुन लेंगे । इसलिये मैं निवेदन करूंगा, आप मुझे मौका दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—आप मुझसे मिल लीजियेगा, हम बात कर लेंगे । माननीय मुख्य मंत्री ।

२९ मई, १९६२ को नियम ५२ के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में नौतनवा उपनगर में बम विस्फोट के विषय पर दिये गये वक्तव्य पर एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, दिनांक २९-५-६२ को गोरखपुर जिले के नौतनवा उपनगर में बम फूटने के सम्बन्ध में श्री नरसिंह नारायण पांडेय के नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करने के प्रस्ताव पर मैंने बयान दिया था। उसके बाद जो सवाल हुए उनके उत्तर में जो कहा गया था उसमें एक बात तो साफ करने की आवश्यकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने पूछा था कि क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो धमाका हुआ यह हैन्ड ग्रेनेड के एक्सप्लोजन से हुआ है या टी० एन० टी० की स्टिक्स फटने से हुआ। इसके उत्तर में कहा गया था "अभी तक तो मालूम होता है कि यह हैन्ड ग्रेनेड का एक्सप्लोजन था। हैन्ड ग्रेनेड शब्द का प्रयोग करने से मेरा मतलब केवल इतना था कि टी० एन० टी० नहीं था और ऐसा एक्सप्लोसिव तैयार किया जा रहा था जिसे हाथ से फेंकने का crude बम बन सकता है। उस मकान में कुछ विस्फोटक वस्तु (एक्सप्लोसिव सबस्टैंस) तैयार की जा रही रही है और इस सिलसिले में मनसिल (आरसनिक सलफाईड), सोडा, जिंक इत्यादि जमा किये हुये थे। इन वस्तुओं को तैयार करने में यह धमाका हुआ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने जो "हैन्ड ग्रेनेड" कहा कल वह उसको टी० एन० टी० से अलग करने के लिये कहा और कुछ विस्फोटक पदार्थ बनाये जा रहे थे जो शायद बम वगैरह बनाने के काम आते। तो क्या मंत्री जी ने डिफरेन्शियेट किया है कि टी० एन० टी० क्या है और हैन्ड ग्रेनेड क्या है? श्रीमन्, टी० एन० टी० हर चीज का बेस है।

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, स्पष्टीकरण इसलिये दिया गया है कि हैंड ग्रिनेड से मिसअण्डरस्टैंडिंग होने की सम्भावना थी। यह एक्सप्लोजिव इकट्ठा किया जा रहा था उसी में यह धमाका हो गया था।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि टी० एन० टी० एक्सप्लोजिव्स का बेस होता है तो क्या उन्होंने इसको डिफरेंशियेट किया? यदि किया हो तो बताने की कृपा करें?

श्री अध्यक्ष---देखिये दुबे जी, आपकी साइंटिफिक नालिज है, उनकी नहीं है ऐसी जबरदस्ती मत कीजिये।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों की उपलब्धियों की नियमावली, १९६२ में प्राप्त संशोधनों के सम्बन्ध में सूचना

सूचना राज्यमंत्री (श्री बनारसीदास)---अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों की उपलब्धियों की नियमावली, १९६२ को सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। इस में श्री टम्बेश्वरी प्रसाद और दत्ता जी ने कुछ संशोधन दिये थे। इस संबंध में मेरी इन दोनों सदस्यों से बातचीत हो गई है और इस नियमावली के नियम १५ में लिखा है कि सदस्य यथास्थिति सभा या परिषद् में अपने पद के शपथ लेने के दिनांक से अपना वेतन लेने का हकदार होगा। इस में जो संशोधन था उसको स्वीकार कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन किसने दिया है ?

श्री बनारसीदास—श्री टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने। संशोधन के स्वीकार करने से यह हो गया कि "सभा या परिषद् के नवनिर्माण के दिनांक से अपना वेतन लेने का हकदार होगा।" इसका मतलब यह हो गया कि पहला सदन ६ मार्च को खत्म हो गया और ७ मार्च से नया सदन बन गया तो माननीय सदस्यों को ७ मार्च से वेतन मिल सकेगा। मौजूदा नियम में शपथ लेने के दिनांक से था। लेकिन प्रतिबन्ध स्वीकार नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त दूसरा संशोधन यह था कि "अनुलग्नक १ प्रपत्र क निकाल दिया जाय।" उसमें इस प्रकार से था कि "मैं प्रमाणित करता हूं कि इस बिल में उल्लिखित किसी भी यात्रा के के लिये रिआयती दर प्राप्य नहीं थी "अथवा" मैं प्रमाणित करता हूं कि दिनांक..... को की गई यात्राओं के लिये प्राप्य रियायती दरों का उपयोग"। यह सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इन सर्टीफिकेट्स के देने की आवश्यकता नहीं है और अन्य संशोधनों के लिये सरकार विचार कर रही है। लिहाजा इन संशोधनों के अनुसार गजट में विज्ञप्ति कर दी जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन आये हैं उन को छप कर वितरित होना चाहिये और उन पर विवाद का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—वह वितरित हो चुके हैं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, हमें समय दिया जाय और इस पर विवाद हो। मुझे एतराज इसलिये है कि मंत्री जी खड़े हो गये और इतनी महत्वपूर्ण बात कह दी। एक पैसा भी यदि आप माननीय सदस्यों की तनख्वाहों में या और किसी बात में बढ़ेगा तो उसको सोशलिस्ट पार्टी कतई नहीं मानेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी समय दें और इस पर विवाद हो और संशोधन छपवाकर सदन की मेज पर रख दिये जायं और सभी माननीय सदस्य देखें तभी इनके साथ न्याय हो सकेगा। आप इसकी व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष—देखेंगे।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने दो संशोधन दिये थे। एक तो स्वीकार हो गया और दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा। वह यह था कि दैनिक भत्ता जैसा कि पिछले वर्ष एक हफ्ते का ऐडवान्स मिल जाता था उसके बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये बताया है कि सरकार विचार कर रही है।

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, आप समय नियत कर दें जिसके अन्दर संशोधन छपवाकर सदन की मेज पर रख दिये जायं और उस पर विवाद हो ताकि सभी सदस्य अपनी पार्टी की नीति रख सकें। सोशलिस्ट पार्टी की नीति है कि माननीय सदस्यों को जो तनख्वाह या भत्ता मिल रहा है, वह नहीं बढ़ना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—एक विज्ञप्ति इस समय माननीय सूचना मंत्री द्वारा हो गयी। अगर आप कहते हैं कि आप को उस पर आपत्ति है तो मैं विचार कर लूंगा और अगर आवश्यकता समझूंगा तो सदन की राय ले लूंगा या एक आध घंटा समय दे दूंगा कि उस पर बहस हो जाय। यह बाद में देखा जायगा। इस समय यह समाप्त होता है।

सदस्यों द्वारा जानकारी

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, नियम ११३ के अन्तर्गत मैंने एक प्रस्ताव दिया था। उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—यह तो अभी आया है। मैंने देखा नहीं है। जब देख लूंगा तब बातचीत होगी।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि ६२ नम्बर पर मेरा प्रश्न है। केवल एक लाइन का प्रश्न है। मैंने अल्पसूचित के रूप में उसको दिया था। प्रश्न यह है कि "क्या विकास मंत्री यह बतायेंगे कि ब्लाक प्रमुख को १५० रुपये माहवार तनख्वाह देने जा रहे हैं?" यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं था कि इसको तारांकित प्रश्न कर दिया जाय और आज यह सदन में आया तो इसका उत्तर भी नहीं मिला। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे तारांकित प्रश्न हो गया, सरकार के सामने क्या कठिनाई थी मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसको मैं देखूंगा।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—राज्य विधान-मण्डल

न्याय मंत्री के सभासचिव (श्री चन्द्रसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, कुछ समय पूर्व मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि जब माननीय मंत्री मौजूद हों तो क्या उनके उपमंत्री या सभासचिव कोई अनुदान प्रस्तुत कर सकते हैं? उस वक्त आपने कहा था कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं। बाद में अपनी रूलिंग दूंगा। लेकिन अब तक यह रूलिंग आप नहीं दे पाये हैं।

श्री अध्यक्ष—आपने यह प्रश्न उठाया, मैंने इस संबंध में लोक सभा के नियम भी देखे हैं और अपने नियम भी देखे हैं। हमारा नियम इस प्रकार से है "मंत्री का तात्पर्य मंत्रि-परिषद के किसी सदस्य से है और उसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें।" जो लोक सभा में व्याख्या की गयी है उसमें सिर्फ यह है कि "मंत्री का तात्पर्य मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है, और उसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री और सभासचिव शामिल हैं।" उनकी डेफिनीशन यह है।

"Minister means a Member of the Council of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary."

इसमें वह शब्द नहीं है जो हमारी नियमावली में है "ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंप गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें।" जब कोई व्यक्ति मंत्री महोदय की मौजूदगी में खड़ा होता है, और वह बोलता है तो माना जाता है कि उनको वह अधिकार प्रत्यायोजित कर दिये गये हैं, यह हमारे यहां व्यवस्था चली आयी है। इस व्यवस्था को बदलने का मैं कोई विशेष कारण नहीं देख रहा हूं। अतः जो प्रथा हमारे यहां चली आ रही है इतने वर्ष से, और इसी प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन होता रहा है, उसी को मैं मानता हूं और उसी के अनुसार माननीय न्याय मंत्री की जगह पर कोई भी खड़ा हो सकता है।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो आपने परिभाषा पढ़ी उसमें सभासचिव नहीं आते हैं, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर तक आते हैं। हमारे यहां सभासचिव आनरेरी हैं और दूसरी बात यह कि जब १९५३-५४ में....

श्री अध्यक्ष—देखिये, आप बहस कर रहे हैं। मैंने तो आपके सामने रखा कि कोई भी सदस्य जिसे प्रत्यायोजित किया जाय, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की कौन कहे, कोई भी व्यक्ति जो इस सदन के अन्दर बैठा हो वह जब अथराइज्ड समझा जायगा तो फिर सभा-सचिव क्यों नहीं कर सकता?

श्री नकराम शर्मा—श्रीमन्, गवर्नर यह लिखकर देते हैं और वह कहते हैं कि गवर्नर की आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं। तो जब तक माननीय मंत्री जी उनको लिखकर न दें या माननीय गवर्नर महोदय न दें तब तक वह प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—मैंने नियमों को देखा है। कहीं पर लिखा हुआ है 'रिटेन परमीशन,' 'रिटेन डाइरेक्शन' और कहीं इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो रिटेन और अनरिटेन के नियमों में भेद किया गया है। जहां-जहां यह उद्देश्य था कि लिखकर ही डेलीगेट करें वहां लिखकर प्रत्यायोजन होता है। चूंकि इसमें रिटेन नहीं लिखा हुआ है तो राइटिंग की आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूं कि हम अज्यूम करते हैं कि उनका अधिकार है।

श्री चन्द्रसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९—राज्य विधान—मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ३९,२२,२०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ३९,२२,२०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन

†**न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)**—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, १,२८,९१,८०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, बजट का जो लिटरेचर सदन में पेश है उससे मालूम होगा कि कुल मांग ग्रांट नम्बर १३ के मातहत १,७१,७९,८०० रु० की है। इसमें से ४२ लाख ८८ हजार रुपया वोट आन एकाउन्ट के सिलसिले में मंजूर हो चुका है। लिहाजा बकिया १,२८,९१,८०० रुपये की मांग आज सदन के सामने पेश है। जाहिर है कि जहां तक न्याय विभाग का ताल्लुक है इसमें ज्यादातर खर्चे वही हैं कि जो गवर्नमेंट उन अदालतों पर करती है और उनके सिलसिले में उन चीजों पर करती है जिनसे कि न्याय लोगों को प्राप्त हो सके। उसी डिपार्टमेंट के सारे ये अखराजात हैं। उनके बारे में बहुत ज्यादा बताने की कोई जरूरत इस स्टेज पर मालूम नहीं होती।

एक चीज आपको मैं बता दूं कि हमारे यहां के न्यायालयों की इमारतें बहुत पुरानी चली आ रही हैं और उनके ऊपर जितना रुपया हम खर्च करना चाहते थे और जिस तरह से चाहते थे कि वह दुरुस्त हो जायं वह अभी तक हम नहीं कर पाये हैं। लेकिन बावजूद इसके हर साल बजट में हम कुछ न कुछ रुपया इस काम के लिये रखते हैं जिसके जरिये से कि इन इमारतों की दुरुस्ती होती चली जाय, वहां का फर्नीचर बेहतर होता चला जाय और नयी-नयी अदालतें जहां-जहां वह बहुत पुरानी हो गई हैं, वहां-वहां बनती चली जायं।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

इस सिलसिले में आप देखेंगे कि एक जगह के ऊपर २,६९,८०० रुपये रखे गये हैं जिसके जरिये से मुख्तलिफ अखराजात इमारत के लिये, उनकी तब्दीली के लिये और छोटी-छोटी तरमीमों के लिये किये जायेंगे। यह सब बातें इसमें मौजूद हैं। उसी तरह से ११,४४,५०० रुपये रखे गये हैं जिसमें कुछ लायब्रेरी बनेंगी और कुछ मकानात हैं जहां पर बिजली नहीं है कुछ अदालतें हैं जहां पर बिजली लगाई जायगी। कुछ इमारतें जुडीशियल दफ्तरों की हैं उनको ठीक किया जायगा ताकि अदालत वहां पर रखी जा सके। यह सब इस बजट के अन्दर दिया हुआ है। आप जानते हैं कि जो शिकायत अक्सर हुआ करती है कि अदालतों में बहुत पुराने मुकदमे पड़े हुये हैं और उनका फैसला नहीं होता है, बहुत देर लगती है तो उसकी वजह यही है कि जब तक इमारतें न हो जायं और हमारे अफसरों को फैसला करने के लिये बैठने की आसानी न हो तो जल्दी से यह काम नहीं हो सकता है। अदालतों की तादाद हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके बावजूद भी हम बराबर इसका प्रयत्न करते हैं कि जहां तक हो सके अदालत बढ़ती चली जाये। जैसे-जैसे अदालतों की तादाद बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे हम जजों की तादाद भी बढ़ा रहे हैं।

इस सिलसिले में हाईकोर्ट में भी बहुत से पुराने मुकदमें बहुत जमाने से पड़े हुये हैं और उनका फैसला नहीं कर पाये हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया के ला कमीशन ने भी इसके ऊपर गौर किया और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि सब से बड़ी वजह यही है कि जो हाईकोर्ट में मुकदमें पड़े रह जाते हैं और उनका फैसला नहीं होता है कि उतने जजेज फैसला करने के लिये मौजूद नहीं हैं। शायद आप लोगों को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि ला कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे यहां जजेज की कमी है। अगर हम उस बकाया को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिये हमको साल भर तक २४ जजेज की जरूरत होगी या दो वर्ष के लिये १२ जजेज की जरूरत होगी। अगर हम इतने जज हाईकोर्ट में बढ़ायें तो हम जाकर उस बकाया को पूरा कर सकते हैं। अब बहरहाल गवर्नमेंट कोई ज्यादा तादाद जजेज की नहीं बढ़ा सकती है। वह जो कुछ हम बढ़ा सकते हैं उसको हम बढ़ा रहे हैं। हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस वक्त हमारे यहां जजेज की तादाद करीब-करीब १९ थी लेकिन बढ़ते बढ़ते ३० जजेज की हो गई है। ३० जजेज की तादाद हमने हाईकोर्ट में कर दी है जिसमें से २४ मुस्तकिल हैं और बाकी जो एडीशनल जजेज हैं वह सब अस्थायी हैं। इस तरह से हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि तादाद बढ़ती जाय, लेकिन बावजूद इसके मुकदमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि हम उस कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत से प्रयत्न किये हैं और बहुत से तरीके अख्तयार किये हैं जिसकी वजह से हाईकोर्ट के जो एरियर्स हैं वह कम होते चले जा रहे हैं और बराबर वह कमी होती चली जाती है। चुनांचे आज, जो फौजदारी के मुकदमे थे, उनमें ज्यादा एरियर नहीं हैं। फौजदारी के मुकदमें ज्यादातर ८०, ९० फीसदी साल भर के अन्दर खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से रिट एप्लीकेशन भी एक डेढ़ साल से ज्यादा नहीं लेती है। यह बात और है कि कुछ केसेज में कोई खास अड़चन पड़ जाती हो जिसकी वजह से देर हो जाती है लेकिन आमतौर पर एक, डेढ़ साल से ज्यादा रिट एप्लीकेशन में वक्त नहीं लगता है। इस चीज को हाईकोर्ट ने पूरा कर लिया है, लेकिन जहां तक दीवानी मुकदमों का ताल्लुक है उसमें यकीनन एरियर्स हैं। हमारी कोशिश हो रही है कि वह एरियर खत्म हो जाय। एक अहम कदम जो हमने उठाया है वह यह है कि हमने एक डिप्टी रजिस्ट्रार हाईकोर्ट में मुकर्रर किया है जिसका काम यह होगा कि वह तमाम इस तरह के मुकदमों को, जिनमें एक ही कानूनी प्वाइंट से फैसला होना है या जिनको एक ही तरह का मानते हैं वह उन सबको अलग-अलग कर दे और उनका एक-एक ग्रुप बना कर हाईकोर्ट के सामने वह मुकदमे रखे जायं ताकि एक मुकदमे का फैसला अगर हो जाय तो उसके साथ ही १०-२० मुकदमे का अपने आप फैसला हो सके। यह काम अभी शुरू हुआ है और मेरे ख्याल में अगर यह काम तरक्की करेगा तो यकीनन हम बहुत सारे पुराने मुकदमों का फैसला जल्दी करा सकेंगे और हमारे एरियर्स बड़ी हद तक खत्म हो जायंगे।

यह तो आपको मालूम ही है कि जहांतक जजेज के वर्किंग डेज का ताल्लुक है वे साल में २०० दिन काम करते थे, लेकिन सरकार के कहने से और सेंट्रल गवर्नमेंट के····

श्री नेकराम शर्मा—(श्री बनारसी दास के डायस पर जाने पर) एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी इस समय बोल रहे हैं और इस समय आप दोनों तरफ से घिरे हुये हैं और अक्सर जब आप नहीं होते तो बहुत सी ऐसी बातें निकल जाती हैं। यह चेयर की व्यवस्था हो चुकी है कि इस डायस पर कोई माननीय सदस्य न आयें। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या सदस्यगण डायस पर आ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास माननीय नेकराम जी का एक परचा आया है और वह भी एक परचा देने आये थे।

श्री सैयद अली जहीर—तो जैसा मैं अर्ज कर रहा था, उन्होंने अपने वर्किंग डेज की तादाद बढ़ाकर २०० से २१० कर दी है। इसी तरह की और भी बहुत सी तरमीमें की हैं। अभी तक अपीलें दो जजेज सुना करते थे। वह अब एक ही जज के सामने पेश होंगी और जो अपीलें १० हजार तक की हैं, उनके लिये प्राविजन कर दिया गया है कि वे डिस्ट्रिक्ट जज के सामने सुनी जा सकती हैं। शायद आपको यह भी मालूम होगा कि जब इस तरह की तरमीम कानून में कर दी गयी तो उसके बाद एक मुकदमे में हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि यह ठीक है कि गवर्नमेंट को यह अख्तियार है कि वह कानून में इस तरह की तरमीम कर दें कि १०,००० तक की वैलुयेशन की अपीलें डिस्ट्रिक्ट जज सुना करेंगे, लेकिन यह बात उन्हीं अपीलों पर लागू होगी कि जो उस तरमीम के होने के बाद दाखिल होंगी। उस दिन के पहले जो दाखिल हो चुकी हैं वह तो सब हाईकोर्ट द्वारा ही सुनी जायंगी। तो इस कठिनाई को मिटाने के लिये हमने हाईकोर्ट से दरख्वास्त की कि आप ऐसे मुकदमों को दफा २४ में, जिनमें उनको अधिकार है कि वे मुकदमों को मुस्तकिल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज को मुस्तकिल कर दें। चुनांचे एक डिस्ट्रिक्ट जज इलाहाबाद में और एक लखनऊ में इसके लिये मुकर्रर कर दिया गया है और यह उम्मीद है कि इस किस्म की अपीलें और मुकदमें जिनका अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया गया है, उस जजेज के पास भेज दिये जायंगे और उनका वह फैसला करेंगे। इस तरह से हम जानते हैं कि उलझनें हैं और उनकी वजह से मुकदमें में जल्दी फैसले नहीं होते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मुकदमे का फैसला जल्द हो और कठिनाइयां खत्म हों।

जहां तक सबार्डिनेट कोर्ट्स का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि पहले मुंसिफ के कैडर में खाली २२२ मुंसिफ हुआ करते थे। ४४ डिस्ट्रिक्ट जज थे और ४० सिविल और सेशन जज होते थे। लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ा कर २६६ कर दी गयी है और सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि अगर और बढ़ाने की जरूरत हो तो इनको और बढ़ा दिया जाय।

यह भी आपको मालूम होगा कि बहुत से जिले ऐसे हैं कि जिनमें पहले डिस्ट्रिक्ट जज नहीं थे, लेकिन थोड़े दिनों से बहुत से जिलों में हमने डिस्ट्रिक्ट जजी खोल दी है और वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज मुकर्रर कर दिये गये हैं। लेकिन अभी तक मेरा ख्याल यह है कि ऐसे कोई ७—८ जिले ऐसे बाकी हैं कि जिनमें डिस्ट्रिक्ट जज अभी नहीं हैं। उनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी मांगें हमारे पास आई हुई हैं और उन पर हम विचार कर रहे हैं और हमारा ख्याल यह है कि उस पर शायद जल्दी ही फैसला हो जायेगा और वहां डिस्ट्रिक्ट जज मुकर्रर हो सकेंगे। साथ ही मुख्तलिफ कोर्ट्स से लिंक्ड जो कोर्ट्स हैं जहां कभी-कभी काम बहुत ज्यादा हो जाता है, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिये भी हम इकदामात उठा रहे हैं ताकि जहां कम ज्यादा हो वहां के केसेज की सुनवाई भी हो सके और यह दिक्कत दूर हो सके।

दूसरी बात करेप्शन की है जिसके लिये माननीय सदस्य बहुत परेशान रहा करते हैं। करप्शन खाली, जो हमारे जुडीशियल कोर्ट्स का मामला है, उसी में नहीं है बल्कि और बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां यह चीज है। सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया और यह समझा

[श्री सैयद अली ज़हीर]

कि इसके लिये एक कमेटी बनाई जाय जो इस मामले में गौर करे। चुनांचे, जस्टिस मुकर्जी, जो सीनियर जजों में से एक हैं, की अध्यक्षता में एक कमेटी इस कार्य के लिये बनाई गयी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी बन कर सरकार के पास आ गयी है लेकिन वह रिपोर्ट इतनी बड़ी है कि उसके पढ़ने में तथा विचार करने में और कोई डिसीशन लेने में समय लगेगा। यह रिपोर्ट अभी छप रही है और उसके बाद जब वह अवेलेबिल होगी तो शायद वह माननीय सदस्यों को भी मिलेगी। उस रिपोर्ट में करप्शन के बारे में जो एक जगह लिखा गया है वह मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है—

".....The problem of corruption in courts was not merely the problem of corrupt officials, but it was something more. It was problem that was posed by a conglomeration of many factors arising out of the system, the personnel working that system, the persons who took recourse of that, etc. So that this system of corruption in courts could not obviously be tackled on the basis of the recommendations of the Anti-Corruption Committee referred to above...."

इससे जाहिर है कि कुछ ऐसा वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे सरकम्सटान्सेज पैदा हो गये हैं और सिस्टम ऐसा खराब हो गया है जिसकी वजह से यह करप्शन चल रहा है। लिहाजा हमें इसके मुताल्लिक सुझाव देना है। वैसे आपको मालूम होगा कि सन् १९३८ में भी एक एन्टीकरप्शन कमेटी बनी थी और उसका फैसला तो महज यह था कि जो करप्ट आफिसरान हैं उनके मुताल्लिक जांच की जाय और कुछ उसका इलाज किया जाय।

तो इस कमेटी ने, जो अभी जस्टिस मुकर्जी की अध्यक्षता में बनी, कुछ लोगों के बयान भी लिये हैं और एक तफसील के साथ अपने सुझाव दिये हैं। यह साइज में, जैसा कि आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी और मोटी है, इस पर गौर करना है और इसमें टाइम लगेगा। जो उनकी रिफारिशें होंगी उन पर हम विचार करेंगे कि उन पर अमल करने की कोशिश की जायेगी।

अब इसके अलावा भी दो चार सवालात ऐसे हैं जिनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मसलन, सैपेरेशन आफ एक्जीक्यूटिव एण्ड जुडीशियरी। यह मामला भी बार-बार उठाया जाता है। आपको मालूम है कि हमने अपने सूबे में एक मानी में इसको कर भी दिया है, पहाड़ी जिलों को छोड़ कर, क्योंकि वहां का जुडीशियल सिस्टम दूसरा है लेकिन प्लेन्स के जितने भी जिले हैं सब में एक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट मुकर्रर होता है। उसी के मातहत जुडिशियल आफिसर्स रहते हैं जो कि जुडीशियल काम करते हैं और यह एक अलग डिपार्टमेंट है। आम तौर से मांग यह रहती है कि इनको हम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज के मातहत क्यों नहीं कर देते, ये अलग से क्यों कमिश्नर के मातहत रहते हैं? मुझे सिर्फ इतना अर्ज करना है कि यह चीज कोई बहुत महत्व की नहीं है कि अगर इसी तरह से हो तभी जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव सेपरेट हो सकती है। खुली बात यह है कि जहां तक काम का ताल्लुक है, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट एक अलग अफसर होता है, उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक जिले के इन्तजामात से नहीं रहता है। यह जरूर है कि उसका जुज होता है, लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे अफसर के मातहत रहता है। मेन प्राब्लम यह है कि कौन से रास्ते अख्तियार किये जायं जिससे हमारे यहां क्राइम पोजीशन इम्प्रूव करे, जो जरायम बढ़ते चले जा रहे हैं उनकी रोकथाम कैसे की जाय। अभी तक कम से कम मेरा खुद जाती तजुर्बा यह है कि मैं बाम्बे गया था, बहुत अर्सा हुआ, वहां जुडीशियरी और एग्जिक्यूटिव का कम्पलीट सैपेरेशन कर दिया गया है और वहां के मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जज और हाईकोर्ट के मातहत कर दिये गये हैं। वहां पर जब मैंने दरियाफ्त किया कि जिनके कि चार्ज में यह काम है, तो उन्होंने बतलाया कि हमारे यहां कम से कम हमारा तजुर्बा यह है कि जब से यह अलहदगी हुई है उस वक्त से यहां क्राइम्स बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि चाहे उससे हमको

फायदा हो या नुक्सान हो, उसको करना ही है। उसका असली मकसद यह है कि किसी के साथ अन्याय, ज्यादती नहीं और अगर वह जज या हाई कोर्ट के मातहत होगा तो ज्यादा लोगों को कान्फिडेन्स होगा कि न्याय होगा। लेकिन उसी के साथ-साथ गवर्नमेंट की यह भी बड़ी जिम्मेदारी है कि मुल्क और सूबे में जो क्राइम पोजीशन खराब होती जाती है उसको रोकथाम करे और अगर हम उसको नहीं कर रहे हैं तो इसलिये नहीं कि हमारे यहां क्राइम पोजीशन इम्प्रूव नहीं हुई है। जब इम्प्रूव कर जायगी तो हम गौर करेंगे कि क्यों न उसे फिर डिस्ट्रिक्ट जज और हाईकोर्ट के मातहत मुकर्रर कर दें। लेकिन जबतक क्राइम पोजीशन और जरायम की हालत बेहतर नहीं होती है उस वक्त तक ऐसे इकदामात करना मेरे ख्याल में मसलहत से बईद होगा और मुनासिब नहीं होगा।

एक चीज और उठायी जाती है कि गरीब आदमियों के लिये कोई सहायता दी जाय मुकदमा लड़ने के लिये जिसे वह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जहांतक दीवानी का ताल्लुक है, वहां तो प्रावीजन मौजूद है कि कोई ऐसा शख्स हो जो कि कोर्ट फीस और अखराजात मुकदमे के बर-दाश्त न कर सकता हो तो वह दरख्वास्त दे और तहकीकात करने के बाद उसको उससे मुश्त-सना कर दिया जाता है। लेकिन मुश्किल यह पड़ जाती है कि क्रिमिनल, फौजदारी के केसेज में इस किस्म की सहायता देना कोई माने नहीं रखता, क्योंकि गवर्नमेंन्ट खुद ही केस प्रासीक्यूट करती है और गवर्नमेंट ही दूसरे फरीक की मदद करे तो इसके माने क्या होते हैं? अगर वह यह समझती है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है तो कोई मुकदमा चलाना ही बेकार है, फिर तो न इधर से खर्चा होना चाहिये न उधर से होना चाहिये। लेकिन अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिये। फिर ऐसी हालत में मदद करना ऐनोमालस और ऐसी बात हो जाती है जिसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया के ला मिनिस्टर की तकरीर कल ही छपी है। उन्होंने कहा है कि हमने इस मामले पर बहुत ही गौर किया है और अब भी गौर कर रहे हैं, स्टेट से मशविरा कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई ऐसा तरीका नहीं मालूम होता है कि हम गरीब आदमियों की मदद को कैसे बढ़ा सकें। गौर हम भी कर रहे हैं जो हो सकता है वह यह है कि कुछ पब्लिक स्पिरिटेड लाइयर जिनके पास काम कम हो, जो वक्त अपना दे सकें वह अगर वालंटरिली और खुद बखुद आमादा हो जायं कि ऐसे आदमियों के मामलों को अपने हाथ में ले लें और मुकदमे में उनकी मदद कर सकें तो यह चीज कारगर हो सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से इस वक्त इसके मुताल्लिक कोई कदम उठाना मुश्किल मालूम हो रहा है। बहरहाल यह मामला जेरेगौर है। इसके मुताल्लिक अगर आप लोग कोई सुझाव देंगे तो उन पर गौर किया जायगा। ये खास-खास बातें मैंने आपके सामने रखीं, बाकी आपके जो सुझाव होंगे उन पर हम गौर करेंगे। एक बात मैं और बतला दूं कि इस सूबे में हमने एक ला कमीशन भी बनाया है। आप जानते हैं कि स्वतन्त्रता के बाद से जो कानून बने हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ पुराने कानून हैं, कुछ नये हैं और फिर उनमें तरमीमें होती चली गई हैं। इस वजह से कुछ कन्फ्यूजन सा हो गया है कि आखिर हर मामले का कानून क्या है? मिसाल के लिये जो रेवेन्यू लाज हैं, उसमें तरह-तरह के कानून हैं और उनमें तरह-तरह की तरमीमें हुई, हैं उन सब को इकट्ठा करना और ऐसी शक्ल में ले आना जिससे मालूम हो सके कि क्या कानून है, यह ला कमीशन का फर्ज होगा। उसके साथ-साथ और मामलों पर भी वह गौर करते रहेंगे और सलाह देते रहेंगे कि किस कानून में तरमीम की जरूरत है और साथ ही हम उनसे राय लेते रहेंगे कि किसी कानून को किस तरह से पास किया जाय। इस तरह की जिम्मेदारियां उस पर डाली गई हैं। अभी-अभी वह बना है इसलिये कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है जो आपके सामने पेश हो सके, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह मुफीद काम फर्ज अन्जाम देंगे।

इन अल्फाज के साथ इस मांग को मैं सदन के सामने पेश करता हूं ताकि उसको आप लोग मंजूर करें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय न्याय मंत्री के प्रस्ताव में कि "३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२८,९१,८०० रुपयों की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय, अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। प्रस्ताव यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, जनकल्याण राज्य में जिसमें प्रजातन्त्र की प्रथा है, यह जुडीशियरी रीढ़ की हड्डी है। कहने का तात्पर्य यह कि इसका बड़ा महत्व है। हमें संविधान द्वारा मौलिक अधिकार मिले हैं। हम आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास और औद्योगिक विकास को जब दृष्टि में रखते हैं और विविध कानूनों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय चेतना के युग में हर व्यक्ति अपने हित के रक्षा करने के लिये, चाहे वह गरीब हो या अमीर, वह अपने अधिकारों को जानना चाहता है और उसकी रक्षा करना चाहता है। यदि वह अपने हित की रक्षा करना चाहता है तो उसको सुलभ, सस्ता और शीघ्र न्याय मिलना चाहिये। जब इस दृष्टि से देखते हैं तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जितने विभाग सरकार के अन्तर्गत हैं उनमें कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो इतना उपेक्षित रहा हो जितना कि यह न्याय प्रसाशन है और न्याय विभाग है जिसकी मोटी-मोटी बातें मैं आपके सामने रखूंगा और आप देखेंगे कि सचमुच सरकार ने एक कदम भी इसको सुधारने का नहीं उठाया है। ला कमीशन या अन्य कानून के शास्त्रियों ने जो सुझाव दिये उन पर भी सरकार ने गौर नहीं किया। हां, इसने एक काम किया जो हमारी ब्रिटिश सरकार ने किया था। हिन्दू राज्य और मुगल राज्य—किसी भी राज्य में कोर्टफीस नहीं ली जाती थी, न्याय मुफ्त दिया जाता था। क्योंकि वे लोग समझते थे कि न्याय देना स्टेट का फर्ज है जिस प्रकार से लोगों को दवा और शिक्षा देना। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर टैक्स लगाया। इसको कोर्ट फीस नहीं कहते हैं, टैक्स कहते हैं। और हमारी सरकार ने उनको बढ़ाया है। हाईकोर्ट के सामने एक बार यह प्रश्न आया था कि इसको टैक्स क्यों कहा जाय। जो ऐसी सर्विसेज हैं जिनके द्वारा हमको न्याय मिलता है उनके लिये जब हम रुपया वसूल करते हैं तब तो उसको कोर्टफीस कहा जा सकता है लेकिन अगर उससे अधिक रुपया हम पाते हैं, जो दूसरी मदों पर खर्च किया जाता है और वह उस रुपये में शामिल हो जाता है जो सामान्य रेवेन्यू से आता है, तब यह टैक्स हो जाता है। इस प्रकार हमारी सरकार कोर्ट फीस की जगह टैक्स वसूल करके इतना बड़ा अन्याय कर रही है। मैं मोटी-मोटी बातों को आपके सामने सुझावों के सहित रखना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि अगर मैं सरकार के लिये यह कहूं कि वह जस्टिस में ट्रेडिंग कर रही है तो अनुपयुक्त न होगा। जो आंकड़े सरकार ने दिये हैं उनसे यह साबित होता है कि जो न्याय से सरकार पाती है उससे वह कम खर्च करती है। लेकिन सरकार ने उन आंकड़ों को बड़ी चतुराई से रखा है। और बताया यह है कि उससे उसे कोई मुनाफा नहीं होता। उसने ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस को एक जगह रखा है और जुडीशियल स्टाम्प से जो रेवेन्यू आता है उसको दूसरा जगह रखा है। इन दोनों मदों से जो आमदनी होती है अगर मिला लिया जाय और खर्चे को भी मिला लिया जाय तो हमें यह साफ मालूम हो जायगा कि १९४७ से आजतक ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में मुनाफा हुआ है और हमारी सरकार ने बराबर उसको बढ़ाया है। १९६० में ६७,५२,०७० रुपया मुनाफा हुआ, १९६१—६२ में ८१,२१,७०० मुनाफा हुआ और १९६२—६३ में ६९,७८,७०० रुपया है। शायद ज्यादा हो लेकिन मैंने जो जोड़ा है वह इसी प्रकार है।

आप किसी भी ला बुक को पढ़े, किसी भी न्याय प्रणाली को पढ़ें, आप यही पायेंगे कि न्याय सरकार का कर्त्तव्य माना जाता है, इससे रेवेन्यू नहीं लिया जाता। युनाइटेड स्टेट

आफ अमेरिका या इंगलैंड आदि किसी भी देश के कानून को आप देखें वहां पर केवल इंस्टीट्यूशन फी ली जाती है, बाद को कुछ नहीं लिया जाता ।

बजट में कुछ ऐसी मदें शामिल कर दी गयी हैं जिनको शामिल करते समय प्रदेश के लोगों की स्थिति को देखा नहीं गया है कि वे उस भार को बरदाश्त भी कर सकते हैं या नहीं । उसमें कुछ ऐसी मदें रखी हैं जिनको नहीं रखना चाहिये था । लॉ डिपार्टमेंट, एडवोकेट जनरल, ला आफीसर्स और गवर्नमेंट प्लीडर से भला साधारण लिटीगेंट को क्या लाभ होता है ? अपने खिलाफ ही लड़ने वाले का भी वह खर्चा बरदाश्त करता है । दफा ८० वगैरह की तहत जो राय के लिये चीजें आती हैं, उन पर वे सलाह देते हैं और उसका खर्चा जनता को बरदाश्त करना पड़ता है । संसार भर में ऐसी बात नहीं दिखायी पड़ती कि मैं लड़ने वाले का भी खर्चा दूं और लड़ाने वाले का भी । एडवोकेट जनरल और लॉ आफीसर्स के एप्वाइन्टमेंट की बात तो मैं बाद को कहूंगा यहां केवल इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूं कि उनका खर्चा सिविल लिटिगेंट पर लादा जाय, यह मुनासिब नहीं है । यह कितनी अनोखी बात है कि वह लैंड एक्वीजीशन के बारे में सलाह दे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का झगड़ा हो तो वह सलाह दे दे लेकिन उसका खर्चा वह लिटीगेंट दे जिसके पास खाने को नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि लिटिगेंट पर एडिशनल खर्चे भी बढ़ जाते हैं क्योंकि स्टैम्प के साथ ही उन पर टी० बी० का सील का खर्चा भी लगा दिया जाता है, इसके अलावा हाकी या क्रिकेट खेल के लिये भी उनसे पैसा लिया जाता है, तो क्या यही एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस है ? सरकार सब के आर्थिक विकास की बात करती है लेकिन क्या इसी तरह से आर्थिक विकास हो सकता है । सरकार इस पर क्यों नहीं विचार करती कि यह कहां तक उचित है कि लिटिगेंट से इतना अधिक पैसा लिया जाय । न्याय के हित में मेरा तो न्याय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि जिन व्यक्तियों के मैंने नाम लिये—एडवोकेट जनरल, ला अफिसर, गवर्नमेंट एडवोकेट, इनका खर्चा इसमें से हटा दिया जाय तो न्याय बहुत सस्ता हो सकता है । गवर्नमेंट एडवोकेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं उनका कार्य केवल यह होता है कि वे क्रिमिनल केसेज में गवर्नमेंट को सलाह देते हैं । गवर्नमेंट का कर्त्तव्य ला ऐण्ड आर्डर को मेन्टेन करना है और ला ऐंड आर्डर को मेन्टेन करने के लिये किसी ऐडीशनल खर्चे की जरूरत हो तो उसे करना चाहिये । लेकिन सिविल लिटिगेंट के ऊपर कोर्ट फीस बढ़ाना और उससे अपने खर्चे को पूरा करना, यह ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस नहीं है । सरकार को तो चाहिये कि ऐसे लोगों के लिये जो खुद गरीब हैं और एडवोकेट के लिये पैसे नहीं जुटा सकते, उनको एडवोकेट का पैसा दें । न्याय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि एडवोकेट जनरल, ला अफिसर, व सेक्रेटरी के खर्चे की मद को इसमें से निकाल दें । इससे कोर्ट फीस कम हो जायगी और इन्साफ भी सब को सुलभ व सस्ता मिलेगा ।

दूसरी बात यह है कि दफा ८० के मातहत जो नोटिस दिये जाते हैं उसके लिये अधिकारियों को चाहिये कि वे आपस में सेटिलमेंट कराने की कोशिश करें लेकिन इतनी बड़ी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी इस तरह की कोई चीज नहीं करते । जिससे सरकार ८० परसेंट केसेज में हार जाती है और उस पर जो खर्चा होता है वह सब लिटिगेंट्स को देना पड़ता है । दूसरी बात यह है कि ला कमीशन ने भी कहा है कि डकैती होती है, चोरी होती है, फूड एडल्ट्रेशन होता है, दुनिया भर के पब्लिक आफेंस होते हैं, और ऐंडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के नाम पर उसका सब खर्चा लिटिगेंट्स पर लाद देना एक तरह से अन्याय है । जिन मदों को निकालने के लिये मैंने अनुरोध किया है अगर उसे सरकार स्वीकार कर ले तो वह न्याय को सस्ता कर सकती है और कोर्टफीस भी कम हो सकती है । ला कमीशन ने लिखा है :

"Our States provide Hospitals which give free treatment to persons who are physically afflicted but if a person is injured in the matter of his fundamental right or other legal rights we bar his approach to the Courts except on payment of heavy court fees. The fee which we charge is so

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

excessive that the Civil litigant seeking to enforce his legal right pays not only entire cost of Administration of Civil justice but also the cost incurred by the State in prosecuting and furnishing the Criminal with which civil litigant has no concern.

मैंने इन २ बातों को इसलिये कहा कि यह सारा भार जो गरीब आदमी है उसी पर लादा जाता है और इसी कारण से वे लोग अपने मुकदमे नहीं लड़ पाते ।

कोर्टफीस के बारे में भी मुझे यह कहना है कि सरकार ने बड़ी होशियारी को और उस ने स्टाम्प को न्याय मद से छिपा लिया क्योंकि स्टाम्प की बात मामूली आदमी नहीं समझ पाते और वही समझ पाते हैं जो कि वकील हैं । जब से मैंने यह वकालत का काम शुरू किया तब से शुरू में १२ आना लगते थे लेकिन उस के बाद १ रुपया किया गया और अब उस को २० आने कर दिया गया है । यह गरीब जनता के लिये बहुत अधिक भार है । मैं ज्यादा दोहराऊंगा नहीं केवल जो मोटी-मोटी बातें हैं उन्हीं को सदन के सामने रखूंगा । आप देखें कि जो डिक्लेरेटरी सूट्स होते थे उन में पहले १८ रुपये का स्टाम्प लगता था और २५ का कर दिया गया है । इसी तरह से रिट्स के बारे में है, जहां पहले ५ रुपया लगते थे उस को एक दम से बढ़ा कर ५० रुपया कर दिया गया है और गरीब लोगों को इस न्याय से महरूम कर दिया गया । विरोध की बात तो दूसरी रही लेकिन अगर वाकई सरकार चाहे तो यह कोर्टफीस कम हो सकती है । वकील लोग जानते हैं कि जिस का मुकदमा दायर करते हैं ओरिजिनल सूट्स पर कितनी फीस लगती है । साल दो साल बाद समझ में आता है कि कोर्ट फीस का क्या हुआ, अक्सर मामले २ तारीखों में ही खत्म हो जाते हैं । यही हालत स्माल काज कोर्ट्स में होती है । इस के अलावा जो एक्सपार्टी केसेज होते हैं उन में भी उतनी ही फीस देनी होती है जितनी कि कन्टेस्टेड केसेज में, यह भी ज्यादा है इस में कुछ कमी होना चाहिये । स्माल काज केसेज में भी उतनी ही फीस देनी होती है जो कि अक्सर २ पेशी में ही खत्म हो जाते हैं । इस तरह से एक गरीब आदमी के लिये इतनी बढ़ी हुई कोर्टफीस देकर न्याय पाना असम्भव है, वह लोग न्याय पंचायतों में जाते हैं लेकिन मुझे दुख है, मैं न्याय पंचायतों का विरोधी नहीं हूं लेकिन जिस प्रकार उनका चुनाव होता है और नामिनेशन का विधान है जिस तरह से वहां राजनैतिक पार्टियों का काम चलता है वह गलत चीज है उससे ऊपर उठकर इन पंचायतों का निर्माण होना चाहिये । आज सिविल कोर्ट्स में जब आदमी न्याय के लिये जाता है तो उस को नकल लेनी होती है और जिस नकल के लेने में पहले डेढ़ रुपया खर्च होता है आज उस की जगह उसे ४ रुपया व्यय करना होते हैं और दूसरे दिन अगर फिर उस को दाखिल करना होता है तो उसे फिर कोर्ट फीस लगानी होती है । इस सब का नतीजा यह होता है कि कोई आकर कहता है कि मैंने बैल बेच दिया और कोई कहता है कि खेत रख दिया । इस प्रकार से उन की क्या स्थिति रह जायगी जिस के लिये सरकार कहती है कि हम उन की रक्षा करना चाहते हैं और उनको न्याय देना चाहते हैं । यह सब चीजें ऐसी हैं कि इन में जहांतक हो सके सरकार को फीस में कमी करना चाहिये और स्टाम्प ड्यूटी घटाना चाहिये । इस संबंध में मेरे कुछ सजेशन्स हैं वह मैं बताये देता हूं ।

पहली बात तो यह है जैसा कि मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया था कि फीस मुकदमों में आज नहीं करना चाहिये लेकिन यदि सम्भव न हो और सरकार की वह स्थिति न हो तो जैसे दूसरे देशों में होता है, रूस में, इंगलैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका में होता है कि वहां केवल इंस्टीट्यूशनल फी लगती है वही लगे ।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए) ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह से कि दूसरे देशों में जूडीशियल आफिसर्स हैं उन की तनख्वाह कोर्टफीस में नहीं बल्कि जनरल रेवेन्यूज़ में जाती है वैसे ही यहां भी वह जनरल

रेवेन्यज में जाय। इस के अलावा जो वेरियस स्टेजेज पर कोर्टफीस ली जाती है वह हर स्टेज पर चार्ज न की जाय। ४-५ रुपया नकल में खर्च हो जाते हैं फिर कोर्टफीस लगाना पड़ता है, यह सब बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उसके बाद फिर अपील में फीस लगती है, इस तरह की जो दुबारा फीस ली जाती है वह न ली जाय या आधी ली जाय। इस तरह से मुकदमे से पहले और बाद में जो फीस ली जाती है वह ड्योढ़ी हो जाती है, इस तरह से जो अधिक फीस ली जाती है वह रिफंड भी हो सकती है। इस से जनता को भी न्याय पाने में जरा सांस लेने का मौका मिलेगा और सरकार को भी बजट में ज्यादा रुपया अनुमान कर के न रखना पड़ेगा।

एक बात मैं और कहूंगा कि अभी मंत्री जी ने कहा था कि हम इमारतें कचेहरियों की बनाते हैं। इसमें गरीब मुकदमें वालों का जरूर ख्याल रखें क्योंकि ज्यादातर केसेज ऐसे होते हैं कि जिनकी वेल्यूएशन हजार रुपए से ज्यादा नहीं होती और वह अपने जीवन की सारी कमाई खर्च कर के किसी तरह से मुकदमा लड़ता है। ५०,००० रुपया अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जजी के लिये रखा गया है यह एक नमूना है, वह इमारत ऐसी है कि जो अभी रिपेयर करा के कई साल चल सकती है लेकिन एक जज साहब वहां रहे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर हो गये उन को ज्यादा किराया देना पड़ता था। १,८०० रुपया पाते थे जिसके मुताबिक उनको १८० रु० किराया देना पड़ता था। उन्होंने रिपोर्ट करवा दी कि इमारत की खस्ता हालत है। और यह इसलिये लिखवाया कि उनका रेंट कम हो जाय। उनकी वही रिपोर्ट काम कर गई। ६०,००० रु० की इमारत, जो रिपेयर करा कर ठीक हो सकती थी, अब गिरा दी जायगी।

अब मैं जुडिशियरी के बारे में मोटी-मोटी बात कहूंगा। पहले ला विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उस विभाग के किसी अधिकारी के प्रति अनादर का भाव प्रकट नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ला विभाग कुशलतापूर्वक काम नहीं करता है। इसके आर्गेनाइजेशन की जरूरत है। अगर यह तीन विभागों में बांट दिया जाय तो अच्छी तरह से काम चल सकता है। एक तो वह विभाग हो जो सलाह दे, दूसरे विभाग ड्राफ्टिंग करें और तीसरा विभाग लिटिगेशन में भाग ले। अभी एफीशियेंटली काम इसलिये नहीं हो पाता कि ड्राफ्टिंग बहुत पुअर होती है। सबसे अच्छी ड्राफ्टिंग वकील कर सकते हैं जिनकी जिन्दगी ही इस काम में बीतती है। आप योग्य वकीलों की सर्विसेज रिक्वीजीशन करें और उनसे ड्राफ्टिंग करवायें। आपके जजेज दो वकीलों की राय सुन कर उन्हीं के चुने हुये विचार को अपने जजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से यदि लिटिगेशन की बात आये तो आप उन्हीं से सलाह लेते हैं जो वकीलों की बहस सुन कर अपना जजमेंट लिखते हैं। तो ऐसे आदमी कैसे आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं और यही कारण है कि सरकार ८० फीसदी केसेज हारती है। अगर सरकार अच्छे वकीलों की सेवायें ले तो अच्छी ड्राफ्टिंग हो सकती है और न्याय विभाग अपना सारा काम एफीशियेंटली चला सकता है।

अभी पंचायत राज ऐक्ट की ड्राफ्टिंग हुई। उसमें यह हुआ कि चूंकि एस०डी०ओज० ओवर बर्डन रहते हैं इसलिये इस पिटीशन के अधीन चलने वाले सब मुकदमें जुडिशियल अफसर के पास चले जायेंगे। जब हाई कोर्ट में केस चला तो पता चला कि ड्राफ्टिंग गलत थी इसलिये सब केसेज फिर एस०डी०ओज० को जाने लगे। रेंट कंट्रोल ऐक्ट को आप देखें। हाई कोर्ट की रूलिंग हुई है कि सारे ऐक्ट की ओवर हालिंग होनी चाहिये। इसलिये निवेदन है कि ड्राफ्टिंग और एडवाइस के लिये उचित मार्ग निकाला जाय। और यह तभी हो सकता है जब बजाय अफसर काडर के लोगों के रखने के वकीलों में से लोगों की सर्विसेज रिक्वीजीशन की जायं जिस प्रकार से जजेज में वकीलों को रखा जाने लगा है।

अब मैं गवर्नमेंट एडवोकेट्स के एप्वाइंटमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। अभी हाल में मुझे पता चला कि रायबरेली के गवर्नमेंट एडवोकेट की नियुक्ति कैसे हुई। मैं पहले एडवोकेट जनरल

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

ही के बारे में भी कहना चाहता हूं कि वह होल टाइम एडवोकेट जनरल स्टेट के लिये होना चाहिये। आप चाहे उसकी तनख्वाह बढ़ा दें, चाहे उसके असिस्टेन्ट्स और बढ़ा दें, पर उसको प्राइवेट प्रेक्टिस न करने दी जांय। अन्यथा होता यह है कि वह स्टेट के मुकदमों में अपना पूरा समय नहीं दे पाते, योग्यतापूर्वक सलाह नहीं दे सकते। यही स्टेट के हारने का कारण है।

जो सरकारी एडवोकेट्स की नियुक्तियां होती हैं वह पोलिटिकल बेसिस पर होती हैं। इतना विषाक्त वातावरण है कि हम लोग काफी दुखी हैं। अभी हाल में एक सर्कुलर निकला कि काउन्सिल के मेम्बर जहां नहीं होंगे वहां एक कोई आदमी नामीनेट किया जायगा। जब सरपंच की नियुक्ति होगी तो एक लोकल आदमी होगा। अब अगर कोई कांग्रेसी एम०एल०ए० हार गया तो वह नामीनेट हो जायगा। अगर कोई एम०एल०सी० उस कांस्टीट्यूएंसी से नहीं है, जो जाहिर है कि नहीं हर जगह से हो सकता, तो मतलब साफ हो जाता है कि जो कांग्रेसी एम० एल० ए० हार गया है उसी को बनाना चाहते हैं। एक तो अन्तरिम जिला परिषद् में आदमी रहेगा। कलेक्टर रहेगा। ईमानदारी से नियुक्ति नहीं हो सकती। कांग्रेस के दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं जो हारे हुये व्यक्ति हैं। उनको रिकमेंड किया जायगा। तो जो गवर्नमेंट एडवोकेट का एप्वाइंटमेंट है वह बड़ा डिफेक्टिव है। पोलिटिकल बेसिस पर होता है। रायबरेली में मुझे सूचना मिली है कि न्याय मंत्री भी जानते हैं कि ३१ मार्च, १९६१ को डी०जी०सी० रिटायर हुये। दूसरे आदमी ने चार्ज ले लिया लेकिन एक महीने बाद जो रिटायर्ड कर दिये गये थे उनको फिर से रिएम्पलाय कर लिया गया। अब श्रीमन्, सोचें कि दफा ८० का नोटिस हमारे खिलाफ सर्व हुआ और उनके हाथ में गया तो स्थिति क्या होगी? आज पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्ति, हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति, जितनी नियुक्तियां हो रही हैं उनके संबंध में प्रजातंत्र के प्रेमियों के दिल में असंतोष व्याप्त है। क्या नीचे से और योग्य वकीलों से हाईकोर्ट के जजेज को नहीं लिया जा सकता? पोलिटिकल एप्वाइंटमेन्ट्स क्यों किये जाते हैं? लेकिन देखा यह जा रहा है कि चाहे जुडिशियरी हो, चाहे जजेज हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स हों उनमें जो नियुक्तियां हो रही हैं सब पोलिटिकल हैं। समाज में इस संबंध में बड़ा दुख व्याप्त है।

मंत्री जी ने कहा है कि सेपरेशन आफ जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में लिप सिम्पेथी की जाती है। शायद हमारे मंत्री महोदय भी लिप सिम्पेथी ही कर गये। हमारा कांस्टीट्यूशन कहता है कि जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव को अलैहदा किया जाय। हाई कोर्ट के जजेज का ट्रान्सफर होना चाहिये और पेनल होना चाहिये। एक आल इंडिया नीति जुडीशियरी के बारे में होना चाहिये ताकि लोकल गवर्नमेंट का उन पर कोई असर न रहे। आजकल जुडीशियरी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गयी है। प्रजातंत्र का अभिमान जुडीशियरी है लेकिन अगर जुडीशियरी में पोलिटिकल एप्वाइंटमेन्ट्स होंगे तो इंडिपेन्डेन्स कहां रह जायगी। अगर पोलिटिकल आदमी डिस्ट्रिक्ट जजेज, हाई कोर्ट जजेज और वाइस-चांसलर बनाये जायेंगे तो जुडीशियरी जहन्नुम में चली जायगी। हर व्यक्ति हाड़ मास का है। वह सोचता है कि सरकार की मर्जी के माफिक काम करेगा तो वह गुड बुक्स में रहेगा और रिटायर होने के बाद वाइस-चांसलर बना दिया जायगा या हाईकोर्ट का जज बना दिया जायगा, लिहाजा वह गवर्नमेन्ट के पक्ष में इंटरप्रिटेशन करेगा, न्याय की बात नहीं देखेगा। अंग्रेजों के जमाने में हम कहा करते थे और सरकार से लड़ते थे कि जुडीशियरी और एग्जीक्युटिव का सेपरेशन होना चाहिये। आज हम पंचायत की उस तह तक पहुंच गये। हमारे आदमी वहां भी नामिनेट होंगे, जज की ही बात नहीं है। मेरा कहना है कि उनकी रिटायरमेन्ट एज बढ़ाइये, उनकी तनख्वाह बढ़ाइये और इस प्रकार से उनको संतुष्ट किया जाय। लेकिन कोई पोलिटिकल एप्वाइंटमेन्ट नहीं होना चाहिये, पार्टी एफिलियेशन नहीं होना चाहिये।

एक मैंने आर्टिकिल पढ़ा था। उसमें लिखा था कि हमारे चीफ जस्टिस आते हैं और चीफ मिनिस्टर उनका इंटरव्यू करते हैं। वह भी समझ गये यही मालिक हैं जो रिकमेंड करते हैं हमारे एप्वाइंटमेन्ट के लिये। ऊपर से नीचे तक एक सूत्र है। वे सब सूत्र हमको गवर्न करते

हैं तो बड़ा अनर्थ सारे देश में होने की आशंका होती है। सेपरेशन आफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में ए० डी० एम० (जे) बना दिये गये और कह दिया कि हमने सेपरेशन कर दिया। अब जरा देखें कि ये ए० डी० एम० (जे) कितने इंडिपेंडेन्ट हैं कि उनके कैरेक्टर रोल्स डी० एम० लिखते हैं। इनको छुट्टी कलेक्टर देता है। कलेक्टर जे० ओज० की मीटिंग बुलाते हैं और उसमें वहां के एस० पी० बैठे रहते हैं और कहते हैं कि हमारा फलां मुकदमा अमन-अमान का वह खारिज क्यों हो गया। आज हालत यह है कि ए० डी० एम० (जे) के नीचे स्टाफ उसके अन्डर में नहीं है, प्रोसेस सर्वर उसके अन्डर में नहीं है, क्रिमिनल रेकार्ड अन्डर में नहीं है। आज उसकी पोजीशन बड़ी हास्यास्पद बनी हुई है जिसके बारे में न्याय मंत्री जी उसके कह गये कि सेपरेशन आफ एग्जीक्यूटिव और जुडीशरी हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—आप कितना समय और लेंगे ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—पांच मिनट और दे दें।

एक बात मैं बता दूं कि ला कमीशन ने कोर्ट फीस के बारे में क्या कहा है—

"It is obvious therefore that a State which levies an exorbitant tax for making available its machinery for the administration of justice to the ordinary citizen fails to perform one of its elementary functions. A modern welfare State cannot with any justification sell the dispensation of justice at a price. Perhaps a small regulatory fee may be justified, but the present scales of court-fees are wholly indefensible."

एक बात और कह दूं कदाचित् वह खड़े हो कर इसका उत्तर दें। कहा जाता है कि हमने एक सस्ते न्याय का उपाय कर दिया। मुझे खुद मालूम है, मैं उदाहरण दे सकता हूं, नाम बता सकता हूं, तीन-तीन, चार-चार वर्ष हो गये नित्यप्रति पंचायतों में दौड़ते हुये लेकिन मुकदमा अभी तक नहीं फैसल हो पाया। जितना रुपया वह कोर्ट फीस लगाने और वकील को देने में खर्च करता उससे कहीं ज्यादा खर्च हो गया है और आप कहते हैं कि हमने न्याय सस्ता कर दिया है।

दूसरी बात यह कि सिविल कोर्ट में जाते हैं तो बड़ी देरी हो जाती है। पचास साल पहले जो ला था आपने केवल उसको बढ़ाया है, उसमें सुधार नहीं किया है। आज तो एक ला कमीशन बिठाल दिया है पता नहीं किस को खिलाने-पिलाने के लिये। हमारे लेबर लीडर कितनी उचित बात कहते थे कि लेबर लाज नित्यप्रति बढ़ते जा रहे हैं। आपने एक लेबर ट्रिब्यूनल बना दिया ताकि वह सरकार की पालिसी को कैरी आउट करे। उनको हाई कोर्ट के मातहत करें ताकि उनकी अपीलें हाई कोर्ट में लाई करें। आज न्याय कहीं नहीं मिल पाता है। जो मौलिक अधिकार लेबर के हैं आज उनका फैसला एग्जीक्यूटिव से होता है। तो मेरी यह प्रार्थना है कि यदि मैंने जो कहा कि किसी के प्रति अनादर व्यक्त करते नहीं कहा, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर कहा और मेरा अनुरोध है कि सरकार इन बातों पर विचार करे और इन तरीकों पर अगर वह प्रेजेन्ट सिस्टम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस को बदलने की कोशिश करेगी तो जनता को बड़ी शांति मिलेगी।

आखिर में मेरी एक और प्रार्थना है कि गांव वातावरण को आप अधिक विषाक्त मत बनाइये। आज जिलाधीश कांग्रेस सरकार का है, अन्तरिम जिला परिषद् में कांग्रेस के लोग हैं। अब न्याय पंचायतों में अपने लोगों को न घुसेड़िये। आज जो कुछ किया गया है उसका ही नतीजा है कि आज पंचायतों में न्याय नहीं मिलता। मैं पंचायतों के विरोध में नहीं हूं। लेकिन श्रीमन्, इसमें अपढ़ लोग आ जाते हैं, बैड करेक्टर्स आ जाते हैं और ११० तथा ३०४ वाली दफाओं के लोग भी आ जाते हैं। ये लोग इलेक्शन लड़कर आ जाते हैं। इन दफाओं के मुलजिम आ जाते हैं और वे पंचायत में मुकदमों का फैसला करते हैं क्योंकि यह पोलिटिक्स है। जिसने उनको बनाया है उसके कहने के मुताबिक ही वे फैसला करेंगे। मैं पंचायतों के नाम जानता हूं और सरपंचों

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

तक के नाम बता सकता हूं जिनके जुल्मों के कारण हमारे जिले की जनता कराह उठी है । पांच वर्षों में मुझे याद है कि बहुत से मुकदमें गलत फैसल किये गये । हमारे मुन्सिफ और जुडीशियल आफिसर्स सुनते नहीं हैं और वह लोगल बात ही देखते हैं । मैं समझता हूं कि न्याय के हेतु इस पर उचित विचार किया जायगा । मैं आवश्यक समझता हूं कि पंचायत राज्य ऐक्ट में भी संशोधन होना चाहिये । इसमें अपील होनी चाहिये और खाली रिवीजन नहीं होनी चाहिये । फैक्ट्स भी देखे जाने चाहिये और एवीडेंस भी देखी जानी चाहिये । मैं चाहता हूं कि जो एक्जीक्यूटिव आफिसर्स हैं उनके हाथ ढीले होने चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं ।

श्री ब्रजभूषणशरण (जिला देहरादून)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं न्याय मंत्री द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, अभी माननीय सदस्य जो विरोधी दल की ओर से प्रस्ताव पेश कर रहे थे उन्होंने कुछ सुझाव दिये और घुमा फिरा कर हर सुझाव का मतलब यह था कि कोर्ट फीस कम कर दी जाय और कमी करने के लिये उन्होंने कहा है कि ला आफिसर्स को एबालिश कर दिया जाय और बहुत सी बिल्डिंग्स न बनाई जांय वगैरा, वगैरा । इस तरह से उन्होंने सुझाव दिया है कि रुपया बचाया जाय और कोर्ट फीस कम की जाय । जहां तक कोर्ट फीस के बढ़ाने या कम करने का ताल्लुक है मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि कोर्ट फीस बहुत ज्यादा तादात में ली जाय या बढ़ाई जाय या जितनी है उतनी रखी जाय । इसको कम करने में कोई हर्ज नहीं है । यह कायदे की बात है और कम होनी चाहिये । लेकिन यह कि ला आफिसर्स एबोलिश कर दिये जायं, ला डिपार्टमेन्ट खत्म कर दिया जाय, गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स खत्म कर दिये जायं और तब कोर्ट फीस माफ कर दी जाय यदि ऐसा हो जाय क्या पिक्चर होगी इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है ।

श्रीमन्, एक दलील यह दी गई कि यह कहां का न्याय है कि लोग मुकदमा लड़ने में अपना खर्च करें और स्टेट के लिये भी खर्चा करें और स्टेट के लिये खर्च करने की बात का जिक्र किस तरह से किया कि वह टैक्स पेयर है फिर तो स्टेट के बाहर का आदमी होना चाहिये । अगर अपनी स्टेट होगी तो वह टैक्स पर चलेगी तो लाजमी उग्र है कि वह टैक्स पेयर होगा जो गवर्नमेंट के खिलाफ लिटिगेंट होगा । बाहर का आदमी हो तो यह मुमकिन हो सकता है । जब तक डैमोक्रैटिक स्टेट रहेगी और हर नौजवान को वोट देने का अधिकार होगा वह वेलफेयर स्टेट होगी और सब काम आपके वेलफेयर के लिये करेगी तो अगर वह मुकदमा लड़ेगी तो फन्ड्स कहां से लायेगी । क्या उनकी मंशा अमरीकन एड से मीट करने की है । अन्यथा टैक्स पेयर को देना होगा । इंडिविजुअल और स्टेट में कोई भेद नहीं है । तमाम इंडिविजुअल को मिलाकर एक स्टेट होती है । कुछ लोग डैमोक्रेटिक पद्धति से चुने जाते हैं और फिर स्टेट बनती है । लेकिन अगर कोई आदमी मुकदमा लड़ेगा स्टेट से तो उसका भार तो पड़ेगा ही एक्स चेकर पर । इसलिये यह दलील कि अपनी तरफ से टैक्स की शक्ल में देना पड़ता है और कोर्ट फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसलिये कोर्ट फीस को कम करने के लिये गवर्नमेंट एडवोकेट्स को एबोलिश कर दिया जाय, ठीक नहीं है । अगर इनको एबोलिश कर देंगे तो स्टेट को कौन डिफेंड करेगा ।

एक बात सेक्शन ८० के मुताल्लिक कही गई कि ज्यादातर ला आफिसर्स राय नहीं देते हैं कि इसमें कम्प्रोमाइज कर लिया जाय । हमने ८० के नोटिस को देखा है और उसमें कमजोर प्वाइंट है तो राय मिलती है कि कम्प्रोमाइज कर लिया जाय । लेकिन रोज-रोज यह राय नहीं मिलती है क्योंकि सब के तजुर्बे की बात है कि मामूली से बहाने पर गवर्नमेंट को बैम्बूजल करने के लिये नोटिस दे देते हैं क्योंकि जानते हैं कि किसी का कोई खास इन्टरेस्ट नहीं होता है । अगर हमारे ला आफिसर्स सलाह दे दें कि तस्फिया कर लो तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है । मगर यह प्रश्न उठा कि वह अपनी जिम्मेदारी छोड़ कर राय दे दिया करें कि तस्फिया कर लिया जाय । यह तो धोखा हो जायगा और जिसके इन्टरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिये रखे गये हैं

उसके बिलकुल प्रतिकूल काम करेंगे । मैं समझता हूं कि यह भी कोई दलील नहीं है ला आफिसर्स को खत्म करने के लिये ज्यादातर वह दफा ८० में कम्प्रोमाइज करने के लिये राय नहीं देते ।

विरोधी दल के माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया कि ला आफिसर्स लाइर्स में से होने चाहिये । इससे मैं सहमत हूं । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर गम्भीरता से विचार करें । जजेज वैसे ही कम हैं और इतने एक्सपीरिएन्स्ड आफिसर्स को यहां ले लेते हैं । फिर मुकदमें एरियर्स में पड़ जाते हैं । यह परेशानी रोज रहती है कि सिविल केसेज दस-दस साल, पांच-पांच साल से पड़े हुये हैं । इस लिये जुडीशियल आफिसर्स को ला आफिसर्स न बनाया जाय । वह अपने काम में एक्सपीरिएन्स्ड होते हैं, लिहाजा उनसे वही काम लिया जाय । जैसा कि अभी तक विरोधी दल की तरफ से सुझाव आया है कि मुफस्सिल में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट में जो लायक वकील हैं, उनकी सर्विसेज इस मामले में अवेल की जायं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---जो सरकार के वकील हैं और सरकार का पक्ष मजबूत होते हुये भी दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री ब्रजभूषणशरण---जो ऊदल जी ने प्रश्न किया है, मैं उसी संबंध में आ रहा था । मैं पहले उसी का जवाब दे दूं । यह जो प्रश्न किया गया है कि सरकारी वकील दूसरे पक्ष से मिल जाते हैं और मुकदमा हरवा देते हैं और यह जो दलील दी गयी है कि पालिटिकल अप्वाइंटमेन्ट्स न किये जायं, यह जो वाइस-चांसलर वगैरह बना देते हैं, इससे वह इन्साफ नहीं कर पाते, इस सोच में रहते हैं कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला किया तो कोई पालिटिकल अप्वाइंटमेन्ट्स नहीं मिलेगा, यह तथ्यहीन दलीलें हैं । उसकी वजह यह है कि महज पालिटिकल अप्वाइन्टमेन्ट हटा देने से काम नहीं चलेगा । या तो यह कानून बना दिया जाय, कि उनकी पहली शर्त यह होगी कि उनकी शादी न हो, दूसरी शर्त यह होगी कि कोई जिन्दा रिश्तेदार न हो, क्योंकि जब लड़के पैदा होंगे तो उसको नौकरी की जरूरत होगी, रिश्तेदार होंगे तो कहीं परमिट की जरूरत होगी कहीं कुछ । तो यह तो हमारे चरित्र के ऊपर हमला है । अगर एक वकील है, कल वह सरकारी वकील बन जाता है और दूसरे पक्ष से मिल कर अपनी जेब भरता है तो इसमें पद का कुसूर थोड़े ही है । यह तो हमारे चरित्र का कुसूर है । अगर हम लोग सभी इस किस्म के हैं कि अगर हम जज मुकर्रर किये जायं तो हर वक्त यह सोचते रहेंगे कि हमारे लड़के को नौकरी कैसे मिलेगी, हम वाइस-चांसलर कैसे बनेंगे, अगर सरकार से बिगाड़ लेंगे तो इसका हल यही है कि न कोई लड़का हो, न कोई रिश्तेदार हो । लेकिन इसका तरीका यही है कि अच्छे से अच्छे कम्पेटीटिव एक्जामिनेशंस किये जाते हैं और बढ़िया से बढ़िया मुन्सिफ लिये जाते हैं । लायक से लायक आदमियों का प्रोमोशन किया जाय । मगर हमारा चरित्र हजार पन्द्रह सौ वर्ष से गिर चुका है, उसको सुधरते सुधरते सौ दो सौ वर्ष लगेंगे ? हमारे समाज में ईमानदार और बेईमान सभी मौजूद हैं । किसी को भी भेज देंगे, जब वह गड़बड़ी करने लगेगा तो सरकार क्या कर सकती है उसमें ?

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि माननीय विरोधी दल के जो सदस्य बोल रहे थे उन्होंने बोलते बोलते यह भी कहा कि न्याय पंचायतें खत्म कर देनी चाहिये क्योंकि इससे गांव का वातावरण बहुत दूषित हो गया है ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---मैंने कभी नहीं कहा कि खत्म कर देना चाहिये ।

श्री ब्रजभूषणशरण---बहरहाल, अगर आपने कहा नहीं है तो कोई बात नहीं । मैं उसके विरोध में नहीं हूं । मैं आप ही की बात का समर्थन करने जा रहा हूं । न्याय पंचायतों से जो वातावरण दूषित हो गया है और जिस तरह की पंचायतें हमने बनायी हैं इस वक्त वह कुछ ठीक नहीं हैं । डेवलपमेंट का काम करने के लिये, ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज बना दें, कुछ भी बना दें, वह सब चीजें तो ठीक हैं । लेकिन जहां न्याय का काम करने के लिये एलेक्टेड

[श्री व्रजभूषणशरण]

बाडीज बनती हैं, वह मुनासिब नहीं है। मैं सरकार से यह नम्रता से निवेदन करूंगा कि इस सुझाव पर वह गौर करें क्योंकि जो चुनी हुई बाडीज हैं उनको न्याय का काम नहीं सुपुर्द करना चाहिये।

और सब बातों का जवाब मैं इस समय नहीं देना चाहता। मुझे भी दो एक सुझाव देने हैं। जैसा बताया गया इसमें तो कोई शक नहीं है कि लिटिगेंट पब्लिक भी परेशान है और कोर्ट फीस भी घटायी नहीं जा सकती है। हमारी फाइनेंसेज उसके लिये परमिट नहीं करतीं। (व्यवधान) अगर इस तरीके से घटाने की बात है कि ला आफिसर्स को खत्म करके और बिल्डिंग न बना करके घटायी जा सकती है तो वह बात गलत है क्योंकि आप बिल्डिंग नहीं बनायेंगे, ठीक से उनको बैठने की जगह नहीं देंगे तो वह काम कैसे कर सकते हैं? लेकिन यह मैं जरूर निवेदन करूंगा सरकार से कि एक काम तो बहुत आसानी से किया जा सकता है और इसे करने में कोई कठिनाई नहीं है। यह कुछ समझ में नहीं आता कि जुडिशियल आफिसर्स आपने बना दिये। रोज-रोज दूसरी तरफ से यह क्रिटिसिज्म होता है कि आपने एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग-अलग नहीं किया और रोज-रोज कहा जाता है कि हमने तो अलग कर दिया, कमिश्नर के मातहत कर दिया। क्या खर्चा बढ़ जायगा अगर कमिश्नर जुडिशियल आफिसर का कैरेक्टर रोल न लिखकर के सेशंस जज उसे लिखने लगे और अगर वह कमिश्नर के अन्डर काम न करके हाई कोर्ट के अंडर काम करने लगे तो खर्चा कैसे बढ़ जायगा? तो यह दलील कुछ समझ में नहीं आयी। मैं सरकार से नम्रता से निवेदन करूंगा कि चाहे जो आप कर रहे हैं वह ठीक भी हो लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा सुझाव इस किस्म का आता है जिसमें कोई नुक्सान नहीं है और जन-साधारण को उससे फायदा मिल सकता है तो उसको मान लेने में आपको क्या दिक्कत है?

मान्यवर, एक सुझाव और देकर खत्म करता हूं कि एक चीज है जिससे लिटिगेंट पब्लिक परेशान है। कोर्ट फीस एक रुपये के टिकट के बजाय बीस आने कर दिया जाय, बाइस आने कर दिया जाय, इसमें उसको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भी अदालतों में जाता हूं। मेरा भी तजुर्बा है, और मैं जानता हूं, मुकदमेबाजी में आदमी का जो रुपया खर्च होता है वह कोर्टफीस में बहुत कम होता है। कोर्टफीस अगर ज्यादा लगती है तो वह बड़े-बड़े आदमियों के मुकदमों में लगती है जिसमें दस दस लाख का दावा होता है। तो उनके पास पैसा भी इतना ज्यादा होता है कि वह उसे दे सकते हैं। तो असली दिक्कत यह नहीं है। दिक्कत तो यह है कि मैजिस्ट्रेट साहब, मुन्सिफ साहब या जज साहब तारीख मुकदमे की मुकर्रर कर देते हैं। वह गवाहों को लेकर आता है, वकील को लेकर आता है और यहां पता लगाता है कि जज साहब छुट्टी पर चले गये, मैजिस्ट्रेट साहब बाहर दौरे पर चले गये। तो इसमें वह मर जाता है और सचमुच इस कारण से इंसाफ नहीं मिल पाता। इसके लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं और उसके लिये किसी कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है सिर्फ एक जी० ओ० की जरूरत है। एक जी० ओ० यहां से चला जाय जिसमें इसकी जिम्मेदारी उन आफिशियल्स पर डाल दी जाय, यह उनकी छुट्टी में शामिल कर दिया जाय कि अगर जज साहब छुट्टी पर जाने वाले हैं, या बाहर दौरे पर जाने वाले हैं और मुकदमे की तारीख बदलती है तो वह उनको फौरन रजिस्टर्ड पोस्ट से इंफार्म कर दें कि आपके मुकदमे की तारीख फलां से फलां हो गई है। अगर वह नहीं भेजते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही डिपार्टमेंटल ऐक्शन लेना चाहिये। इससे बहुत सी लोगों की परेशानी बच जायगी और एक रुपया से सवा रुपया कोर्ट फीस हो जाने से कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है।

दूसरी चीज यह है कि छोटे-छोटे मुकदमों में अगर दूसरी कंट्रीज का मुलाहिजा फरमायें तो जैसे मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट का मुकदमा है, मैंने मोटर ज्यादा तेज चला दी, तो क्या जरूरत है कि मेरे पास एक समन पहुंचे कि आपको हुक्म दिया जाता है कि फलां तारीख को असालतन या वकालतन हाजिर होकर यह करो वह करो। सीधे-सीधे भेजना चाहिये कि आपने फलां दिन फलां रूल का ब्रीच किया है आप यदि सहमत हैं तो १५ रुपया जुर्माना भेज दिया जाय। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सुधार हो सकता है और सुधारा जा सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं

जो दीवानी की ब्रीच से सम्बन्ध रखती हैं। जिस रोज उनका मुकदमा चलता है वह उसी रोज खत्म हो सकते हैं। उनको लिख देना चाहिये कि वह असालतन या वकालतन उसको भेज दें। कुछ कम्पनी ला के अन्दर मुकदमे होते हैं। जो उसी तारीख को खत्म हो सकते हैं। कुछ लेबर वगैरा के फैक्टरी ऐक्ट के मुकदमे चलते रहते हैं इन सब में भी यही काम होता है। इस वजह से काम बढ़ जाता है कि उनके डिटेल में जाने की बात हो जाती है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस प्रकार की व्यवस्था गवर्नमेन्ट आर्डर से की जा सकती है। श्रीमन्, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतने समय बोलने का अवसर प्रदान किया।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)——उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय त्रिपाठी जी ने सदन के सामने रखा है मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब न्याय के प्रश्न की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो हम यह देखते हैं कि जितने लेजिस्लेशन के काम हैं वह तीन तरह से हुआ करते हैं। उनमें लेजिस्लेशन एक्जिक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेशन का काम है कानून का बनाना। एक्जिक्यूटिव का काम है सही तरीके से उस कानून को प्रयोग में लाना और जहां तक जुडिशियरी का सवाल है उसका काम है न्याय कराना या जो कानून का ब्रीच करते हैं उनको सजा देना। यह तीन तरह की चीजें हैं। अब यह सवाल उठता है कि अगर लेजिस्लेचर और एक्जिक्यूटिव को साथ कर दें या एक्जिक्यूटिव और जुडिशियरी को साथ कर दें तो उसका नतीजा क्या होगा। यह एक गम्भीर प्रश्न है जिसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। अभी मंत्री जी ने बतलाया कि जहां तक जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव के सेपरेशन का सवाल है हमने जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव का सेपरेशन कर दिया है। मैं यह भी कहूंगा कि जहां तक क्रिमिनल कोर्ट का सवाल है उसके लिये जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको, हमने कमिश्नर के अन्डर थे, और अलग थे, उनको अब ए०डी०एम० (जे) के अन्डर कर दिया है। मेरी समझ में जहां तक आता है ए०डी०एम० (जे) भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्डर रहता है और एक्जिक्यूटिव के जितने फोर्सेज हैं वह सब उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेशों के या विचारधारा के विपरीत किसी तरह से जा सके। इसका कारण यह है कि उसके कैरेक्टर रोल का जितना वर्क है वह सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देखता है और उसके खिलाफ भी जितनी रिपोर्ट होती हैं वह सब-डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये से ही गवर्नमेन्ट के पास आती हैं। तो ऐसा आदमी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्डर हो चाहे डाइरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह एक्जिक्यूटिव के फोर्सेज से कभी भी परे होगा। ऐसी सूरत में जहां तक यह एक्जिक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन का सवाल है इसके कुछ उसूल हैं जिनके ऊपर यह सेपरेशन किया गया। पहला उसूल यह है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर जितने नानकाग्नेजेबिल केसेज थे उन केसेज के इन्वेस्टीगेशन का जो मैजिस्ट्रेट होता है वही आदेश देता है। चूंकि मैजिस्ट्रेट जब किसी जुर्म की बाबत किसी नान-काग्नेजेबिल केस के इन्वेस्टीगेशन का आदेश देगा तो यह समझा जाता है कि वह कम्प्लेनेन्ट है तो उसको केस की ट्राई करने का अधिकार नहीं होना चाहिये इसीलिये यह समझा गया कि इसका सेपरेशन किया जाय जुडिशरी से। आजकल आप जानते हैं कि जितनी हमारी मजिस्ट्रेसी हैं उसको जिला परिषद् में वोट करने की पावर दे दी गई है। जब वे गवर्नमेन्ट के अन्डर इन्फ्लुएन्स हैं और वोट देने की पावर उनको दी गई है। तो उनके ऊपर हरएक तरफ से दबाव किसी का पड़ सकता है। इसलिये हम उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उनसे फेयर जस्टिस होगी। जहां तक सरकार ने सेपरेशन किया है उस सेपरेशन में यह देखा जा रहा है कि १०७, १०९, ११० और फायर आर्म्स के केसेज उनको दिये गये हैं। जब हमारी निगाहें १०९ और ११० की ओर जाती हैं तो हम देखते हैं कि पुलिस एक नकशा एस०डी०एम० को पेश करती है और उसे जब वह स्वीकार कर लेते हैं तो ११० का मुकदमा चलाया जाता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नान-काग्नीजेबिल आफेंसेज के लिये मैजिस्ट्रेट आदेश देता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

दूसरी तरफ जब एस०डी०एम० वह नक्शा मंजूर करता है तो उसके बाद किसी आदमी को कंविक्शन के लिये उसकी अदालत में पेश करना, उसका ट्रायल करना कुछ उचित समझ में नहीं आता। यह एक गंभीर प्रश्न है और मेरा ख्याल है कि प्रिवेंटिव केसेज भी उनसे हटा लेने चाहिये।

इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हर आदमी उम्मीद करता है कि हमें न्याय सस्ता मिले, जल्दी मिले और अच्छा मिले। सस्ते न्याय के सम्बन्ध में सरकार ने एक राग अलापा और कहा कि चकबंदी में हमने सस्ता न्याय दिया है, यहां तक कि कोर्टफीस भी माफ कर दी, लेकिन सरकार ने एक तरह से न्याय का हनन किया है। सी०ओ०, एस०ओ० सी० और डिप्टी डाइरेक्टर को जो पावर दिये गये हैं उनका वे बुरी तरह इस्तेमाल करते हैं और इस सम्बन्ध में मैं उस स्पेशल ड्राइव की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो मार्च के महीने में इस विभाग में होता है। उसमें दो, तीन सौ अपीलें एक एक साथ सुनी जाती हैं, जजमेंट लिखे नहीं जाते लेकिन अपीलों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कानून में है कि अपील का हक है और कई जगह है, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं। अगर नीचे से किसी का काम नहीं हुआ तो ऊपर भी वे रिजेक्ट करते चले जाते हैं।

हाईकोर्ट में जरूर रिट के जरिये शेल्टर सीक करने की गुंजायश थी लेकिन जब उसकी फीस भी आपने ५ रुपये से बढ़ा कर ५० रुपये कर दी है। इससे गरीब आदमी अपनी सुनवाई वहां नहीं करा सकता। मुझे खुशी है कि हमारे जो जुडिशियल जजेज हैं आनरेबिल हाईकोर्ट के उन्होंने कुछ स्वतंत्रता का परिचय हमें दिया है और बहुत से क्रिमिनल केसेज में पुलिस वालों के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं, लेकिन हमने देखा कि सदन में मिनिस्टर साहबान का उनके लिये क्या रुख है और वे भी अन्य तरीकों से दबाये जा रहे हैं और कोशिश यह की जा रही है कि वे ऐसे स्ट्रिक्चर्स न पास करें। इस बारे में एक जज ने अपना तजुर्बा रखा है ला कमीशन आफ इंडिया के सामने, जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। उसमें उन्होंने यह बतलाया है कि अगर मिनिस्ट्री का यही रवैया रहा तो कुछ दिनों के अन्दर ही जब यह पुराने जज निकल जायेंगे तो शायद फिर कोई भी ऐसा जज नहीं रहेगा जो डिपेंडेंट हो। यह अंग्रेजी में है, मैं उसे पढ़े देता हूं—

"If the State Ministry (Minister in the State Government) continues to have a powerful voice in the matter, in my opinion, in ten year's time, or so, when the last of the judges appointed under the old system will have disappeared, the independence of the judiciary will have disappeared and the High Courts will be filled with judges who owe their appointments to politicians."

मतलब कहने का यह है कि स्वतंत्रता हमारे जजों की समाप्त हो जायेगी।

सेपरेशन के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। जो पुलिस फोर्स के आदमी आज तक प्राजिक्यूशन में रहे हैं उससे बड़ी हानि हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उनसे न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर एक डाइरेक्टर पब्लिक प्राजिक्यूशन का अलग हर जिले में कर दिया जाय तो उससे काफी भला हो सकता है और न्याय मिल सकता है।

तीसरी बात यह है कि हम जो यह कहते हैं कि सिविल कोर्ट्स में करप्शन बढ़ा है तो उसका मुख्य कारण यह है कि वहां जो लोअर डिवीजन के कर्मचारी होते हैं उनका वेतन बहुत ही कम होता है। वहां एप्रेन्टिस जो होते हैं उनको ४० रुपये माहवार वेतन मिलता है, मुहर्रिर के २२ रुपये और सेवकगण को २२–३५ रुपये तक वेतन मिलता है। इतने कम वेतन में कोई भी व्यक्ति अपना पेट नहीं भर सकता और यही कारण है करप्शन का। हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे पढ़, उन्हें भरपेट भोजन मिले, पहनने को कपड़ा मिले, और इन्हीं बातों को ध्यान में रख

कर वह नौकरी करता है लेकिन जब उसको वेतन कम मिलता है तो वह करप्शन की ओर झुकता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि उन कर्मचारियों के वेतन स्केल को बढ़ाया जाय।

दूसरी बात यह है कि कोर्ट्स में साक्षीगण के स्टेट्स पर बहुत जोर दिया जाता है। जो लोग हाई स्टेट्स के होते हैं उनकी गवाही पर, उनकी बात पर बहुत विश्वास किया जाता है जब कि गरीब आदमी की बातों पर उतना विश्वास नहीं किया जाता। जब आपने एक गरीब आदमी को वोट का वही अधिकार दिया है जो आपने प्रधान मंत्री को दिया है, तो यहां पर भी एक गरीब आदमी के साक्ष्य पर विश्वास उतना ही किया जाना चाहिये जितना कि बड़े आदमी की बात पर। एक प्रणाली ऐसी बनाई जाय कि अगर एक गरीब आदमी ठीक बात को कहे तो उस पर भी विश्वास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जगन्नाथसिंह (जिला फतेहपुर)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज विरोधी पक्ष की तरफ से यह शिकायत की गयी कि न्याय सस्ता नहीं है, कोर्टफीस बढ़ी है, केसेज में डिले होती है तथा करप्शन है। कुछ और छोटी-छोटी बातें भी कही गयीं। जहां तक न्याय के महंगा होने की बात है, देखना यह है न्याय महंगा कौन बनाता है, सरकार बनाती है या हम बनाते हैं। कोर्ट्स फीस दो तरह की होती है एक क्रिमिनल केसेज में लगती है और एक सिविल केसेज में। क्रिमिनल केस की फीस सवा रुपया है—कागज फाइल करने की और वकालत नामा दाखिल करने की। इस तरह से पूरे केस में करीब ४—६ या दस रुपये का खर्च आता है। सिविल केसेज में बड़ी-बड़ी पार्टियां होती हैं और उनकी इतनी हैसियत होती है कि वे उसको बरदाश्त कर सकें। अगर कोई पार्टी गरीब है तो उसके लिये भी प्राविजन है, वह बिना कोर्ट्स फीस के केस दायर कर सकता है और सरकार उसको बाद में, यदि उसकी हैसियत देने लायक होती है तो वसूल करती है।

कोर्ट्स फीस बढ़ाने की जो बात कही गयी, सो पहले १२ आने थी फिर एक रुपया हुई, उसके बाद अब सवा रुपया हो गयी। जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा उनसे मैं यह बात कहना चाहूंगा कि आज मौजूदा जमाने में उस रुपये की कीमत को भी तो देख लिया जाय। रुपये की कीमत क्या तब थी और क्या अब है। अगर १२ आने के बजाय २० आने हो गये तो मैं समझता हूं कि वह भी कम है, कोई ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई, एक रुपये में पहले कितना गल्ला, घी और कितना सामान खरीदा जाता था और आज क्या कीमत है? इसलिये जो बढ़ाने का चार्ज है वह बेसलेस मालूम होता है।

अब सवाल यह है कि देर बहुत हो जाती है मुकदमों के फैसले में देर करने का जिम्मेदार कौन है। पहली चीज तो यह कि आपके बहुत से मुकदमे जुडीशियल आफिसर्स करते हैं। यह कहना कि वह दौरे पर चले जाते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मुकदमे बढ़ जाते हैं और लोग गवाहान को लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है। आपके जुडीशियल आफिसर्स का, मुंसिफ और जजेज का कोई दौरा नहीं होता है। हो सकता है साल, ६ महीने में एक आध दफा मौका मुआइना करने के लिये चले जायं। प्रायः वह भी छुट्टी के दिन जाते हैं। तो एक प्रैक्टिसिंग लायर की हैसियत से मैं यह कह सकता हूं कि इस तरह से मुकदमें बढ़ने का सवाल नहीं हो सकता, उसकी वजूहात दूसरी हैं। एक तो यह है कि हमारे ब्रीफ इसके लिये जिम्मेदार है। कुछ बड़े वकील जिनके पास काम ज्यादा है खुद ब्रीफ नहीं बना पाते हैं, मुकदमे तैयार नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह होता है कि कहना पड़ता है कि तारीख बढ़ाओ। दूसरी वजह यह है कि क्लाइंट कभी-कभी अपने गवाहान नहीं लाता, सिविल केस में अच्छी तरह से ब्रीफ नहीं हो पाती, जिससे मुकदमें बढ़ जाते हैं। क्रिमिनल केस में यह है कि फरीक ने गवाहान रखे। गवाहान का जो मारेल है, मैं जनरल नहीं कहता, लेकिन अधिकतर ऐसा है कि वह ठीक गवाही नहीं देते और न समय पर आते हैं। प्रासीक्यूशन के लिये परेशानी है। अगर (Prosecution)

[श्री जगन्नाथसिंह]

कायदे की कार्यवाही करता है तो कोई सच बात कहने के लिये तैयार नहीं है, इस वजह से मुकदमे बढ़ जाते हैं। यह कहा गया कि मुकदमे फाइल में बहुत रखे जाते हैं। लेकिन अदालतों का कोटा फिक्सड है मंथली, फोर्टनाइटली, सिक्स मंथली, थर्ड मंथली नक्शे कमिश्नर के पास आते हैं और हिदायत है कि इतने मुकदमे किये जायेंगे। अगर चार कर सकते हैं तो छः जरूर लगवाते हैं, इसलिये कि गवाहान कभी उसमें आवें या न आवें तो कुछ ज्यादा मुकदमे लिये जाते हैं और तब भी अक्सर ऐसा होता है कि बाज रोज तो मैंने देखा कि जज साहब बैठे हुये हैं, परेशान हैं कि रजिस्टर में काम क्या दिखायें। जुडीशियल आफिसर्स बैठे हुये हैं। रहे डिप्टी कलेक्टर्स तो उनके पास कोई मुकदमा नहीं है, फायर आर्म्स के मुकदमें, १०९, Cr. P. Cr. P. C. ११० के मुकदमे हैं, बाकी वह ऐडमिनिस्ट्रेशन में परेशान रहते हैं। तो मुकदमों की कमी से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। तो मेरी गुजारिश यह है कि मुकदमों के बढ़ाने की चीज डिपेंड करती है क्लाइंट पर, उसके कौंसिल पर और वहां की सरकमस्टांसेज पर। ऐसा होता है कि एक फरीक तैयार है, दूसरा तैयार नहीं है। आप फाइल उठाकर देखें कि रेवेन्यू और सिविल केसेज में हरजा इस बात पर दिया है दूसरे फरीक को कि वह मुकदमे के लिये तैयार नहीं है। यह कहना कि प्रेसाइडिंग आफिसर्स तारीख बढ़ा देते हैं, यह सही नहीं है।

जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, करप्शन मानसिक बीमारी है। एक आदमी की तनख्वाह बढ़ने से या कम होने से करप्शन दूर नहीं हो सकता। अगर दिमाग में लालच है तो किसी को आप २ हजार तनख्वाह दे दीजिये तब भी उसे टेम्पटेशन होगा पैसा लेने के लिये।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—यानी आप करप्शन को मानसिक बीमारी कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जो उनकी राय हो उसे सुनिये आप।

श्री जगन्नाथसिंह—मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। मैं जानता हूं इन बातों को। अगर थोड़ी तनख्वाह वाला सही दिमाग का आदमी है तो वह थोड़े में गुजर करेगा और संतोष उसे रहेगा, लेकिन एक बड़ी तनख्वाह वाला हो सकता है कि वह न माने। यह तो एक किस्म की मानसिक बीमारी है। यह तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हर आदमी और आप मिलकर इसको दूर न करें। खाली असेम्बली हाउस में तकरीर कर देने से या बाहर तकरीर कर देने से कुछ नहीं हो सकता। यह एक दिन की बात नहीं है। जब तक हमारा नैतिक स्टैन्डर्ड ऊंचा नहीं होगा तब तक करप्शन दूर होने की बात हो ही नहीं सकती। अब आप विटनेसेज के करप्शन की बात भी देख लीजिये। कोर्ट में एक विटनेस एक आदमी के साथ आता है गवाही देने के लिये लेकिन बाद में दूसरे के साथ हो जाता है। तो इस करप्शन को कौन दूर करेगा। हम और आप ही पेशकार को करप्ट बनाते हैं। हम और आप ही उससे कहते हैं कि अमुक मुकदमे की पुकार बाद में होनी चाहिये। तो सोसायटी ही करप्शन को पैदा करती है। अगर हम थोड़ा-सा संतोष कर लें और रिश्वत देने की बात छोड़ दें तो दूसरी ही बात हो जाय। जिम्मेदार हम और आप ही हैं।

ला कमीशन के बारे में मुझे यह कहना है कि उसमें बड़े-बड़े कानून विशेषज्ञ को रखा गया है, उसमें कुछ लोकल लाइयर्स को भी रखना चाहिये। क्योंकि छोटी अदालतों में क्या डिफीकल्टीज होती हैं उनका ज्यादा तजुर्बा माननीय मंत्री को नहीं हो सकता और न उन लोगों को हो सकता है। जो विशेषज्ञ आल इंडिया ला कमीशन जो बना था तो दो दिनों तक कैबिनेट में बहस हुई थी और बाद में उन्होंने यह क्लाज जोड़ा था कि लोकल बार के दो आदमी रखे जायं जोकि असलियत और डिफीकल्टीज को बता सकें।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री जगन्नाथसिंह—अच्छी बात है ।

प्राजीक्यूशन स्टाफ की कमी की वजह से भी डिले होती है । लोअर कोर्ट्स का प्रासीक्यूसन स्टाफ भी इतना ओवर वर्क्ड है कि जितना काम करना चाहिये उतना काम वह नहीं कर पाता है । यही हाल सेशन कोर्ट्स का भी है । आपने डी०जी०सी० तो एप्वाइंट कर दिये लेकिन उनको एक क्लर्क तक नहीं दिया ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो न्याय का विषय उपस्थित है उस पर मैं दो घंटे से बहस सुन रहा हूं । देखा यह गया कि माननीय न्याय मंत्री कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं, वह खुद गायब थे और प्रायः सभी विरोधी पक्षों के नेतागण भी गायब हैं जिससे मालूम होता है कि कतई किसी को न्याय में रुचि नहीं है । इस तरीके से वे न्याय की सदन में उपेक्षा कर रहे हैं । यह बात तो पहले ही नजर आई । हम प्रजातन्त्र की प्रणाली में काम कर रहे हैं जिसमें रूल आफ ला एक आधार होता है । कानून ही एक चीज है जिस पर हम सब आधारित हैं । इस जमाने में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अयूबखां ने प्रजातंत्र का गला घोंट दिया और पूरब में वर्मा में न्याय प्रणाली पर आधारित प्रजातंत्र का शासन खत्म हो गया और कहीं पर हम देखते हैं कि गड़े हुये मुर्दों को उखाड़ कर निकाला जा रहा है, मास्को में यह हो रहा है स्टालिन का पोस्ट मार्टम ट्रायल हो रहा है । इस तरह का तमाशा हम देख रहे हैं । हम रूल आफ ला पर आधारित फेडरल जस्टिस को लें और देखें कि डेमोक्रेसी को लेकर चलने वाले आज प्रजातंत्र के अन्तर्गत बने हुये संविधान को रौंदना तो नहीं शुरू कर दिया है । इसी सदन में हमने देखा कि हमारे कानूनों की, हमारे संविधान की भी उपेक्षा किस प्रकार की जाती है । यही उस दिशा में ले जाने वाली चीजें हैं जहां शासन प्रजातंत्र से निकल कर डिक्टेटर के हाथ में आवेगा । जब जनता का विश्वास न्यायालयों से उठ जाता है, जब जनता यह समझने लगती है कि जज नालायक है, उसे अदालत में जूता मारा जाता है, सदन में भी उस पर वक्र प्रहार किये जा सकते हैं, तो यह ऐसी स्थिति पैदा करने वाली बात है कि जिससे हम सबके लिये घातक परिणाम हो सकते हैं । इसलिये रूल आफ ला सबसे बड़ी चीज है । न्याय देवी अंधी कही गई है । जस्टिस की देवी को ब्लाइंड कहा गया है । मगर "सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते" सोने में सभी गुण होते हैं । सभी गुण उसमें निवास करते हैं, ऐसा कहा गया है । हमारे न्याय विभाग के दो अंग हैं, विधायिका और न्याय प्रशासन । अगर इस सदन में कार्यवाही न्याय के अनुसार नहीं की जाती है, संविधान की मर्यादा, हमारी मर्यादा भंग होती है, तो हम न्याय के विषय में चर्चा करने लायक नहीं हैं ।

दूसरी बात यह है कि न्याय सस्ता होना चाहिये । आपने ५० रुपये रिट की कोर्ट फीस बढ़ा कर कर दी ताकि आपके गलत निर्णयों के खिलाफ हम हाई कोर्ट में न जा सकें । उसे आप फिर ५ रुपये कर दें । रिट वह चीज है, वह अधिकार है, जो नये संविधान में हमें मिला है, इससे नागरिकता के अधिकारों का सीधा संबंध है । प्रशासन के समस्त विभागों के खिलाफ रिट में जाया जा सकता है । रिट में जाने से आपको जनता को डिसकरेज (हतोत्साहित) नहीं करना चाहिये ।

ये आनरेरी मैजिस्ट्रेट अंग्रेजी की देन है । इनको आप हटाइये । माननीय मंत्री जी स्वयं बहुत बड़े वकील हैं । वह जानते हैं कि ट्रांसफर की दरख्वास्तों में सी० आर० पी० सी० में दफा ५२६ और ५२८ में कहा जाता है कि मैजिस्ट्रेट प्रभाव के अन्दर है । रिश्ते-नाते, रुपये का, पार्टियों का और जातबिरादरी आदि का प्रभाव पड़ा करता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि स्थानीय पंचायतों को कोई न्याय का अधिकार न दीजिये । आनरेरी मैजिस्ट्रेट रुआब के प्रभाव में आकर फैसले देकर अंधेर कर रहे हैं । आप सब मैजिस्ट्रेटों को तनख्वाह दीजिये

[श्री दीपनारायणसिंह]

एक जिले वाला दूसरे ऐसे जिले में भेजा जाय जहां उसका कोई रिश्तेदार न हो, जहां कोई उसका रिश्तानाता न हो। मैं तो यह चाहूंगा कि मदरास का आदमी यहां के हाई कोर्ट में जज हो और यहां का मदरास के हाई कोर्ट में हो। इंग्लैन्ड में यह है कि जजों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी कमीशन इत्यादि में नहीं रखा जाता है। माननीय न्याय मंत्री को मालूम है कि उसके कारण उन्हें लालच नहीं होता और सरकार से निर्भीक होकर वे फैसले देते हैं। उन्हें यह लालच नहीं होता कि अगर सरकार के पक्ष में फैसले देंगे तो गवर्नर उड़ीसा बना दिये जावेंगे। माननीय फजल अली उड़ीसा के गवर्नर हो गये। रमेश थापर का एक मशहूर मुकदमा रहा है, जिसमें उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था और बाकी सब जजों की राय एक थी। जज के दिल में यह नहीं आने देना चाहिये कि रिटायरमेंट के बाद मैं भी किसी कमीशन में सरकार द्वारा रख लिया जाऊंगा। इंग्लैन्ड में बादशाह से इंटरेस्ट रखने वाला एक मुकदमा जिसमें वह आगये। जज ने कहा कि आप फाउण्टेन आफ जस्टिस हैं, न्याय के स्रोत हैं, आपके रहते हुये मैं सही फैसला मुकदमे का नहीं कर सकता, इसलिये आप चले जाइये। इंग्लैन्ड के हाउस आफ कामन्स में सर हेरी हिल्टन फोस्टर की वाइफ के खिलाफ एक प्रिविलेज कम मामला उठाया गया। यह स्पीकर थे। उन्होंने कहा कि मैं, भले ही मेरी पत्नी का मामला हो, न्याय से डिट्रक्ट नहीं हो सकता। उनकी राय मैं पढ़े देता हूं।"

"I regret that in this matter duty requires me to be a Judge in my wife's cause, which is my own, but I cannot, in the service of the House on that account, allow myself to create a wrong precedent. I take comfort in the knowledge that my ruling cannot, in any way, detract from the ancient and absolute right of this House to deal with such a matter precisely as it thinks fit."

हमारा आदर्श हमारे जज और मैजिस्ट्रेटों के लिये आदर्श होना चाहिये। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अध्यक्ष पद से दी गई रूलिंग्स की अवहेलना करते हैं। मैं एक वकील होने के नाते कानून के लिये लड़ने वाला हूं और साहस के साथ लड़ने वाला हूं। मैं बचकनापन भी नहीं करने वाला हूं। प्रजातंत्र की रक्षा न्याय की रक्षा द्वारा ही हो सकती है। हम अपने द्वारा बनाये हुये जजों की इज्जत करना सीखें। ऐसे मैजिस्ट्रेट मत रखें जो भाई, जात-बिरादरी, नाते और रिश्ते या रिश्वत से फैसले देते हों। आप एक हाई पावर कमेटी बनावें जो अदालतों के करप्शन (भ्रष्टाचार) को दूर करे और अलग से जांच करे कि क्या करना चाहिये। आपके सरकारी वकील हैं और पैनल लाइयर्स हैं, उनके करप्शन को भी देखें। यह कमेटी बहुत जरूरी है। मैजिस्ट्रेट को अच्छी तनख्वाह देनी चाहिये। फतेह में सैशन ट्रायल में २४ रुपये रोजाना देते हैं, अच्छा वकील तो उसमें काम नहीं करेगा। इसलिये बेईमानी की जाती है।

दूसरे, आपने कहा कि एक मैजिस्ट्रेट १० मुकदमें रोज करे। आप क्वालिटी न देकर क्वान्टिटी देखते हैं। यह उचित नहीं है। आप उनको हिदायत कर दीजिये कि चाहे आप एक मुकदमा कीजिये लेकिन सही तरीके से फैसला कीजिये। इस बात पर आपका आदेश जाना चाहिये। अब यह होता है कि मैजिस्ट्रेट एक तरफ बैठा हुआ है रीडर, दूसरी तरफ बैठा हुआ है मैजिस्ट्रेट। दोनों तरफ अलग-अलग कलमें चल रही हैं। माल का मुकदमा अलग चल रहा है, उसी समय फौजदारी का भी चल रहा है। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। मुकदमें तो सन् १९१४ के पड़े हुये हैं। माननीय द्विवेदी जी हाई कोर्ट के जज हैं उनका १९१४ का मुकदमा आज तक फैसला होकर नहीं लौटा है। लेकिन इसकी परवाह न कीजिये। जस्टिस तो सही तरीके से होना चाहिये क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है।

यह सभी लोग जानते हैं कि दफा १०९ के बहुत ज्यादा मुकदमें फरजी होते हैं। अगर इसमें कोई गरीब आदमी फांस दिया जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता तो वह अपना

वकील भी नहीं कर सकता, उसका नतीजा यह होता है कि कानूनी सलाह के अभाव में उसको सजा हो जाती है। आप ऐसे गरीब क्लाइन्ट्स की सहायता के लिये हर जिले में १०-१५ वकीलों का एक पैनल बना दें, इस मद में भी आप पैसा खर्च करें और यह आवश्यक कर दीजिये कि कोई भी मुकदमा बगैर वकील के न जा सकेगा। मैजिस्ट्रेट को भी इसके बारे में ताकीद कर दीजिये अभी तो आप डकैती तक में क्लाइन्ट को मदद नहीं देते, ३०५ के मुकदमें भी नहीं देते हैं। इस विषय में मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकारी खर्चे पर उन लोगों को वकील दिया जाय। यह एक बड़ी भारी उदारता की बात होगी। मुकदमों के घटने बढ़ने की परवाह न कीजिये लेकिन किसी को यह शिकायत न हो कि हमें अपील करने की गुंजाइश न रही।

इस मांग के समय आज यहां पर सब मंत्रियों को हाजिर होना चाहिये था लेकिन यहां न्याय मंत्री के सिवाय और कोई यहां उपस्थित नहीं है। खाने पीने वाली मांगों के समय तो सब लोग थे लेकिन आज जब न्याय की मांग आयी है तो कोई नहीं है। जिस प्रकार से जस्टिस ब्लाइंड कही जाती है उसी प्रकार से उसको ब्लाइंड कर दिया। न्याय मंत्री जी इस बात को भी ध्यान में रखें कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय अगर देर से मिलेगा तो उसके यह माने होंगे कि इन्साफ नहीं मिला।

*श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से लोअर कोर्ट्स के भ्रष्टाचार के संबंध में तहकीकात करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर हुई थी। उस महत्वपूर्ण कमेटी ने दौरा करके छानबीन की थी, उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गयी है। बजाय इसके कि इस सदन के सामने तमाम भ्रष्टाचार के रूपों को रखा जाय, उस कमेटी की रिपोर्ट को शीघ्रता से प्रकाशित किया जाय और उसकी रिकमंडेशन को सरकार लागू करे ताकि न्याय विभाग का भ्रष्टाचार दूर हो। उसकी डिटेल्स तो उसके सदन के सामने आने पर ही मालूम होंगी। उसको काफी देर हो गयी है अब उसे शीघ्र सदन के सामने आना चाहिये। दूसरा सुझाव न्याय के संबंध में यह है कि हमारे देश की यह परम्परा और पद्धति रही है कि न्याय को डेमोक्रेटिक होना चाहिये। हाईकोर्ट की सील में एक तराजू की शक्ल बनी हुई है। तराजू में दो पल्ले होते हैं और उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कतई पासंग नहीं होना चाहिये। अगर कतई पासंग किसी पल्ले में तराजू के रहा तो वह तराजू बिलकुल बेकार है और उसे न्याय नहीं कहा जा सकता। इसमें पासंग क्या होता है? हम यह देखते हैं कि इस न्याय को एक तरीके से बेंचा जाता है। जो ज्यादा रुपया खर्च कर सकता है वह अच्छा न्याय खरीद सकता है और जिसके पास रुपया नहीं है वह न्याय को नहीं खरीद पाता है। जिसके पास रुपया है वह अच्छा वकील करके बड़े जुर्म करने के बावजूद भी बच सकता है लेकिन जिसके पास रुपया नहीं है और जो वकील नहीं कर सकता तो वह चाहे बेगुनाह क्यों न हो लेकिन चूंकि अच्छा वकील उसे हासिल नहीं है इसलिये उसे सजा हो जाती है। तो कोई न कोई तरीका इस त्रुटि को दूर करने के लिये निकालना पड़ेगा अगर वास्तव में आप अपने को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। क्या तरीका हो, कैसे हो? और मुल्कों में भी इस तरह की डिफिकल्टीज थीं और उन्होंने कोशिश करके इसको हल किया। जैसे सबूत के लिये गवर्नमेंट की मदद मिलती है, सरकारी वकील होते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं कि खर्चा तो अवश्य पड़ेगा लेकिन जो मुलजिम हो उसे भी सरकारी वकील मिले अगर उसने अपना वकील न किया हो। आज भी कत्ल के केसेज में आप सरकारी वकील देते हैं। जब कोई आदमी ऐसा है जो अपना वकील नहीं रख सकता तो उसे वकील अवश्य मिलना चाहिये और किसी आदमी की गरीबी या उसकी मजबूरी न्याय के रास्ते में नहीं आनी चाहिये। अगर उसकी गरीबी या मजबूरी न्याय के रास्ते में आती है तो आज जो न्याय का सिस्टम है उसे डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। इसलिये मेरा सुझाव है कि चाहे वालंटियरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नौरंगलाल]

बेसिस पर हो, चाहे वकीलों की मदद से हो, चाहे बार एसोसिएशन की सहायता से हो, चाहे सरकार को स्वयं ही करना पड़े कोई न कोई तरीका अवश्य निकालना पड़ेगा जिससे क्रीमिनल केस में जो मुलजिम सेशन जज के यहां हों उसे न्याय के लिये, फ्री सहायता मिले जैसा कि सबूत को मिलता है । यह बहुत आवश्यक है, और उस पर आप के द्वारा मैं माननीय न्याय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा ।

तीसरा सुझाव जो न्याय के संबंध में है । वह टेक्निकल है लेकिन फिर भी आवश्यक है। मैं बरेली का नुमाइन्दा हूं । वहां के बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उन्होंने यह प्रस्ताव पास किया है कि हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का जुरिस्डिकशन लखनऊ तक ही सीमित है, उस लखनऊ बेंच में रुहेलखंड डिवीजन को और मिला दिया जाय । उनका कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकाल कर लखनऊ बेंच में मिला देने से इस तरफ के लिटिगेशन को आसानी होगी और पैसे को काफी सहूलियत मिल जायगी । आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बरेली बार एसोसियेशन ने जो यह प्रस्ताव पास किया है उस पर वे विचार करें और यदि संभव हो तो संभव क्यों नहीं होगा इस बोली डिवीजन को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में शामिल कर दें । इससे हमें काफी सहूलियत मिल सकेगी । यह मेरा सुझाव हाई कोर्ट के संबंध में है ।

अद जजेज कोर्ट के संबंध में कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं । मेरा सुझाव यह है कि कहीं कहीं सरकार ने टेम्पोरेरी सेशन कोर्ट इसलिये खोल दिये हैं ताकि केसेज की संख्या जो बहुत ज्यादा हो गयी थी उनके डिस्पोजल जल्दी से जल्दी हो सके । कहीं कहीं काम तेजी के साथ हुआ है और पहले जो काफी एरियर्स थे वे अब बहुत कम रह गये हैं । मेरे यहां करीब १५० केसेज एरियर्स में हैं । इस संबंध में माननीय मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि बरेली में जो टेम्पोरेरी सेशन कोर्ट है वहां अब और किसी जज को भेजने की आवश्यकता है । इस वक्त एक जज का ट्रांसफर हो गया है और माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वहां अब किसी को न भेजा जाय तो उसमें सरकार की बचत होगी और केस भी अब वहां इतने अधिक नहीं हैं, इसलिये बरेली में जो टेम्पोरेरी सेशन कोर्ट है उसे बिलकुल एबालिश कर दिया जाय । अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे सरकार की भी बचत होगी । यह मेरा सुझाव जजेज कोर्ट के संबंध में था ।

जहां तक लोअर कोर्टस की बात है इस संबंध में भी मुझे कुछ सुझाव देना है जिससे काफी समय बच सकता है। जाब्ता फौजदारी में सी०आर०पी०सी० में मैजिस्ट्रेट्स को ७ साल की पावर दे रखी है । यह शक्ति सरकार ने उनको दे रखी है । मैं निवेदन करूंगा कि इस प्राविजन को लिबरली इस्तेमाल किया जाय इससे २ लाभ होंगे एक तो यह कि सेशंस कोर्ट का समय बच जायगा और जो केसेज एक्सक्लूसिवली सेशन्स कोर्ट वाले हैं और जो मामले कांकरेंट नेचर के हैं वह मैजिस्ट्रेट्स के पास रहें क्योंकि सेशंस कोर्टस में पैसा अधिक खर्च होता है और इससे सरकार का पैसा भी बचेगा और केसेज भी जल्द खत्म हो जायेंगे । इसलिये ७ साल तक की पावर गवर्नमेंट मैजिस्ट्रेट्स को दे सकती है, इस से समय तथा रुपया बचेगा और सहूलियत भी होगी ।

इसके अलावा मेरा कुछ सुझाव आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स के संबंध में भी है । यह आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स का हमारा एक पुराना इन्सटीट्यूशन है और वह पुराने जमाने से चला आता है । इसकी बड़ी आलोचना होती है लेकिन फिर भी वह अभी कायम है । देहातों में तो उन को अन्धेश्री मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, यह रिवाज है कि गांवों में उनको अन्धे के नाम से पुकारते हैं कि उनकी लाठी न मालूम किधर चल जाय, उनके विषय में वहां इस तरह का एक मिसनोमर है । मैं चाहता हूं कि आप इस इंटीट्यूशन को अबालिश न करें लेकिन उन से आप न्याय का काम न लें । लेकिन फिर सवाल होगा तो उन से क्या काम लें ? इस संबंध में मेरा सुझाव

है कि आप के ऊपर जजों का बहुत सा समय आइडेंटिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन वगैरह में खराब होता है, इस तरह के जो काम हैं वह सब इन आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स को दिये जायं इस तरह के काम वह दिन भर करते रहें लेकिन उनको न्याय का काम न दिया जाय क्योंकि वहां पर जस्टिस नीलाम होता है उससे हमारी बदनामी होती है। हम चाहते हैं कि वह इन्सटीट्यूशन भी कायम करें, इससे कोर्ट्स का समय बचेगा और इन लोगों के पास भी काफी काम रहेगा। इस से आप हर प्रकार का जो आज उन पर लांछन है वह दूर कर सकेंगे। इस तरह से दो चार आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स से ही काम चल जायगा और आप को ज्यादा नियुक्तियां नहीं करना पड़ेंगी और जो उनकी पुरानी शान चली आती है वह भी कायम रहेगी। यह जो आपकी न्याय पंचायतें हैं उनके संबंध में मैं भी चाहता हूं उन में सुधार किया जाय। यहां आलोचना की गई कि न्याय पंचायतों को कतई समाप्त कर दिया जाय और उन से न्याय का काम न लिया जाय। मेरा इस सम्बन्ध में सजेशन यह है कि जो हमारा एक पुराना इन्सटीट्यूशन है उस को खत्म तो न किया जाय लेकिन इन पंचायतों का फंक्शन बदल दिया जाय। उनका फंक्शन यहीं तक सीमित रहना चाहिये कि वे हर केस में समझौता कराने की कोशिश करें, दोनों पार्टियों को बुलाकर, समझा कर, मुआवजा दिला कर या कुछ जुर्माना दिलाकर किसी तरह से वह अपने यहां मामले तय करा दिया करें और अगर उनके लिये यह सम्भव न हो सके तो वह मैजिस्ट्रेट के पास केस को फार्वर्ड कर दिया करें। लेकिन उनका फंक्शन केस को फैसले करने का या न्याय करने का न होना चाहिये। इस तरह से हम उनको भी कायम रख सकते हैं और उनके फंक्शन को भी बदल सकते हैं। इस तरह से जो उनकी आलोचना होती है कि वहां न्याय नहीं मिलता और पार्टीबन्दी होती है, वह चीज न हो सकेगी। हमने पुरानी मान्यताओं को और पुरानी परम्पराओं को लेकर ही उनके असर को लेकर ही, इन न्याय पंचायतों को अपने यहां कायम किया है। वह भी कायम रहेंगी जैसा यह होता था कि ५ मिनट में तसफिया करा देते थे वही तसफिया यह करायें लेकिन इनको डिस्पोजीशन आफ जस्टिस न दीजिये। इस तरह से जो सरकार की बदनामी होती है कि न्याय पंचायतें बिल्कुल निकम्मी हैं इस आक्षेप से हम बच सकते हैं। इन शब्दों के साथ में अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—मान्यवर, मैं श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। कब्ल इसके कि मैं कुछ कहूं मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैंने मंत्री जी के भाषण को अपनी अकल के मुताबिक सुनने की कोशिश की और एक जुमला उनका मुझे बहुत याद हो गया जो उन्होंने कहा कि बम्बई के दौरे के सिलसिले में वहां के जुडिशियल अफसरों से उनकी मुलाकात हुई और उनको यह मालूम हुआ कि जब से बम्बई प्रान्त के अन्दर मुकम्मिल तौर से जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से अलग कर दी गई तब से जरायम बढ़ गये। मान्यवर, कुछ हंसी भी आती है और कुछ तरस भी मालूम होता है कि शायद मंत्री जी ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिये यह कहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं हमारे प्रान्त के अन्दर विधान में है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग रहेगी, और आज अलग करने भी जा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखें तो अनुभव होगा कि आज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीधे-सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मातहती में काम कर रहे हैं। मैंने इसी सदन में प्रश्न किया था और उसके उत्तर में मुख्य मंत्री ने यह बताया था कि कैरेक्टर रोल जुडिशियल अफसर का ए० डी० एम० (जे) लिखा करते हैं। मैं मंत्री जी से पुनः कहूंगा, अगर वह मुनासिब समझें तो इस चीज का जवाब दें कि क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कैरेक्टर रोल ए० डी० एम० (जे) ही खाली लिखते हैं? जिलाधीश की सिफारिश उन पर नहीं होती?

यह काफी कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार जुडिशियरी के अन्दर काफी बढ़ा हुआ है। इसको हमारे उधर बैठने वाले सदस्यों ने इनकार भी किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशकुमार सिनहा]

कि वह इंसाफ और इंसानियत के नाम पर अपने हृदय पर हाथ रख कर बतायें कि सदन के अन्दर कहना दूसरी बात है लेकिन जब वह स्वयं कचहरी में जाते हैं तो वह देखते हैं उनके साथ व्यवहार क्या होता है और उनकी नजर के सामने जनता के साथ क्या व्यवहार होता है। आज जिस सरकार के अन्दर इतना महंगा इंसाफ हो और फिर ढोंग इस बात का कि हम समाजवादी समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं। अगर मैं इस संबंध में एक उदाहरण दूं तो बेमौके न होगा कि सीतापुर जिले का एक १० साल का लड़का लखनऊ में पकड़ा गया, मैं उस केस की मेरिट्स पर नहीं जाता, क्या फैसला जुडिशियल अफसर देंगे, लेकिन वह लड़का जो लखनऊ जेल में २, ढाई महीने यहां जेल में रहा और बाद में जमानत पर छूटा, उसकी हर ८ वें १० वें दिन पेशी होती है और मिसरिख के एक गांव से आता है यहां उसके साथ ३, ४ आदमी होते हैं दिन भर इन्तजार किया। शाम को पेशकार साहब ने एक फतवा दे दिया कि फलां दिन पेशी होगी क्योंकि चार्ज शीट नहीं आई। माननीय मंत्री व्यावहारिक दृष्टि से इसको समझें कि उनके ऊपर बम्बई से कोई मुकदमा चले और लखनऊ से वह बम्बई तशरीफ ले जायं हर सातवें दिन और पेशकार कह दे कि पेशी पड़ गयी है क्योंकि चार्ज शीट नहीं आई है तो हकीकत वह सोच लें कि उनके दिल पर क्या बीतेगी ?

मैं आपके सामने एक्जिक्यूटिव और जुडीशियरी के संबंध में जो चार्ज हो रही थी सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उन खुशकिस्मतों में हूं जिन पर मुकदमे चलाये जाते रहे हैं। उनमें मुझसे सीधा ताल्लुक होना है। सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो सत्याग्रह हुए अगर एक एक मुकदमे को मैं आपके समक्ष रखूं तो बहुत समय खराब होगा लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जो मुकदमे सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रहियों पर चलाये गये, चाहे वह जेल तोड़ने की बात हो, चाहे कानून शिकनी की बात हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सब में बड़ा हाथ रहा है और जो इमला उन्होंने बोला है वही जुडीशियल आफिसर ने अपने जजमेंट में लिखा। माननीय मुख्य मंत्री अगर उदाहरण जानना चाहें तो सीतापुर इस काबिल है जो उनको काफी उदाहरण दे सकता है।

रोज की जिन्दगी में मैं देख रहा हूं कि आज गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता। माननीय मंत्री जी को खुश करने के लिये बहुत सी दलीलें यहां दी जाती हैं लेकिन वस्तुस्थिति पर भी कोई विचार करेगा तो यही पायेगा कि आज न्याय के नाम पर गरीब आदमी को १०९ में गिरफ्तार किया जाता है। मैं उनकी इत्तिला के लिये बताऊंगा कि लोग घरों के अन्दर अपना रोजगार करते थे। पुलिस के मुंशी ने किसी आदमी के द्वारा उनको नामजद कर लिया। सुबह से शाम तक एक रुपया, १२ आने रोज की मजदूरी करते हैं तो अदालत में जाते हैं लेकिन पेशकार की नजर के लिये दो, चार रुपये चाहिये। कहां से वह रुपया लावें ? तो मेरी मांग है कि सरकार की तरफ से उनको वकील मिले। समाजवाद के नारे को बुलन्द किया जाता है। आप ऐलान करें कि वह गरीब आदमी जो वकील नहीं रख सकता उसको सरकार की तरफ से वकील दिया जायगा। एक तरफ वह पैरवी करे और दूसरी तरफ मलकुल मौत कोर्ट साहब पैरवी करें और जो वाकयात होंगे वह अदालत के सामने आयेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज १०९ और ११० के जो मुकदमे चलते हैं वह सिर्फ सरकार को खुश करने के लिये दरोगा चला देते हैं या सुपरिटेंडेंट पुलिस को खुश करने के लिये चला देते हैं। ठंडे दिल से और यह न समझ कर कि विरोधियों की तरफ से यह बात कही गयी है, इस सुझाव पर माननीय मंत्री गौर करें और जरा सोचें कि १०९ और ११० के मातहत वे गरीब आदमी जिनका कोई सहारा नहीं है और जिनका साथ देने वाला कोई नहीं है पकड़ पकड़ कर बन्द किये जाते हैं। श्रीमन्, रिश्तेदारियों में जाते हैं, लड़की और बहू के साथ जाते हैं लेकिन उनका कोई पक्षपाती नहीं है, लड़की और बहू एक तरफ रहती हैं और उनको थानेदार और सिपाही पकड़ कर थाने में बन्द कर देते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि १०९ और ११०, इन दोनों धाराओं को इस आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर से निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप का समय समाप्त हो गया।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो अनुदान प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ में सरकार का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि न्यायालय की दूरी कम हो और सस्ता न्याय मिल सके यह जनतंत्र का बहुत बड़ा तकाजा है। इसी दिशा में मैं देवरिया जनपद की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि देवरिया जिला चार तहसीलों में विभाजित है, पडरौना, हाटा, सलेमपुर और देवरिया। आज कई वर्षों से इस बात के लिये प्रयास किया जा रहा है कि पडरौना और हाटा, इन दोनों तहसीलों का जो न्यायालय का केन्द्र है वह कसया में है और पडरौना, देवरिया और सलेमपुर का केन्द्र देवरिया में है। देवरिया के जितने माल के मुकदमे होते हैं वे देवरिया सदर मुकाम पर सुने जाते हैं और वहां पर चार मुन्सिफ बैठते हैं। पडरौना और हाय के लोगों को जाने में करीब ४०, ५० मील का फासला तय करना पड़ता है। यही नहीं, खड्डा और बढ़ी गंडक के उस पार के लोगों को गोरखपुर जिले को पार कर के देवरिया पहुंचना पड़ता है और आने जाने में उनके ५–७ रुपये किराये में लग जाते हैं और समय भी ज्यादा बरबाद होता है। सरकार का ध्यान बार-बार आकर्षित किया जा रहा है कि कसया में एक मुन्सिफी न्यायालय खोल दिया जाय जिस से पडरौना और हाटा की १२ लाख जनता के लिये एक बहुत बड़ी सुविधा हो सके।

इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हाटा तहसील का कार्यालय बिल्कुल एक छोर पर बना हुआ है जहां तहसील की पौने सात लाख जनता को ३० मील का फासला तय करके और वह भी गोरखपुर जिला हो कर के हाटा पहुंचना पड़ता है। हाटा देवरिया तहसील के बार्डर पर है। हाटा से एक मील की दूरी पर देवरिया तहसील पड़ती है। इस दिशा में काफी प्रयास किया गया, सरकार ने छानबीन भी की और उनकी निगाह में भी यह बात आयी कि कप्तानगंज हाटा तहसील के बीच में पड़ता है वहां तहसील का कार्यालय रखा जाय जिससे किसानों को काफी सुविधा मिल सके और तराई के लोग तथा हाटा तहसील के चारों ओर बसने वाले लोग आसानी से उस स्थान पर पहुंच सकें। कप्तानगंज में रेलवे स्टेशन है और आने जाने के साधन हैं। हाटा एक ऐसी जगह पर है कि तहसील के उत्तरी भाग के लोग जो तहलील से ३० मील की दूरी पर बसे हुये हैं उन लोगों को एक दूसरे जिले के रास्ते से नदी पार कर के आना पड़ता है। दूसरी तरफ से जब वे जाते हैं तो उनको खड्डा से पड़रौना होते हुये करीब ४५ मील की दूरी तय करनी पड़ती है। आने जाने में ५–६ रुपये किराये के खर्च करने पड़ते हैं और साथ ही साथ समय भी बरबाद होता है। ऐसी हालत में, श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि तहसील का केन्द्र स्थान कप्तानगंज में कर दिया जाय। इस साल के बजट में तहसील के भवन निर्माण के लिये कुछ रुपया रखा गया है इसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। ऐसे अवसर पर सरकार छानबीन करना चाहती है तो कप्तानगंज ही केन्द्र स्थान के लिये उपयुक्त स्थान है और यहां पर जमीन मिलने में कोई असुविधा नहीं है। किसानों की जमीन एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी। वहां पर ५० एकड़ का सरकारी प्लाट है जहां पर ब्लाक का कार्यालय है तथा मवेशी अस्पताल है और अन्य अस्पताल भी हैं और आने जाने के सुलभ साधन हैं और रेल्वे स्टेशन है। इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये हाटा की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तहसील का केन्द्र स्थान कप्तानगंज में खोला जाय और वहीं पर तहसील का भवन निर्माण होना चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक मुकदमों का संबंध है प्रायः देखा गया है कि उनमें काफी समय लग जाता है। इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि जितना समय मजिस्ट्रेट के लिये एक मुकदमे को फैसल करने के लिये निर्धारित होता है यदि उतने समय में कोई मुकदमा फैसल नहीं हो पाता है तो बीच में ही एकतरफा मुकदमे का फैसला कर दिया जाता है और नये सिरे से मुकदमे को बनाया जाता है। इससे जनता को बड़ी परेशानी होती है।

[श्री शिवप्रसाद]

इसी तरह से दाखिल खारिज के मामलों में किसानों की रजिस्ट्री होने के बाद, बैनामा होने के बाद जब वह तहसील से कागज लेकर लेखपाल के पास जाता है तो उन कागजात के लेने में अक्सर ५–६ महीने की देरी लग जाती है। दूसरी इनको सब-रजिस्ट्रार देखता है जिसकी नीयत पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिये दाखिल खारिज के मामलों में जब रजिस्ट्री हो जाय, बैनामा हो जाय तो कागजात के मिलने में डेढ़ दो महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये। यदि ऐसा हो जायगा तो किसान की परेशानी दूर होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार उचित ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। काफी देर से न्याय पर वाद विवाद हो रहा है। वैसे तो न्याय की परिभाषा करना कोई छोटा-सी बात नहीं है या बहस करना आसान काम नहीं है क्योंकि न्याय एक बहुत ही ऊंची और प्यारी चीज है। लेकिन फिर भी जहां तक आज के न्याय का ताल्लुक है जिसका संबंध प्रदेशीय सरकार से है, अदालत से है और कानून से है, उस पर विचार करना है। श्रीमन्, इसकी परिभाषा कि न्याय क्या है? आम तौर से गांवों में इस तरह से होती है कि अदालत में जाकर सत्य बोलेगा तो भी उसका नाश और पंचायत में झूठ बोलेगा उसका भी नाश। आखिर यह बात कहां से आई, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? वह इस लिये कि कल परसों की ही बात है कि हमारे देश पर अंग्रेज राज्य करते थे और उन्होंने ही हमारे यहां अदालतें कायम की थीं। उन्होंने कानून बनाये इसलिये न हीं कि उन्हें हमारे देश से प्यार था या जनता को इंसाफ देना चाहते थे बल्कि इसलिये कि वह अपनी हुकूमत कायम रख सकें, उनका रोब दबदबा हिन्दुस्तान पर रह सके। हमारे प्रान्त का बाशिन्दा इन अदालतों और कानूनों को अंग्रेजों की अदालतों और कानून समझता था, कोई प्यार नहीं था। उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि उसको न्याय मिलेगा। हमारे सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य बार बार जोर देते हैं न्याय पर। मैं पूछता हूं कि आपने मौजूदा न्याय प्रणाली में क्या परिवर्तन किया है? कोई अदालत में तरमीम की है, कोई कानून में तरमीम की है?

जिक्र आता है कि मुकदमें पेंडिंग हैं। उसकी वजह यह भी है कि हमारे अफसर साहबान यह नहीं सोचते कि हमारी जिम्मेदारी है, हमें अवाम को इंसाफ देना है। वह सोचते हैं कि हम तो अफसर हैं। दस से चार बजे तक काम करेंगे। अगर वह जिम्मेदारी का अहसास करें, अगर वह सोचें इंसाफ एक ऐसी चीज है कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर को इंन्साफ मिलना चाहिये, तो मुकदमें जल्दी फैसल हो सकते हैं। आज अगर एक बुद्धिजीवी जिसके पास न कोई जमीन है, न कोई जायदाद है, जो शारीरिक काम भी नहीं कर सकता, अगर किसी वजह से कोई गलती उससे हो जाय, कोई जुर्म बन जाय, और वह जेल पहुंच जाय तो केवल उस बुद्धिजीवी को सजा नहीं मिलती उसके परिवार वालों को भी सजा करते हैं। उससे आप काम लीजिये। किताब लिखवाइये, या और कोई काम लीजिये। लेकिन उतनी तनख्वाह, उतना रुपया जितना वह कमाता था उतना उसको जरूर दीजिये जिससे उसका परिवार जिन्दा रह सके। जब आप किसी आदमी को जेल में डाल देते हैं तो उसका परिवार बेरोजगार हो जाता है। सोचिये वह कैसे जिन्दा रहेगा। कैसे बच्चों को तालीम देगा? इस पर आपको बिचार करना चाहिये।

जहांतक गरीब जनता का सवाल है, अगर कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे पुलिस को जानकारी न हो, चाहे पुलिस की गलती से हो, लेकिन वह गिरफ्तार हो जाता है, तो जब तक मुकदमा चलेगा उसकी जमानत नहीं हो सकती। तो दो तीन साल तक जमानत न होने के कारण वह जेल में पड़ा रहता है। जमानत करवाने में कितनी कठिनाइयां पेश आती

हैं। एक गरीब आदमी को दस बीस हजार वाले अमीर आदमी को जमानत करवाने के लिये ढूंढना पड़ता है। अगर वह नहीं मिलेगा तो जेल में पड़ा रहना पड़ेगा। जमानत की तसदीक के लिये पटवारी साहब को रुपया देगा, पेशकार को पया देगा तब तसदीक होगी।

हमारे मंत्री जी ने पहले कह दिया कि देर का बहुत सवाल उठता है। देर में इंसाफ होना इंसाफ का खून है। देर में नुक्स यह है कि पहली तारीख को एक मुकदमा लगता है, फिर १५ को लगता है फिर ३० को लगता है, और फिर पहली को लगता है। आप तारीख सोच समझ कर लगाएं। १५ दिन की तारीख न लगाएं, दो महीने, तीन महीने, छः महीने की तारीख लगाएं लेकिन जब लगाएं तो मुकदमा जरूर हो। हर आठवें दिन अदालत में खड़ा रहता है और उसका मुकदमा चार पांच साल में तय होता है। अगर आपके पास जजेज नहीं हैं आप देर में कर दीजिये। लेकिन उतने ही मुकदमे लगाइये जितने मुकदमों की सुनवाई की जा सके। जहां तक कानून का सवाल है। कोई अन्तर आया है कानून में ?

अगर एक आदमी कुएं में गिर कर खुदकशी करना चाहता है तो उस पर दफा ३०९ लगती है। अगर एक पोलिटिकल कार्यकर्त्ता इसलिये भूख हड़ताल करता है कि किसानों को मिलों से पेमेंट कर दिया जाय, तो उस पर भी ३०९ दफा लागू होती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन दफाओं में चेंजेज कीजिये। राजनीतिक आदमी के भूख हड़ताल करने के लिये और खुदकशी करने के लिये एक ही दफा ३०९ लगायी जाय मैं समझता हूं यह कोई उचित बात नहीं है। इसी तरह से आपकी एक बहुत मोटी सी किताब है जिसका नाम है ताजीरात हिन्द। इसे अंग्रेज बहादुर ने बनाया था और यह अंग्रेजी में लिखी है। उर्दू का सफाया तो आप कर सकते हैं, जिसको सूबे की आम जनता समझती थी, बोलती थी, उससे तो आपको नफरत हो गई लेकिन इन्साफ जिसका संबंध हमारे जीवन से है, उसकी रू से है, उसकी किताबें अभी भी अंग्रेजी में ही हैं और उसमें एक के बाद एक और धारायें आप अंग्रेजी में ही पढ़ाते जा रहे हैं। अगर इस कानून को सरल बनाया जाय और आम की भाषा में उसे लाया जाय तो उसमें न किसी लागत का सवाल आता है और न कोई और बात होती है, न सरकार की प्रेस्टिज का सवाल आता है और न कोई विरोधियों को फायदा पहुंचने का सवाल आता है। हां, एक चीज जरूर है कि जो आम आदमी वकीलों से छोटी-छोटी बातों में लूटा जाता है वह उसका लूटना बन्द हो सकता है।

इसी तरह से आपकी इमारतें हैं। हर जिले में बराबर अदालतों की दीवारें खड़ी होती जा रही है। बड़े बड़े के सुन्दर और फैन्सी मकान उनक लिये बन रहे हैं और अब हम कहते हैं कि एक हाईकोर्ट हमारे लिये बना दिया जाय मेरठ में क्योंकि हमारे यहां का आदमी न यहां की जबान समझता है, न यहां का खाना खा सकता है न पानी पी सकता है, तो वह मेरठ में नहीं बनाया जायगा। अभी मुजफ्फरनगर जिले में एक बिल्डिंग अदालत की नयी खड़ी हो रही है। अगर यह आलीशान बिल्डिंग न बनायी जाती, पुरानी इमारत मौजूद थी, उसी को अगर कुछ और जोड़ कर बना देते, तो शायद हाईकोर्ट की इमारत बन जाती।

तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि आम आदमी को, गरीब आदमी को जो कि गांव का बाशिन्दा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले उस पर दस पया टैक्स लगा देते हैं या सेल्स टैक्स वाले दस पांच सिगरेट कि डिब्बी बेंचने वाले पर दस पया ेल्स टैक्स लगा देते हैं, तो अगर वह अदालत में उसके लिये आना चाहे तो दस पये के बजाय सवा सौ और डेढ़ सौ रुपये उसे खर्च करने पड़ेंगे और फिर भी वह टैक्स माफ हो या न हो, तो इस तरह बहुत सी चीजें हैं, कहां तक कही जांय। श्रीमन्, मुझे आज तो कुछ और टाइम दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आपको बजाय सात मिनट के नव दस मिनट हो गये हैं।

श्री विजयपालसिंह—दो मिनट तो मेरा है ही, दो तीन मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह दो मिनट अब कहां रहे ? अब आप एक मिनट में खत्म कर दीजिये ।

श्री विजयपालसिंह—श्रीमन्, कुछ टाइम और दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा दो मिनट में खत्म कर दीजिये :

श्री विजयपालसिंह—तो श्रीमन् मैं इन बातों को छोड़ता हूं । हमारी अदालतों में यह जो हमारे पंच प्यारे हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों का नकशा जो आज दीख रहा है यह अवाम की निगाह में कतई नहीं था । आज तो इन पंचायतों की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे देहात में शुरू-शुरू में चाय पिलाने वाले आते थे तो मुफ्त चाय पिलाते थे और जब चाय की आदत पड़ गई तो दो आने का पेकैट बेचने लगे । तो हमें यह ध्यान था कि गांव में पंचायतें जैसे प्राचीन काल में हमारे यहां फैसले करती थीं वैसे ही ये भी करेंगी । लेकिन आज इन पंचायतों में कानून घुसेड़ दिया गया और गवाह घुसेड़ दिये गये और जो मुकदमें अदालतों में वैसे नहीं भी जाने वाले थे वह भी अब इन पंचायतों की वजह से अदालतों में पहुंच रहे हैं क्योंकि जब एक फरीक पर जुर्माना होता है, तो वह अदालत में जायगा ही । तो इन पंचायतों पर से कानून की बन्दिश ढीली की जाय और पंचों को इस तरह चलाया जाय कि वह खुद ही इन्क्वायरी करें, गवाहों के बयान भी ले और खुद भी जांच करे । यह क्या कि धारा ३७९, ४१४ और ३४७ उसे लिखनी ही पड़े ? वह यह कहे कि फलां ने यह कहा, फलां ने यह कहा लेकिन मेरी राय यह है कि उसने उसको मारा जरूर है और उस पर इतना रुपया जुर्माना किया जाय ।

दूसरी बात—अंग्रेज बहादुर आनरेरी मैजिस्ट्रेट इसलिये बनाये हुये थे कि जो ताल्लुकेदार रायबहादुर और राय साहब होने से भग जाते थे उनको वह कहते थे कि चलो तुमको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाये देते हैं । आज श्रीमन्, आप यह करते हैं कि जो टिकट से बच रहते हैं उनसे कहते हैं कि चलो आनरेरी मैजिस्ट्रेट बन जाओगे । यह आनरेरी मैजिस्ट्रेट आप बिल्कुल खत्म कर दें तो लाख दर्जे अच्छा होगा । जुडिशियल आफिसर अदालत में बैठते हैं । एक तरफ दरोगा खड़े हैं जिन्होंने चालान किया है । तनख्वाह तो उनकी कम है लेकिन रिश्वत बहुत बड़ी है इसे इनकार नहीं किया जा सकता । चालान भेजने वाले की आमदनी हजारों रुपया महीना है । वकील साहब भी मुकदमें की पैरवी करने के लिये २००, २५० रुपये लेते हैं । पेशकार साहब भी अपना १ रुपया ले लेता है । अगर १५ मुकदमें सुनवाई के लिये आये तो दोनों तरफ से १५ रुपया रोज उसको मिल गया । तनख्वाह जो उसको मिलती है । वह अलग रही । जुडिशल अफसर जिसको ३५० रुपया तनख्वाह का मिलता है उसके लिये मकान की कोई गारन्टी नहीं है । वह बेचारा साइकिल पर आता है । दारोगा आता है अपनी मोटर साइकिल पर । अगर जुडिशल अफसर को आप रहने का मकान नहीं देते और दूसरी सुविधा नहीं देते और उनकी तनख्वाह में कुछ न कुछ इजाफा नहीं करते तो आप उसको वह इज्जत नहीं देते जो वकील और दरोगा और पेशकार को मिली हुई है । हम जानते हैं कि जुडिशल अफसर, वकील, दारोगा और पेशकार से अपने को सामाजिक तौर पर छोटा महसूस करता है । आर्थिक तौर पर वह अपने को नीचा महसूस करता है । यह चीज हम रोजाना कचहरियों में देखते हैं । मजिस्ट्रेट कोई बुद्ध भिक्षुक नहीं है । दारोगा ने अपना रुपया चालान करने का लिया । वकील साहब ने पैरवी की फीस का रुपया ले लिया और पेशकार ने मुकदमें के हिसाब से अपना १ रुपया ले लिया तो रह गया यह बेचारा जुडिशल अफसर । आखिर यह कहां से लाये । इसलिये मेरी आपसे अपील है कि जुडिशल अफसरों को आप रहने के लायक जिन्दगी जरूर दें और उनके बारे में जरूर विचार करें । वह भी वही काम करता है जो आपके हाईकोर्ट के जज करते हैं । यदि आप उसके लिये कुछ गौर करते हैं तो आप उनको मजबूत करेंगे । बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे सुझावों पर माननीय मंत्री जी गौर करें और गौर करके उनको पूरा करने की कोशिश करें ।

(श्री छेदालाल चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर) —मुझे भी मौका मिलना चाहिये। मैं यहां पर ४ दिन से बराबर बोलने के लिये खड़ी हो रही हूं। इस वक्त मैं भी इन्साफ के महकमें पर बोलना चाहती हूं और इन्साफ के मुहरतम वजीर साहब भी यहां पर बैठे हुये हैं। इसलिये मेरे साथ भी इन्साफ किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आपको भी मौका मिलेगा।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी जगह पर माननीय मंत्री द्वारा जो अनुदान पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को, जो अपना अनुदान पेश करते हुये उन्होंने न्याय विभाग का सुधार करने के लिये कुछ बातों का उल्लेख किया है, स्वागत करते हुये बधाई देता हूं। उन्होंने बतलाया कि हाईकोर्ट में जो केसेज एरियर में पेंडिंग है उनको वह जिलों में जिला जज को देने के लिये तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी बतलाया कि एक डिप्टी रजिस्ट्रार तैनात किया है हाईकोर्ट में जो केसेज की छांट कर रहा है और और जिन केसेज का मामला एक तरह का उनको एक साथ तय कर दिया जायगा। इन बातों से कुछ सहूलियत मिलेगी और काम भी हलका होगा।

दूसरी बात यह कही गई कि जिन बातों के अन्दर करेप्शन की शिकायत है उसके विषय में उन्होंने बतलाया कि मुकर्जी कमेटी जो बनी थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। वह पब्लिश होने वाली है और बहुत जल्द उस पर अमल होगा। इस बात का मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा जो मेरी जानकारी है और जिस तरह का मेरा अनुभव है उन बातों के सिलसिले में कुछ बातों के विषय में मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं।

सब से पहले मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब से यह पंचायत कायम हुई है तब से उन न्याय पंचायतों को ५०० रुपये की वल्यू के मुकदमें दे दिये गये हैं। मेरा अनुभव यह है कि देहात में जो गरीब आदमी होते हैं, जो अपनी पैरवी खुद नहीं कर सकते हैं। उनके खिलाफ पार्टीबाजी में लोग एक साथ बैठकर डिग्री दे देते हैं। डिग्री देने के बाद जो मुकदमें का फैसला होता है उसका उसको बता भी नहीं होता है और न पता न होने के कारण अपील करने का टाइम भी बीत जाता है। जब उसको मालूम होता है तब वह कचेहरी में भागा जाता है। उसकी कार्यवाही करने के लिये न उसके पास वक्त होता है और न पैसा होता है। वह बहुत परेशान होता है। इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि अगर न्याय पंचायतों को ऊपर उठाना है तो कम से कम उन्हें १०० रुपये तक वैल्यू के मुकदमें दें और ५०० रुपये की वैल्यू के न दें।

दूसरी बात यह है जिस पर सब सहमत हैं कि आज के वक्त में इन्साफ सस्ता नहीं है। वह जल्दी नहीं मिलता। उसके बारे में मेरा अनुभव है कि अधिक जिलों के अन्दर मजिस्ट्रेट और खासकर एस०डी०ओ० सवेरे के टाइम में कचहरी देर से आते हैं। राइट टाइम पर नहीं आते। जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम है १० से ४ बजे तक का, उसमें वह १० बजे न पहुंच कर १२ या १ बजे तक पहुंचते हैं, फिर लंच पर चले जाते हैं और ३ बजे जब लंच से लौट कर आते हैं तो उस समय कोर्ट के तमाम बाबू दस्तखत कराने के लिये लाइन लगाये खड़े रहते हैं और बेचारा लिटिगेंट बाहर से आने के बाद भी बठा रहता है। उसकी पेशी बढ़ा दी जाती है और वह परेशान किया जाता है। इस संबंध में मैं अर्ज करूंगा कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात ठीक, है, लेकिन वह पूरी तरह से होना चाहिये। दूसरे में यह सजेस्ट कर रहा हूं कि डी० एम० को अपना कोर्ट अपने बंगले पर न लगा कर कचेहरी में लगाना चाहिये ताकि उसके मातहत मैजिस्ट्रेट्स समझें कि हमारा हाकिम बैठा है और वे समय से अपना काम करें।

इसके बाद आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स, यह ठीक है कि समाज में अपनी प्रेस्टीज के कारण ही चुने जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें रखना है तो उनके लिये भी कुछ कंडीशन्स और क्वालीफिकेशन्स रखनी चाहिये और इसके अतिरिक्त उनको कुछ अनुभव होना चाहिये। या तो उन्हें लीगल

[श्री छेदालाल चौधरी]

एक्सपीरियेन्स हो अथवा वे वकीलों में से चुने जांय और यदि वे सेवा भाव से ही काम करना चाहते हैं तो समय से और नियमों की पाबन्दी में रह कर ही उनको काम करना चाहिये ताकि केसेज जल्दी निपटाये जा सकें। कई बार लोगों को इंसाफ के बजाय सजा मिल जाती है। इसके अलावा मैंने अनुभव किया है कि नान-बेलेबिल आफेंसेज में जमानत के लिये अर्जी आने पर रिपोर्ट वगैरह देने में बड़ी देर लगा दी जाती है, टालमटोल की जाती है और उसमें करेप्शन की गुंजायश रहती है। उसमें कोर्ट इंस्पेक्टर और पब्लिक प्रासीक्यूटर्स को जल्दी रिपोर्ट देनी चाहिये ताकि जमानत सीक करने वाले को कानूनी पैरवी करने का हक मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपाठी जी के कटमोशन के समर्थन में कुछ बातें रखना चाहता हूं। इस समय तक काफी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं और कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में कोई दो रायें नहीं हैं। साफ दिली से उनके बारे में हमारे कांग्रेसी भाइयों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं विशेष रूप से दो बातें कहूंगा।

हमारे सोशलिस्ट भाई ने जो कहा, बम्बई में जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव को अगल करने का अनुभव जो हुआ वह मुझे भी खटकता था लेकिन इस बारे में उन्होंने विशेष रूप से कह दिया है और यदि वह बम्बई में संभव नहीं हुआ तो कोई वजह नहीं है कि हमारे यहां भी उसका अनुभव उल्टा ही होगा। मुझे आशा है कि सरकार, बम्बई वाली बात को दुरुस्त करके और सदन का जो मत है उसको अलग रखना चाहिये, उसके बारे में एक स्पष्ट रूप से आश्वासन देगी।

मैं भी एक वकील हूं और ३० साल से वकालत कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी भी एक पुराने वकील हैं, अध्यक्ष, महोदय भी वकील हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी काफी तजुर्बा इसका रखते हैं। माननीय मंत्री जी के बारे में मेरा खयाल है कि वे बड़ी अदालतों का अनुभव रखते हैं, जिसके बारे में मेरा स्वयं का कोई अनुभव नहीं है। किन्तु मैं यह कह सकता कि जो सुझाव आपने हाई कोर्टस् के बारे में दिये हैं वे तो चलें, परन्तु मैं यह चाहता हूं कि प्रतापगढ़ जो छोटा-सा जिला है जहां पर माननीय मंत्री जी, मेरी जानकारी है, शायद ही गये हों, वहां वे एक बार चलने का कष्ट करें और वहां चल कर छोटी अदालतों में जो दुर्गति हो रही है उसको देखने का कष्ट करें। मुझे यकीन है कि उसको देखने के बाद से वे तुरन्त जुडिशियरी को पृथक कर देंगे। वे काम जरूर अच्छा करते हैं, मगर उनके पास काम इतना लदा रहता है कि वे न्याय नहीं कर पाते। उनके ऊपर एक्जीक्यूटिव का दबाव इतना रहता है कि जिसके कारण वे न्याय नहीं कर पाते। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने ए० डी० एम० (जे०) रख दिया है, मगर क्या फायदा होगा उससे? मैं कहता हूं कि अगर कोई नुकसान भी होता हो तो भी आप इसे अवश्य कर दें। ऐसा करने पर आपको पता चल जायेगा कि इससे क्या फायदा होता है। वे अपने को उतना ही डिप्टी कमिश्नर के अधीन समझते हैं जितना कि और आफिसर्स।

इसके लिये कई माननीय सदस्यों ने जो ध्यान आकर्षित किया और जो बातें कहीं मैं उनसे भलीभांति सहमत हूं। आपने न्याय का यह जो छोटा-मोटा काम डिप्टी कलेक्टर के जिम्मे रख दिया है। १०७, १०९ और ११० के मुकदमें इनके जिम्मे क्यों रख दिये? इनको तो आपको जुडिशियल आफिसर्स को देना चाहिये था। जो चालान करेगा अगर वही उसको फांसी देगा तो उससे न्याय कैसे हो सकेगा? इसके लिये आप इतना करें कि जो एस०डी०ओज० हैं जिनके ऊपर एक्जीक्यूटिव का और भार है इनको आप दूसरे और मुकदमें दे दें। तो जुर्म कम करने के लिये अगर आप इसी तरह बराबर डंडेबाजी करते रहें तो जुर्म कम हो जायगा, परन्तु न्याय नहीं हो सकेगा, इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि मुझे आजादी के बाद किसी कारण से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

६ महीने सत्याग्रह के संबध में जेल में रहना पड़ा और मैंने देखा कि जो लैट्रीन साफ करने वाला था वह एक विशेष जाति का मुसहर कहा जाता था। प्रतापगढ़ में उसने कहा कि मेरा जीवन तो इसी में समाप्त हो रहा है। हमारे यहां रिपोर्ट चली जाती है कि सफाई करने वालों की कमी है तो हमें पकड़ कर सुल्तानपुर जिले से १०७ में भेज दिया जाता है और छूट जाते हैं तो कुछ दिन भले ही खाली रहें जब तक सफाई करने वालों की कमी न हो लेकिन जरूरत पड़ने पर फौरन चालान कर दिया जाता है। तो उसने कहा कि मेरा तो जीवन इसी में समाप्त हो रहा है। तो १०७ और १०९ की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा।

(लाल बत्ती होने पर)

लाल बत्ती आ गयी। मैं दो एक बात प्रतापगढ़ के बारे में कहना चाहूंगा जिन पर मंत्री जी ध्यान देंगे। प्रतापगढ़ के अन्दर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज रायबरेली में बैठता है। वहां कोई काम नहीं है। वहां एक सेशन जज रहता है और एक ही सिविल जज है और एक मुन्सिफ है। ३ आदमियों का स्टाफ रायबरेली में है। मेरे यहां दो मुन्सिफ हैं, ऐडीशनल जज है, ५-६ सेशन जज की पावर के हैं। इसके लिये आश्वासन दिया जाता रहा, ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन पता चला है कि मंत्री जी का पूरे तरीके से आश्वासन था कि जून समाप्त नहीं हो पायेगा और वहां जजी हो जायगी, लेकिन हमारी आशा निराशा में परिवर्तित होती जा रही है। वहां काम ज्यादा है, रायबरेली में काम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज वहां जाता है, कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसके फेवर में नहीं है कि वहां रहे। ऐसा क्यों है, कोई दौरे की बात है या क्या मामला है वह तो वहां के निकट रहने वाले हों वह रखेंगे। दूसरी चीज यह है कि मैं उम्र में ज्यादा हो गया हूं, डर लगा रहता है कि कब छत गिर पड़ेगी सिविल कोर्ट की। पता यह लगा है कि कई वर्षों से यह रिपोर्ट हो गयी कि यह कडेम्ड बिल्डिंग है, खपरैल की बनी हुई है। रिपोर्ट हो गयी है कि काम करना भी वहां खतरनाक है। वकील, जज मुंसिफ जो वहां बैठते हैं वह थोड़ी देर काम करते हैं और मुकदमें की तरफ थोड़ी देर देखते हैं और ज्यादा देर ऊपर की तरफ देखा करते हैं कि कहीं टूट कर गिर न पड़े। दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं तो न्याय पाने में मुश्किल हो रही है। इसलिये इस ओर ध्यान देने की जल्द से जल्द जरूरत है।

दो एक सुझाव और हैं। मेरे मित्र ने कहा है कि न्याय पंचायतों को ५०० रुपये का अधिकार दे दिया, लेकिन मुन्सिफ को ५०० रुपये का अधिकार देने के लिये तैयार नहीं होते। उसमें अन्याय हो रहा है। यदि आप देना ही चाहते हैं तो सौ रुपये तक का देकर देखते। ५०० रुपये का देने से गड़बड़ी फैलती है। दूसरी बात यह है कि यह जो पंचायत चुनाव हुआ करते हैं इनकी पेटीशंस होती हैं डिप्टी कलक्टर के यहां, वह भी गड़बड़ है। उनको जुडीशियल आफिसर्स को ही दें जिनपर कि आप का विश्वास है और जनता का तो नहीं है, फिर भी उनको दे दें तो उससे काम में सहूलियत होगी और उसकी अपील आगे कर दें। इसमें बड़ी कठिनाई होती है, रिट पेटीशंस काम की नहीं होती और पबलिक को संतोष नहीं होगा, इसलिये अपील का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बाबूलाल—अन्तिम सुझाव है कि जुडीशियल आफिसर्स को कभी फौजदारी के मुकदमें देते हैं, कभी दीवानी के, इधर से उधर करते हैं और उधर से इधर। दोनों तरफ आप वही पूरे अधिकार देते हैं जो मुन्सिफ को देते हैं डिक्लेरेशन के सूट पर और उजरदारी के बारे में। लेकिन जबकि दिन भर में मुन्सिफ केवल एक मुकदमा करता है आप जुडीशियल आफिसर से उम्मीद करते हैं कि वह १० मुकदमें दिन भर में करे। इस प्रकार से कैसे न्याय हो सकेगा? कुछ समानता होनी चाहिये। कानून में पूरा अधिकार दे दिया और मुन्सिफ एक मुकदमा करता है तो वह १० करें। अगर काम ज्यादा है तो मुन्सिफ के कोटे को बढ़ावें

श्री उपाध्यक्ष—अब आप बैठिये।

बेगम् किश्वर आरा—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इस समय विषय जेरे बहस है यह जूडीशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। मैं सरकार को मुबारकबाद देती हूं कि सरकार ने इन्साफ और कानून से मुताल्लिक काफी अहम काम अंजाम दिये हैं। प्रजातंत्र राज्य में जुडीशियरी को जो अहमियत हासिल है वह कोई पोशीदा बात नहीं है। जमुरही हूकूमत के लिये यह ऐहमियत और भी ज्यादा हो जाती है। जुडीशियरी ऐसा मुहकमा है जो कि सरकार और जनता के दर्मियान तवांजुन कायम रखता है। हमारी सरकार ने इस सिलसिले में बहुत से काम किये हैं जो कि काबिले तारीफ है जैसे आईन का Directive principle में separation of power में ला कमीशन की, पंचायतराज ऐक्ट और जुडीशल मैजिस्ट्रेट्स की तकर्रुरी वगैरह का तस्सवुर पेशी किया गया है। इसके अलावा अदालतों के फर्नीचर और इमारतों वगैरह का काफी इन्तजाम किया है। हाईकोर्ट के जजेज की तादाद में काफी इजाफा किया गया है। बावजूद इसके अपोजीशन वाले कहते हैं कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं, अगर यह किया नहीं है तो आखिर यह क्या है? मैं उनसे पूछती हूं। आजकल यह आम तौर की शिकायत है कि नीची अदालतें इन्साफ के तकाजे को पूरा नहीं कर पाती हैं। यह बात एक हद तक सही भी है। मेरा ख्याल यह है कि जुडीशल मजिस्ट्रेट कलेक्टर के मातहत नहीं होना चाहिये बल्कि बराहरास्त वह हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज के मातहत रहें। ऐसा करने से मेरा ख्याल है नीची अदालतें इन्साफ के तकाजे को ज्यादा अच्छी तरह पूरा कर सकेंगी क्योंकि नान टेक्निकल आदमी जो फैसला करते हैं वह फैसले इन्साफ से दूर हो जाते हैं और अक्सर गलत भी हो जाते हैं। जितने भी ऐसे मुकदमात होते हैं वह जुडीशियरी को ही तय करने चाहिये क्योंकि कुछ मुकदमें एग्जीक्यूटिव भी तय करती है जैसे कि रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के मुकदमात। हमारी सरकार का बड़ा कारनामा पंचायतराज ऐक्ट है वह मुनासिब और मौजूं है। फिर भी मुझे दो एक बातें काबिल गौर है। अगर पंचायतराज ऐक्ट सही है अपनी जगह पर तो फिर उसको शहरी इलाके में क्यों नहीं नाफिज किया जाता है और अगर कुछ खासियात है तो फिर देहाती गांव में क्यों नाफिज किया गया है? इस ऐक्ट के तहत में जो सहूलियत और आसानी देहातियों के लिये फराहम की गई हैं उनसे शहर वाले क्यों महरूम रहें। इस तरह से सूबे की आबादी को दो हिस्सों में बांटने से क्या फायदा है? आईन के आर्टिकिल १४ में साफ दिया हुआ है :—

"The State ahall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

आईन के आर्टिकिल १४ में मौजूद है कि किसी फिर्का, जमाअत या फर्द के दर्मियान भारत के किसी जगह के रहने वालों के दर्मियान कोई इम्तियाज नहीं बरता जायगा। देहातों में ५०० रुपये तक के मुकदमें बिना पैसे के लड़े जा सकते हैं जबकि शहर में ५ रुपये के मुकदमें में ५०० तक खर्च करने पड़ते हैं। तो इस तरफ सरकार को तवज्जह देनी चाहिये। शहर में भी ५०० रुपये तक के मुकदमात फ्री होने चाहिये और इससे ज्यादा रकम पर सरकार आखिर में अपनी आमदनी के लिये जीते हुये भर्द पर टैक्स लगा दें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया के किसी भी आजाद मुल्क में खुसुसा ऐसे मुकदमात सरकार और शहरी मुल्वत है। कोर्ट फीस की अदायगी और उस की बढ़ती हुई रकम इन्साफ हासिल करने के लिये कोई टैक्स नहीं है। कोर्ट फीस की अदायगी और उसकी बढ़ती हुई शरह आम आदमियों के लिये नाकाबिले बरदाश्त है कि जिसे गरीब आदमी कतई बरदाश्त नहीं कर सकता। नतीजा यह होता है कि गरीबों की अकसीरीयत इन्साफ से दूर हो जाती है। कोर्ट फीस सरकार की आमदनी का एक हिस्सा है। और यह सच है कि इसको खत्म कर दिया तो सरकारी खजाने पर भारी असर पड़ेगा लेकिन एक दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि सरकार की आमदनी बरकरार रहे और आम आदमी इन्साफ पा सके। कोर्ट फीस के बजाय सरकार जीते फर्द बतौर टैक्स कोई और हमारी सरकार की आमदनी भी बदस्तूर रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत इन चन्द गुजारदाश्त पर गौर करते हुये कोई ठोस अगला कदम उठायेगी।

तो कोर्ट फीस के मसले के मुताल्लिक में गुजारिश करूंगी कि कोर्ट फीस उस आदमी पर बाद में आयद की जाय जो जीते ।

"गरचे अन्दाजे बयां मेरा खूब नहीं है शायद कि उतर जाय तेरे दिल में मेरी बात ।"

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि (१) संविधान में जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलहदा करने की बात क्यों रखी गयी ? (२) क्या सरकार को जुडीशियरी में नीचे से लगा कर ऊपर तक पक्षपात और भ्रष्टाचार दिखायी नहीं देता है ? (३) क्या सरकार हाईकोर्ट के तथा अन्य जजों को जब वे रिटायर हो जाते हैं तो उनको वाइस-चांसलर बना कर या कमेटियों के आफिसर बनाकर लालच नहीं देती है और इस तरह से उनको न्याय करने से नहीं रोकती है ? जब उनको ऐसा मालूम हो जायगा कि सरकार का पक्षपात करने से सरकार उनको कहीं न कहीं रख देगी तो क्या जनता के साथ न्याय हो सकेगा । इसलिये मेरी जोरदार मांग है कि रिटायरमेंट के बाद किसी जज को किसी पद पर न रखा जाय ? (४) (Justice delayed is justice denied) अगर कोई मुकदमा देर से फैसला होता है तो न्याय नहीं मिल पाता । इसलिये मुकदमे जल्दी फैसला किये जायं । (५) सरकार जल्दी न्याय दिलाने में बिलकुल फेल रही है । आपने न्याय को पेंइंग प्रोफेशन बना दिया है । (६) गरीबों को तो न्याय मिलता ही नहीं है, न्याय मिलता है केवल अमीरों और सरकारी पक्ष को । (७) कोर्ट फीस इतनी बढ़ा दी गयी है कि उससे नागरिकों के राइट्स का अपहरण हो रहा है । जिस नागरिक के पास पैसा नहीं है वह रिट दाखिल नहीं कर सकता है । (८) मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने क्यों रिट फीस को बढ़ा दिया है । और सरकार ईमानदारी से जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलहदा करना चाहती है तो जुडीशियल आफिसर्स को हरेक जिले में कलेक्टर की मातहती से हटाकर डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में रख दिया जाय । (९) हाईकोर्ट के जजेज की नियुक्ति में सरकार का कोई हाथ न हो । केवल चीफ जस्टिस की सिफारिश पर ही जजों को मनोनीत किया जाय ।

(१०) हाईकोर्ट के जजों को जो गर्मी में छुट्टी मिलती है वह तुरन्त बन्द कर दी जाय क्योंकि जब मिनिस्टर्स, आई०ए०एस०, पी० सी० एस० वाले गर्मी में काम कर सकते हैं तो क्या वजह है कि हाई कोर्ट के जजेज काम न कर सकेंगे । इसके ये माने नहीं हैं कि जजेज को छुट्टी न दी जाय, बल्कि उनकी जितनी छुट्टी हो उनको दी जाय ताकि वे आराम कर सकें ।

(११) पांच-पांच, छः-छः साल के मुकदमें अभी तक फैसल नहीं हुये हैं ।

(१२) एंटी करप्शन, न्याय पंचायत और आनरेरी मैजिस्ट्रेट इन तीनों पोस्टों को फौरन खतम किया जाय । पेशकार दो-दो बजे तक मरते रहते हैं ।

(१३) सारे प्रदेश में गर्मी के दिनों में मार्निंग कचहरी होनी चाहिये । और हर कलेक्टरी कचहरी में मुकदमे के लिये जो लोग आते हैं उनके बैठने व पानी का प्रबंध होना चाहिये ।

(१४) अगर मुकदमें में तारीख लगानी हो तो अव्वल वक्त में लग जाया करे, यह न हो कि शाम हो गयी तब मुकदमे की तारीख दे दी ।

(१५) कलेक्टर को रोज सुबह हाजिरी लेनी चाहिये कि आफिसर ठीक समय से कचहरी आये या नहीं और ठीक समय से काम खतम करके गये या नहीं ।

(१६) १५ साल के कुराज में अभी तक गवर्नमेन्ट हक पानी बन्द नहीं कर सकी है, इसे तुरन्त बन्द किया जाय ।

(१७) कानून कम बनाइये ताकि हम उसे लिख-पढ़ सकें ।

(१८) रोज-रोज संशोधन न करें और रो-रो कर संशोधन नहीं होना चाहिये, बल्कि हंस-हंस कर संशोधन होना चाहिये ।

[श्री प्रेमसिंह]

(१९) यहां तो एक हाईकोर्ट होना चाहिये, नहीं तो हाईकोर्ट के ४ बेंचेज होने चाहिये। एक आगरा में जहां कि मैं भी जाना चाहता हूं क्योंकि वहां जाकर कम से कम ताजमहल तो हम देख ही सकेंगे। दूसरा पहाड़ में। लखनऊ और इलाहाबाद में दो तो पहले से हैं ही।

(२०) जुडिशियरी को आप करप्ट न कीजिये, उनके कामों में दखल न दीजिये, नहीं तो फौजी शासन इस देश में जल्दी आ जायगा और आपकी और मुझको दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। अल्लाह खैर करे।

*न्याय मंत्री के सभासचिव (श्री चन्द्रसिंह)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर जो माननीय सदस्यों ने, सदन के दोनों तरफ के---अपने-अपने विचार प्रकट किये, मैं उनसब का आभारी हूं क्योंकि जितने भी उपयोगी सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आये हैं, सरकार जरूर उनका उपयोग करेगी और मैं आशा करता हूं कि उन सुझावों.....

श्री अवधेशकुमार---श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि श्री चन्द्र सिंह जी माननीय मंत्री जी की तरफ से जवाब दे रहे हैं या माननीय मंत्री जी जवाब देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---वे एक सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं, जवाब माननीय मंत्री जी देंगे।

श्री चन्द्रसिंह---मैं यह बतला देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को इस बात को पूरी तरह से समझ लेना चाहिये कि वह कानून किस जमाने का है जो कानून कि आज हमारे मुल्क की व्यवस्था को सम्भाले हुये है। वह कानून ब्रिटिश कोर्ट आफ जस्टिस का कानून है और हिन्दुस्तान को चौपट व तबाह करने के लिये उस कानून का इस मुल्क में संचार किया गया था। और हमारे देश के सारे नेता और अगुआ इस बात को जानते हैं और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात के लिये आवाज बुलन्द की थी कि बृटिश कोड आफ जस्टिस भारत में खत्म किया जाय। अगर हम अपने देश को हरा-भरा करना चाहते हैं तो हमें इस देश से बृटिश कोड आफ जस्टिस को समाप्त करना चाहिये, वह सिस्टम आफ जस्टिस जो इस देश का नहीं है और जो एक गैर देश का है और जिस को इस देश पर लादा गया है उस को हम इस देश में नहीं रहने देंगे और हम आप को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार इस बात को महसूस करती है कि वह हटना चाहिये और इसीलिये हमने अपने यहां एक ला कमीशन सेट अप किया है। हम जानते हैं कि इस देश के कानून में खामियां हैं और हमें स्वतंत्र भारत की विधि व्यवस्था को सम्हालना है वह जो परतंत्र भारत का कानून है वह आज यहां उपयोगी नहीं हो सकता। हमारे मौजूदा कानून में खामियां हैं उन को हमें दूर करना है और नई व्यवस्था कायम करने के लिये हमें अपने यहां नया कानून बनाना पड़ेगा यह बात सही है।

हमारे कुछ भाई गुरेज करते हैं और कहते हैं कि न्याय पंचायतों को न्याय करने का अधिकार नहीं देना चाहिये, यह उन की बड़ी नासमझी की बात है। जिन्होंने देश को नहीं देखा। जिन्होंने कानून की अदालतों में देश की तबाही का नकशा नहीं देखा, आप यहीं रोशनउद्दौला कचहरी में जाकर देखें हजारों आदमी वहां मक्खियों की तरह भिनभिनाते फिरते हैं। वहां आप को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार मुल्क का शोषण इन अदालतों में हो रहा है जहां कि आज भी बृटिश कोड आफ जस्टिस जारी है। हमारा न्याय कमीशन जल्द ही इस न्याय व्यवस्था को सम्भालने की कोशिश करेगा। हम चाहते हैं कि देश का कानून इस तरह का बने कि जिस से यह एक ग्रीन लैन्ड बनें और न्याय की जड़ें यहां गहरी हों। इसी प्रकार का कानून हमारे देश को सम्भाल सकता है।.....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलवान सिंह—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सभा सचिव जो बोल रहे हैं वह अपने कानून को स्वयं क्रिटिसाइज कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह—मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि मैं इस बात को कबूल करता हूं कि आज का कानून नाकाफी है और वह नई व्यवस्था को सम्भालने के काबिल नहीं है, यह मानकर हम चलते हैं। जो इस चीज को नहीं समझते वह दिमाग नहीं रखते और वह देश की तबाही और जरूरतों को नहीं देखते। जो ला कमीशन की मांग जनता की ओर से हुई थी जिसको कि सरकार ने मंजूर किया क्योंकि वह एक जरूरी मांग थी और मैं समझता हूं कि ला कमीशन को इस प्रदेश में जल्द ही अपना काम आरम्भ करना चाहिये। आज हमारे कानून के अन्दर उस नवीनता को लाने की जरूरत है जो देश में एक लहलहाता जीवन पैदा कर सके। जो भाई न्याय पंचायतों के खिलाफ बात करते हैं वह गलत बात कहते हैं। अगर हम देखें तो हमारी इन पंचायतों का जिक्र ग्रीक लिटरेचर तक में मिलता है। वहां लिखा है कि (Vox Populi Vox DEI. The voice of the people is the voice of God.) हमारे यहां आज भी पंच परमेश्वर कहा जाता है और इतना बड़ा दर्जा उनको दिया जाता है और ग्रीक लिटरेचर में उस जमाने की पंचायतों का जिक्र मिलता है। हमें अपने यहां कुछ दफाओं को नये तरीके से रखना होगा जिससे यह चीज संगठित हो और हम अपने कानून में एक नया जीवन संचारित करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमें इन दफाओं में पूरा-पूरा अधिकार अपने मसलों को तय करने का इन चायतों को देना चाहिये। और उन फैसलों के खिलाफ जिस प्रकार आज रिवीजन प्रोवाइड किया गया है वह नहीं होना चाहिये। पंचायतों के फैसले से अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है, लेकिन अगर उससे सारे मुल्क को फायदा होता है, तो हमें उससे गुरेज नहीं करना चाहिये।

यह बात सही है कि बहुत से एडजर्नमेन्ट्स होते हैं। यह तो ह्यूमन इनजेन्युटी है। जितनी बेईमानी और बदमाशी इनसान सोच सकता है मुकदमे में देर लगाने के लिये वह करता है। बहुत से आदमी मर जाते हैं, लोगों की तबियत बदल जाती है, अफसर बदल जाते हैं, इसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों का हाथ हुआ करता है, वकीलों का, गवाहों का और पुलिस का, सब का हाथ होता है और मुकदमे देर में फैसले होते हैं। मैजिस्ट्रेट की मजबूरी है क्योंकि गवाह ठीक समय पर नहीं आते। परन्तु इसके माने यह नहीं है कि हम कानून की कमियों को कबूल करते हैं तो आप ओवर नाइट सारे कानून को रिवोल्यूशनाइज कर दें। आपको मालूम होगा इंडियन पेनल कोड के एक-एक शब्द पर लाखों पया खर्च किया गया, एक-एक कामा और फुलस्टाप पर ६, ६ महीने डिबेट हुई तब वह कानून बना। आपने देखा होगा एनेक्टमेंट कैसे हुये हैं, कितना दिमाग बड़े-बड़े लोगों ने खर्च किया, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कानून में व्यवस्था करना कितना मुश्किल है।

१९५२ में मैं जब यहां आया था तो मैंने सरकार के सामने यह बात रखी थी कि यू०पी० के दूर-दूर जिले के लोग अपने काम के लिये जब इलाहाबाद जाते हैं, यह मानते हुये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच लखनऊ में है, तो क्या कारण है कि जो लखनऊ स्टेशन से गुजरते हुये इलाहाबाद अपनी अपीलों की सुनवाई के लिये इलाहाबाद जाते हैं, उनके फैसले लखनऊ में ही क्यों न हों बरेली के एक माननीय सदस्य ने अभी कहा था, मैं समझता हूं यह विचार बिल्कुल जायज है और किसी भी सरकार को इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिये। हमको लिटीगेंट पब्लिक को सहूलियतें जरूर देना चाहिये जिससे उनका अधिक पैसा खर्च न हो, अधिक समय बरबाद न हो। जब लखनऊ बेंच से न्याय मिल सकता है तो इलाहाबाद जाने की क्या जरूरत है? इसको जल्दी दूर करना चाहिये। जैसे कुमायूं और रुहेलखंड डिवीजन के जो मुकदमे हैं, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्दी इस सम्बन्ध में स्टेप लिया जाना चाहिये। और जो लोग इसमें रोड़ा अटकाते हैं वे पब्लिक के साथ अत्याचार करते हैं। यह जायज मांग लिटिगेंट पब्लिक की मानी जानी चाहिये।

[श्री चन्द्र सिंह]

जो लोग यह कहते हैं कि करप्शन को खत्म करने के लिये एक कमेटी बना दी जाय जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल पेनल, लाइयर्स और जितने मैजिस्ट्रेट मुफस्सिल कोर्टस में होते हैं, उन पर निगरानी रखे कि करप्शन होता है कि नहीं। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि कमेटीज का काम हमने बहुत देख रखा है। बड़ी-बड़ी रिपोर्ट लिख देने से कोई समस्या दूर नहीं हुआ करती है। बल्कि काम करने से होती है। जब तक देश का चरित्र ऊंचा नहीं होता, जो देश अपने चरित्र को खो देता है वह खड़ा नहीं रह सकता और प्रगति नहीं कर सकता। इसलिये हमें समय का वेट करना है। यह नैसेसरी इविल है किसी राष्ट्र की जिन्दगी में नैसेसरी इविल क्यों है? यह इसलिये है कि हम ईमानदार थे अपने देश में अंग्रेजों के डर से। हम समझते थे कि अगर हम कुछ करेंगे तो हम जेल में डाल दिये जायेंगे, फांसी पर चढ़ा दिये जायेंगे और हमें बड़ा भारी भय था, डर था और हम समझते थे कि हम बड़े ईमानदार हैं। लेकिन जो डंडे के भय से ईमानदार बना हुआ है उसको ईमानदार नहीं कहा करते हैं। जो स्वतः ईमानदार है उसको ईमानदार कहा जाता है। अगर बृटिश जमाने में लोग ईमानदार होते थे तो आज भी उनको बरकरार ईमानदार रहना चाहिये था। लेकिन यह फैक्ट है कि हम बृटिश राज्य के डंडे के भय से ईमानदार थे। हम देखते हैं कि जब बृटिश रूल समाप्त हुआ तो हमारे देश के लोगों का चरित्र रसातल को पहुंच गया। इसका कारण यह है कि हम डंडे के भय के कारण ईमानदार बने हुये थे।

आज हमारे आदरणीय नेहरू जी जो देहली में बैठे हैं उनको हिन्दुस्तान का छोटे से छोटा आदमी भी भाई समझता है और समझना भी चाहिये क्योंकि नेहरू जी कोई विदेशी नहीं हैं, नेहरू जी कोई ऐसे आदमी नहीं हैं जो हिन्दुस्तान को कुचलने के लिये देहली में बैठे हैं बल्कि वह हिन्दुस्तान को आबाद करने के लिये और हिन्दुस्तान को हरा-भरा करने के लिये देहली में बैठे हुये हैं, वह हिन्दुस्तान को तमीज सिखान क लिये और विकास करने के लिये वहां पर बैठे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारी जनहियत जरूर बदली है। हमने बहुत दिनों की गुलामी से छुटकारा पाकर अपने मुल्क का विकास किया है और हम अपने मुल्क को सम्भालने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हमारे अन्दर कमियां और खामियां हैं। उनको दूर करने के लिये समय की जरूरत है। जो लोग यह समझते हैं कि ५० साल में हम देश से करप्शन दूर कर सकते हैं उन्होंने इंसानी दुनियां को नहीं देखा बल्कि किताबों को ही पढ़ा है, उन्होंने देश की जमीन, पहाड़ मैदानों को नहीं पढ़ा है क्योंकि इंसानी फितरत है कि नेशन के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिये सदियों के समय की जरूरत होती है। एक रोज में किसी राष्ट्र के चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इसका सबूत मैं देना चाहता हूं, इसका ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं। आपने देखा कि इटली ने युद्ध में सरेंडर किया उसका कारण है कि वे ४००-४५० वर्ष तक गुलाम रहे। आज भी उनके नेशन का चरित्र चौपट हुआ है। उनके बड़े-बड़े साथी होते हुये भी वे लड़ाई को जज नहीं कर पाये.....

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री चन्द्रसिंह—मैं समझता हूं कि जितने माननीय सदस्य हैं वे सब मुल्क को ऊंचा उठाना चाहते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि कम्युनिस्ट मुल्क को गारत करना चाहते हैं या जनसंघी मुल्क को गारत करना चाहते हैं, उनकी प्रणाली से उज्रदारी हो सकती है, उससे मतभेद हो सकता है लेकिन किसी के बोनाफाइड्स को ससपेक्ट और शक जाहिर नहीं कर सकते हैं। इसलिये बिना किसी पार्टी के भाव के आप लोगों को हमारे बजट का समर्थन करना है। इसमें चोरी नहीं है, बेईमानी नहीं है। प्रतापगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जजी की कोर्ट होनी चाहिये। उसकी बिल्डिंग के लिये बजट में रुपया रखा गया है।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जन-साधारण को न्याय सस्ता और जल्दी मिले। इसीलिये मेरा खयाल यह है कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग किया गया है। लेकिन जिस मंशा से इसको अलग किया गया है, वह पूरी नहीं हुई,

अधूरी है। मैं आप से कहना चाहूंगा कि जुडीशियरी, जुडीशियरी कम एक्जीक्यूटिव और एक्जीक्यूटिव यह तीन प्रकार के न्याय हमको सरकार ने उपलब्ध करवाये हैं। जहां जुडिशियरी कम एग्जिक्यूटिव की बात आती है वहां निश्चित ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुपरिनटेन्डेन्ट आफ पुलिस तथा अन्य प्रभावशाली लोगों का असर बढ़ जाता है, ऐसा जुडिशियरी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है। ऐसी सूरत में मैं उन सदस्यों के साथ अपनी सहमति प्रकट करता हूं और बड़ी जोर के साथ मांग करता हूं कि जुडीशियल आफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन कर दिया जाना चाहिये और उनको स्वतंत्रतापूर्वक काम करने का मौका देना चाहिये।

मान्यवर, जब न्याय देने की बात सामने आती है तो वह एक विभीषिका का रूप ले लेती है। गांव का रहने वाला आदमी कचहरी में पहुंचता है तो वह हैरत में पड़ जाता है जब वह देखता है कि डिप्टी साहब तीन बजे से बैठे रहे हैं, कभी चार बजे से ६ बजे तक बैठे रहे हैं। कोई रेगुलर कोर्ट आवर्स का तरीका नहीं है। अदालतों के घंटे निश्चित करने चाहिये जिससे अवाम को राहत मिल सके।

दूसरी चीज यह है कि किसी एक माननीय साथी ने देवरिया की बात कही कि ३०–३२ मील चल कर तहसील में पहुंचते हैं। यदि सस्ता और जल्दी न्याय देना है तो आप मोबाइल कोर्ट्स का प्रबंध करें। मोबाइल दो प्रकार की होंगी। एक रूरल मोबाइल कोर्ट होगी और दूसरी अरबन मोबाइल कोर्ट होगी। अरबन मोबाइल कोर्ट मदरास और बम्बई में मौजूद हैं। उनका काम भी अच्छा हुआ है। उससे जनता को राहत मिली है। ये कोर्ट्स छोटे-मोटे मसलों को वहीं खत्म कर देती हैं। जो मसले अदालतों में जाने होते हैं वही मसले आगे बढ़ते हैं। इसलिये मंत्री जी रूरल मोबाइल कोर्ट्स की व्यवस्था करें जिससे अवाम को हर तरह की राहत मिल सके और उनको न्याय जल्दी और सस्ते ढंग से प्राप्त हो सके।

एक चीज और है। अगर यह कोर्ट्स काम करने लगें तो न्याय अदालतों के ऊपर से बहुत सा बोझ कम हो जायगा और जो अदालतें अभी तक पांच सौ रुपये तक के मुकदमे सुनती हैं उनको केवल सौ रुपये तक काम करने का मौका दिया जा सकता है। ऐसी सूरत में इन मोबाइल कोर्ट्स द्वारा न्याय देने में आसानी होगी।

दूसरी चीज जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वह यह कि कानून आप का सरल होना चाहिये और आम आदमी की समझ के अन्दर होना चाहिये।

साधारण आदमी कानून को नहीं समझ पा रहा है। चकबन्दी का कानून है। देहातों में उसको 'सरपट' कानून कहते हैं। जब और जैसा चाहते हैं अधिकारी अपना कानून बरत लिया करते हैं।

तीसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि अभी एक बलिया में केस हुआ है जिसमें पुलिस ने अदालत में जाकर मुजरिम को पकड़ लिया, जो अदालत में अपने को सरेन्डर करने जा रहा था। ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिये। इससे न्याय नहीं मिल सकता है। न्याय का गला घुट जायगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दफा १४५ में अपील की व्यवस्था होनी चाहिये। प्रायः ऐसा होता है कि उनके लिये दरख्वास्तें दी जाती हैं, टालमटोल होती है, और परिणाम होता है कि बड़े से बड़ा मकान जमींदोज हो जाता है प्रार्थी बेघर बार हो जाता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि जानबूझकर उसमें इतनी देरी की जाती है कि मकान अनधिकृत रूप से बन कर खड़ा हो जाता है। और प्रार्थी को हकरसी हो जाती है। वह अर्थात् अनाधिकारी अपनी शानशौकत से उसमें रहने बसने लगता है। इस तरह से कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। उसमें अपील की व्यवस्था होनी चाहिये और जिससे कि प्रार्थी को मौका मिले कि वह न्याय प्राप्त कर सके। टालमटोल नहीं पक्षपात को प्रश्रय न मिल सके।

[श्री केसरीप्रसाद]

मैं एक और बात कहना चाहता हूं वह है मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में ३०४ मालिक की धारा में वह एक ऐसी मौलिक धारा है जिस की तहत में ड्राइवर जिस किसी को चाहे कुचल दे और इसके लिये उसको चार-छः महीने से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। इसका परिणाम यह है कि आये दिन यह पाप बढ़ता चला जा रहा है। इसको रोकने के लिये यह जरूरी है कि इस धारा को खत्म कर दिया जाय और ३०२ में इसको शामिल कर लिया जाय जिससे अच्छी तरह से रोक-थाम हो सके और बेगुनाहों की जान न जाय।

मैं यह और कहना चाहूंगा---समन्स की बात। समन्स की तामील ठीक से नहीं हो पाती है। देहात में जो जबर्दस्त किस्म के लोग हैं या शातिर किस्म के लोग हैं वह सही तरीके से इनकी तामील नहीं होने देते हैं। ऐसे ढंग से उसकी तामील कराकर भेज देते हैं कि अभियुक्त को पता ही नहीं रहता है और उसको सजा तक हो जाती है या उसका मुकदमा खारिज हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि समन्स के तामील की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। जिससे प्रतिवादी को अपनी बात कहने का मौका मिल सके और वह न्याय पा सके।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, न्याय प्रशासन के अनुदान का समर्थन करते हुये मैं सदन के आदरणीय सदस्यों का ध्यान कुछ उन कदमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि राज्य प्रशासन की ओर से न्याय प्रशासन को प्रगतिशील बनाने के लिये उठाये गये है। प्रथम श्रेय में न्याय पंचायतों को देना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य हुआ जब उनके अधिकार की सीमा में कटौती करने की बात कही गई। जनसंघ के कटौती का प्रस्ताव देने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की मांग की कि पंचायत अदालतों को ज्यादा काम नहीं सौंपना चाहिये। तो उस पार्टी की बात तो हमारी समझ में आयी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के श्री विजयपाल सिंह ने भी जब अदालती पंचायतों के विरुद्ध विचार प्रकट किये तो आश्चर्य हुआ क्योंकि जो लोग पीपुल्स कोर्ट जो चाईना इत्यादि में बनीं उसके प्रशंसक रहे हैं वह हिन्दुस्तान में जब न्याय पंचायतों की स्थापना की जाती है और गांव लोगों को उसके जरिये से कुछ सुविधा दी जाती है, तो उसकी आलोचना करते हैं।

दूसरी बात जिसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं वह है जूडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का विभाजन। यह सही बात है कि यह विभाजन कम्प्लीट नहीं है और इतना तो सरकार भी क्लेम नहीं करती है कि हमने पूरे तौर से विभाजन कर दिया है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम है कि क्रिमिनल जूडीशियरी की व्यवस्था कमिश्नर्स और ए० डी० एम० (जे०) के अन्डर कर दी गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इसमें भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि बजाय ए० डी० एम० (जे०) और कमिश्नर के इनको डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन कर दिया जाय क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब वह खून के और डकैती के मुकदमे कर सकता है तो केवल ३४७ और ४०९ के मुकदमें जो कि जूडिशियल आफिसर करते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन करने में क्या दुश्वारी है, यह बात कुछ समझ में नहीं आती जबकि केवल इतना ही कह देने से सारे प्रदेश में जो इतनी बड़ी आलोचना सरकार की होती है, उस आलोचना से वह बच सकती है।

तीसरी बात जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि जो अदालतों में भ्रष्टाचार का आरोप किया जाता है तो वह जहां तक न्याय का प्रश्न है, जजमेंट जो वह देते हैं उसका प्रश्न है उसके विषय मे कोई इस तरह की आलोचना नहीं होती कि उसमें भ्रष्टाचार है। लेकिन अनेक अन्य छोटे-छोटे कार्य जो होते हैं जैसे समन्स का है, फाइल्स के कन्ट्रोल करने का है, नक्ल देने का है इसमें जरूर थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार देखा जाता है। उसी कारण पूरा न्याय प्रसाशन बदनाम किया जाता है। मैं समझता हूं केवल एक काम अगर सरकार कर दें तो यह भ्रष्टाचार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाप्त हो सकता है और वह यह कि राज्य सरकार प्रिसाडिंग आफिसर्स को इस बात की सूचना दे दे कि केवल जजमेंट की एफीशियेंसी आपके कार्य की एफीशियेंसी नहीं मानी जायगी बल्कि आपके न्यायालय में जो मिनिस्टीरियल स्टाफ है उनका जो काम है उसमें ईमानदारी बरती जाय, इस सम्बन्ध में भी जो आपकी एफिशियेंसी होगी उससे आपकी एफिशियेंसी मानी जायगी, तो मुझे विश्वास है कि यह प्रिसाडिंग आफिसर्स इतना अनुभव रखते हैं कि वह छोटे-छोटे भ्रष्टाचारों को रोक सकते हैं। और एक छोटी सी व्यवस्था और माननीय न्याय मंत्री जी चाहें तो कर सकते हैं कि प्रत्येक जिले में जो सिविल और क्रिमिनल का अध्यक्ष होता है वह डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ए० डी० एम० (जे) होता है। इन चार आदमियों की जिला के स्तर पर एक कमेटी बनादी जाय जो प्रत्येक मास या तीसरे महीने मिलाकर इस बात के बारे में सलाह मशविरा कर लिया करें कि उनकी अदालत में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है। उनको इतना अनुभव है कि उनको स्थिति का अधिक ज्ञान रहेगा। इस तरह से वह चीज रुक सकती है।

एक आलोचना और भी हुई है कि डिले बहुत हो रही है जिले की कचहरियों में। इसके लिये बतलाया गया कि हाईकोर्ट में २४ जज और बढ़ा दिये जांय तो यह बात ज्यादा डिले जो हो रही है उसमें कमी आ जायगी। हमारी समझ में कभी भी जजों के बढ़ाने से कमी नहीं आयेगी। आज काम इतना बढ़ता जा रहा है कि डिले क नहीं सकती है। हमारी समझ से अगर थोड़ा सा प्रोसीजर में सुधार कर लिया जाय तो यह डिले शायद रुक सकती है। जैसे कि रिट की मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है। उस पर हाईकोर्ट में एक बार एडमीशन पर बहस होती है और उसके बाद साल दो साल के बाद मेरिट पर बहस होती है। हमारी समझ से मिसलेनियस एप्लीकेशन के लिये इतनी ज्यादा देर क्यों अख्तयार की जाय। हाई कोर्ट में बहुत दिनों से यह प्रथा चली आ रही है कि सिंगिल जज और बेन्च जज किसी केस पर बैठते हैं। हमारी राय से सिंगिल जज को क्यों इतनी पावर नहीं दी जाती कि वह कुछ मुकदमों का फैसला कर दिया करे। वे हाईकोर्ट में मौजूद रहते हैं वह सब कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में इस न्याय प्रशासन के अनुदान का समर्थन करता हूं।

(श्री नरसिंह नारायण का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--श्रीमन्, हमको भी मौका मिलना चाहिये। हमारी पार्टी के सिर्फ एक आदमी को मौका मिला है। मेरा निवेदन है कि मुझे भी बोलने का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--बात यह है कि मजबूरी है। समय इतना कम है कि सब को समय देना कठिन है। अब तो मैं नरसिंह नारायण जी को बुला चुका हूं।

श्री लखपतराम शर्मा--पार्टी के हिसाब से अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--अब तो मैं दूसरे आदमी को बुला चुका हूं।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं तो यह महसूस करने लगा हूं कि जब न्याय मंत्री इस माननीय सदन के सदस्य के प्रति न्याय नहीं कर सकते हैं. तो हम उनसे क्या उम्मीद करें कि न्याय मंत्री जी आज ७।। करोड़ जनता, जो गांवों में बसती है, शहरों में बसती है उसके साथ न्याय करेंगे। इस प्रदेश की जनता के लिये न्याय तो कपिला गाय की तरह हो गई है तथा इस सदन में भी पुस्तिका न्याय के न बंटने के कारण हम लोग बिना राम के रामायण का पाठ कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जिनकी तस्वीर आज हमारे सामने लगी हुई है--कहा था, कि जिस देश में पैसे के ऊपर न्याय बिकता हो वह देश देश नहीं है। वहां का इन्तजाम इन्तजाम नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके सामने ला कमीशन की रिपोर्ट का एक अंश पढ़ना चाहता हूं।

[श्री नरसिंह नारायण]

इसलिये पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि आज कोर्ट में फीस कितनी ज्यादा बढ़ गई है और ५९ में जो ला कमीशन की रिपोर्ट छपी थी उनमें क्या कहा गया है जिससे माननीय मंत्री जी को ज्ञात हो जाय कि आज हमारे यहां न्याय कितना मंहगा किया है और न्याय हमारे यहां कपिला गाय के तरह से हो गया है। मैं आपकी आज्ञा से उस पोर्शन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो न्याय के संबंध में ला कमीशन ने लिखा है :—

"It is obvious, therefore, that a State which levies an exorbitant tax for making available its machinery for the administration of justice to the ordinary citizen fails to perform one of its elementary funcations. A modern welfare State cannot with any justifiction sell the dispensation of justice at a price. Perhaps a small regulatory fee may be justified but the persent scales of court fees are wholly indefensible."

(इस समय ४ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि ला कमीशन ने इस चीज को होल्ड किया है कि आज हमारे यहां का न्याय इतना मंहगा हो गया है कि जिसे हमारा किसान नहीं पा सकता यह एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस, उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं जो विभिन्न कोर्टों के हैं १९५९—६० के और वह मैं आपके सामने पेश कर देना चाहता हूं। तीन डिफरेंट क्लासेज के मैजिस्ट्रेट्स—स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट्स, आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेट्स और आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स के यहां परसेंटेज रहा है कंविक्शन का ४४ परसेंट, ४७ परसेंट और ३५ परसेंट। यह आपका एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस है। सोशलिस्ट पार्टी जो न्याय पालिका और कार्यपालिका के अलगाव की बात कहती है उसके लिये उसके पास फाउन्डेशन है। आप देखें कि किस प्रकार सरकार हाईकोर्ट के मामलों में दखल दे रही है। कांग्रेस का एक वर्कर जो काउन्सिल का मेम्बर है, वह इतनी क्वालीफिकेशन भी नहीं रखता, लेकिन वह हाईकोर्ट का जब नियुक्त किया जाता है। क्या यह जुडिशियरी में इंटरफियरेंस नहीं है? मैं आपके सामने १९३९ ए० आई० आर० (अवध) के पेज १८० का एक केस महावीर प्रसाद वर्सेज सी० बी० गुप्त का कुछ उद्धरण रखना चाहता हूं जिसमें चीफ जस्टिस लखनऊ ने उन पर २०० रु० जुर्माना किया था। यह इसलिये पढ़ना चाहता हूं कि यदि आप यहां बैठकर जब महात्मा गांधी के संरक्षण में हैं तो आपको न्याय की बात करनी चाहिये। आपको साढ़े ७ करोड़ जनता के साथ न्याय की बात सोचनी चाहिये। यह पोर्शन मैं इसलिये पढ़ता हूं कि जिससे मालूम हो जाय कि सरकार कितना इंटरफियरेंस जुडिशियरी में करती है। उन्होंने लिखा है :

"Again we have to regret that Mr. Gupta's statement in this connection is not true and examination of the original letter shows that Mr. Gupta corrected this letter in his own handwriting in the middle and near the end. It is quite clear that these corrections could not have been made without his having read over what he had dictated and read it with some ease."

"In these circumstances we do not feel that we should be justified in accepting his apology as fully meeting the requirement of Justice and we think it necessary to sentence him according to law.

"We direct that Mr. Gupta shall pay a fine of rupees two hundred. In default he will undergo one month simple imprisonment."

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने इतने कम समय में मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी सदन के सामने हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने हाईकोर्ट बेंचेज को कई टुकड़ों में बांटने की बात कही। जहां तक

कि हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने कहा और विशेष कर कम्युनिस्ट भाई ने कहा कि इलाहाबाद का पानी उन्हें पसन्द नहीं और वहां की भाषा को भी वे नहीं समझ पाते इसलिये वहां जाकर मुकदमें दायर करने में परेशानी होती है इसलिये उसको ४ जिले में—आगरा, मेरठ, इलाहाबाद और लखनऊ में बांट देने की बात उन्होंने कही। लेकिन मुझे सबसे अधिक अफसोस और आश्चर्य जब हुआ जब कि हमारे माननीय रावत जी ने भी इसी बात को कहा सदन के सामने। अभी सरकार की तरफ से इस बात के लिये कोई फैसला नहीं हुआ है, और यह एक पालिसी का प्रश्न है, तो इस तरह की बात सरकार की तरफ से बिना पालिसी तय किये हुये ठीक नहीं है। इलाहाबाद में हाईकोर्ट है, केवल इसलिये मैं यह बात नहीं कह रही हूं बल्कि इसलिये कहना चाहती हूं कि ला आफ जस्टिस का जहां संबंध है इस दिशा में ला कमीशन आफ इन्डिया की चौथी रिपोर्ट में यह कहा गया है—

"We are firmly of opinion that in order to maintain the highest standards of administration of justice and to preserve the character and quality of the work at present being done by the High Courts, it is essential that the High Courts should function as a whole and only at one place in the State."

यह रिपोर्ट जिस समय स्टेट रिआर्गेनाइजेशन का प्रश्न चला था उस समय इसके चेयरमैन श्री शीतलवाद ने पेश की थी और इसको पेश करने में उन्होंने बहुत जल्दी की थी केवल इस कारण कि उस वक्त इस प्रश्न पर भी विचार हो जाय। उनकी राय है कि हाईकोर्ट को टुकड़ों में बांटने से न्याय का गला घोटना है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कामों में बड़ा फर्क होता है। हाई कोर्ट तो केवल अपील करने के लिये होते हैं। हाईकोर्ट को अलग-अलग करने का मतलब यह होगा कि न्याय के स्टेन्डर्ड को कम करना। अगर हम हाई कोर्ट को कई बेन्चेज में बांटते हैं, जैसी की काफी दिनों से चर्चा है, तो उससे एक खतरा पैदा हो जायेगा और हम कभी न्याय नहीं पा सकेंगे। उससे कभी लाभ नहीं होगा। उसके लिये इलाहाबाद में अलग नयी इमारत बनी है, अच्छी लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है, और भी कई दिक्कतें आयेंगी। उसका अलग एक ट्रेडीशन होता है। अलग-अलग उसकी बेन्चें होंगी तो जो मुकदमें बाज लोग हैं उन्हें मजे हुये वकीलों की, जो इलाहाबाद में होंगे, लाना पड़ेगा और उसमें उनका पैसा और समय बरबाद होगा। उनको काफी पैसा भी देना पड़ेगा। इससे परेशानी और खर्चा उन लोगों का कम नहीं होगा। इसलिये किसी पालिटिकल कारण से या किसी सेन्टीमेंट से न्याय संबंधी मामलों में किसी प्रकार की खींचातानी नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ में माननीय न्याय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि सरकार इस तरह का निर्णय करने से पूर्व इस बात पर अच्छी तरह विचार करे कि इसका असर क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—लखपत राम जी आपको केवल ५ मिनट का समय मिलेगा।

श्री लखपतराम शर्मा—जी हां, बहुत काफी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक न्याय व्यवस्था का प्रश्न है यह सही चीज है कि किसी भी देश की जड़ न्याय व्यवस्था ही है। पाकिस्तान में प्रजातंत्र की हत्या इसलिये हुई कि वहां न्याय व्यवस्था बिलकुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बाहर से देखने में यहां बड़ा अच्छा मालूम होता है लेकिन अन्दर से खोखला होता चला जा रहा है। अदालतों में गरीब लोग जब मुकदमें के लिये जाते तो उनके पास खाने को रोटी नहीं होती, पहिनने को कपड़ा नहीं होता। वहां कचहरी में उनको ६-६ महीने तक दौड़ाया जाता है, मुकदमे का फैसला नहीं होता। यह सही है कि न्याय पंचायतें हैं और जबसे सृष्टि बनी तब से थीं, लेकिन उनमें आज के जमाने जैसा न्याय नहीं था। मैं एक मिसाल देता हूं। २० साल पहले की बात है, एक रियासत में एक स्त्री एक बच्चे को बहुत दिन से छुपाए हुए थी, जब असली मां को पता चला तो उसने फरियाद की कि मेरा बच्चा मुझे दिलवा दिया जाय। इंसाफ के लिये राजा के पास दोनों गयीं और दोनों उसे अपना बच्चा बतलाती थीं। जब इंसाफ में दिक्कत मालूम हुई तो राजा ने एक

[श्री लखपतराम शर्मा]

बड़ा सा चाकू मंगाया और कहा कि इससे बच्चे के दो टुकड़े करके दोनों को बांट दिये जांय। इस पर जो असली मां थी उसने कहा कि यह बच्चा इसी औरत को दे दिया जाय, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तब राजा ने असली मां को उसका बच्चा दिलवा दिया। इंसाफ एक मिनट के अन्दर हो गया। आज के युग में अगर कोई मामला ऐसा अदालत में आ जाय तो कम से कम साल डेढ़-साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा।

जहां तक बड़ी अदालतों का मामला है वह मैंने रखा, अब मैं शहरों की बात कहूंगा। जहां तक जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों का संबंध है वह ११ बजे तक आते हैं और डेढ़ बजे लंच में चले जाते हैं, जांच कर ली जाय। उसके बाद ३ व साढ़े ३ बजे लौटते हैं। पांच पौने पांच बजे फरीकेन को बताला दिया जाता है कि तारीख बढ़ा दी गई। इसकी आप अदालतों में धोखे से जांच करा सकते हैं।

दूसरी चीज यह है कि आज कानून के जरिये से इनसान की जिन्दगी खत्म की जाती है और उसको फांसी की सजा दी जाती है। क्या न्याय मंत्री किसी आदमी को जिन्दगी दे सकते हैं। जब जिन्दगी नहीं दे सकते तो लेने के लिये कहां से कानून बनाने का अधिकार है? इस कानून को बिलकुल खत्म कराइये जिसके जरिये से फांसी दी जाती है।

(लाल बत्ती होने पर)

क्या मेरा समय इतना ही है?

श्री अध्यक्ष—अभी दो मिनट और हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—जहांतक इस चीज का ताल्लुक है कि इंसाफ क्यों नहीं इन्साफ करा पाता, न्याय से हम क्यों दूर चले जाते हैं, मैं इस सदन के सामने बतलाना चाहता हूं कि जब कोई बड़े से बड़ा अपराधी पकड़ा जाता है तो बहुमत दल के लोग उसकी सिफारिश थाने से लेकर अदालत तक करते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि दो तीन साल पहले की बात है, माननीय पुलिस मंत्री श्री कमला पति त्रिपाठी जी को एक मामले में पूरी जानकारी मेरे द्वारा कराई जा चुकी थी कि एक आदमी जो मुलाजिम भी था हिस्ट्री-शीटर है और उसकी हिस्ट्री-शीट नम्बर ४७ है और वह १९४९ से हिस्ट्री-शिटर था, लेकिन पुलिस मिनिस्टर ने स्वयं झांसी जाकर उस हिस्ट्री-शीटर के हाथ से फूलों का हार पहिना और दावतें खाई, तो कैसे न्याय कायम रह सकता है जब हिस्ट्री-शीटर मंत्रियों को हार-फूल पहिनाएंगे। तो इन्साफ कैसे रह सकता है यह मैं जानना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—आपकी रेल बहुत तेज चल रही है।

श्री लखपतराम शर्मा—इन्साफ ही जमहूरियत और प्रजातन्त्र को कायम रखता है। इस तरह की सिफारिशें बन्द की जांय। मैं माननीय न्याय मंत्री जी को बता सकता हूं ठीक तारीख भी, अगर वह चाहें कि कब वह हिस्ट्री-शीटर रहा। झांसी के सतीष ही ऐसे आदमी के यहां कुछ माह पूर्व माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी भोजन किया जिसने सारे गांव को तबाह कर रखा है। व माननीय चरणसिंह जी ने सदर बाजार झांसी के ऐसे आदमी के यहां भोजन किया जिसने कि अंग्रेजों को लिखा था कि हिन्दुस्तान के खिलाफ खबरें पहुंचाना मेरा पैदायशी हक है। जब चौधरी साहब के सामने यह बात आई तो उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, यह एक ऐसी गलती हो गई है जिससे मुझे शुद्ध होने की आवश्यकता है। यह उनकी ईमानदारी थी तो इस तरह की घटनायें जहां पर हों, कांग्रेस के मिनिस्टर हिस्ट्री-शीटरों के यहां खाना खांय तो इन्साफ कैसे हो सकता है। प्रजातन्त्र और इन्साफ को कायम रखने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि इस तरह के भ्रष्टाचार और पातों में शामिल बहुमत दल के लोग न हों, उनसे दूर रहें। जहां तक जुडिशल मैजिस्ट्रेटों व पेशकारों का संबंध है उनकी तनख्वाह बहुत ही कम है, उसमें वे अपना काम नहीं चला सकते .....

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त ।

***श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल** (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया । मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, साथ ही यह भी चाहता हूं कि न्याय की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ी दुरुस्ती हो । इसमें सुधार की जरूरत है । मेरे लायक दोस्तों ने दो बातें कहीं हैं, एक तो कानूनों पर एतराज किया है और दूसरे प्रोसीजर पर एतराज किया है । जहां तक कानूनों की बात है यह ध्यान में रखना चाहिये कि देश को आगे बढ़ाने के लिये और एकता कायम रखने के लिये विधान का समर्थन करना पड़ेगा । प्रोसीजर में दोष है, इससे मैं सहमत हूं । प्रोसीजर सरल होना चाहिये । आज के युग में न्याय सामान्य नागरिक के लिये कठिन ही नहीं बल्कि दुस्तर हो गया है । मैं इस संबंध में कुछ सुझाव दूंगा । आप प्रोसीजर में सुधार करें ताकि न्याय देने में सहूलियत हो सके । मुकदमों की जो तारीखें बढ़ जाया करती हैं वह बहुत तललीफ देह बात हो जाती हैं । आप प्रेसाइडिंग मैजिस्ट्रेट्स को यह हिदायत दें कि उतने ही मुकदमें लगाया करें जिनको कर सकें । इस तरह से २०–२० आदमी आते हैं और लौट कर चले जाते हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोर्ट्स में किस तरह का करप्शन फैला हुआ है, पेशकारों की जेबें किस तरह से भरी जाती हैं । बिना पैसे लिये तो वहां कोई बात ही नहीं करता । मैं आपको बताऊं कि संयोग से मुझे हाईकोर्ट में एक एफीडेविड लगाने के लिये जाना पड़ा, वहां भी क्लर्क ने पैसे की मांग की, मैंने कहा कि इस तरह के इल्लीगल काम के लिये क्यों कहते हो तो मुंशी ने कहा कि यह तो यहां का कायदा है । मैंने कहा कि जो जी में आये करें और इस तरह से मेरा पिंड छूटा । देहाती जनता के कागजात दुरुस्ती के जो मुकदमात होते हैं उनका प्रोसीजर भी बहुत तकलीफ देह है । वह इन्तखाब लेकर जाता है उसके बाद मुकदमा दायर करता है । फिर उससे कहा जाता है कि फलां कागजात की नकल ले आओ जिसमें बड़ा टाईम बर्बाद होता है । मामूली नकलों की कौन कहे अर्जेन्ट नकलें भी नहीं मिल पाती हैं । उसका प्रीसीजर यह होना चाहिये कि जब कोई मुकदमा दायर हो तो उससे संबंधित कागजात के लिये फीस जमा कर ली जाय और सरकारी एजेन्सी द्वारा ही कागजात को मंगा लिया जाय और नकल ले ली जाय । तारीख मुकर्रर कर दी जाय और लोगों को बुलाकर मामले को तय करा दिया जाय ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मैंने जब प्रथम बार अपने विचार प्रकट किये उसके बाद विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष की ओर से बहुत से भाषण हुये जिनको मैं बराबर सुनता रहा । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे पक्ष के लोगों ने और साथ ही दूसरे विरोधी पक्ष तथा सरकारी पक्ष के लोगों ने भी मेरी बातों का समर्थन किया । उन बातों के बारे में कोई दो मत मद नहीं हैं । इसलिये मेरा विश्वास है कि सरकार उन बातों पर अवश्य ध्यान देगी । जैसा कि कोर्ट फीस के कम करने का प्रश्न था । उसके बारे में और कुछ मैं कहना नहीं चाहता । एक बात पहिले अवश्य कहना भूल गया था कि कोर्ट फीस बढ़ाने की सरकार ने ऐसी जल्दी की कि बहुत सी गल्तियां रह गयीं और कोर्ट फीस के अन्दर जो मदें आती हैं उनका अमेन्डमेंट करना भूल गयी । इतनी जल्दी थी सरकार को रुपया प्राप्त करने की । जैसे एक शब्द है मुहाल । जमींदारी समाप्त हो गयी । मुहाल अब रहा नहीं । यही नहीं बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका अमेंडमेंट करना सरकार भूल गयी । जब हम लोग मुकदमा दायर करने लगते हैं तो सोचते है कि मुहाल शब्द कहां लगाया जाय । इस पर सरकार ने विचार नहीं किया ।

मुकर्जी कमेटी की रिपोर्ट को भी मैंने पढ़ा । उसमें करप्सन की बात कहीं गयी है । मैंने उसका जिक्र इसलिये नहीं किया कि वह हर विभाग में एक आम चीज हो गयी है और उस पर सभी

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षन नहीं किया ।

[श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी]

लोग विचार प्रकट करते रहते हैं। क्लेरीकल स्टाफ की बात मैं जरूर कहूंगा कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है। इसलिये सरकार उनको बढ़ाने के बारे में विचार करे।

तीसरी बात यह कि सिविल जुडिशियल आफीसर्स में आजकल बहुत असंतोष है। ला कमीशन भी उस पर विचार करे। जब डिप्टी कलेक्टर प्रमोट होता है तो उसको १०० रुपया अलाउन्स मिलता है लेकिन जब एक मुंसिफ सिविल जज होता है तो उसको यह नहीं दिया जाता है। यद्यपि सिविल जज की रेस्पांसिबिलिटीज डिप्टी कलेक्टर से कहीं ज्यादा होती है। यह अपीलें सुनता है मुंसिफी की। इसी असंतोष का कारण है कि इनएफीशियेंसी बढ़ रही है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस पर विचार करें।

न्याय पंचायतों के बारे में कहा गया। एक सज्जन ने कहा कि हम न्याय पंचायतों का विरोध नहीं करते, उनको चाहे कितनी पावर्स दी जाय। मेरा उनसे नम्र निवेदन है यह तो खुशी की बात है कि उनका इतना बड़ा विश्वास पंचायती अदालतों में है लेकिन मेरा खयाल है उनको अधिक उसका अनुभव नहीं है। मैं पंचायतों को शक्ति देने के विरोध में नहीं हूं लेकिन हमारा जब यह पंचायती सिस्टम था तब हमारे देश की चारित्रिक स्थिति ऊंची थी लेकिन आज हमारा चरित्र गिरा हुआ है चाहे उसका कारण हम ही क्यों न हों। इसलिये मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पंचायतों को धीरे-धीरे उतने ही पावर्स दिये जांय जिनने वे ठीक प्रकार से निबाह सकें। आजकल आपने उनको स्मालकाज कोर्ट के अधिकार दे रखे हैं। लेकिन उसका कंसीडरेशन बिलकुल भी नहीं किया जाता है कि ऐसे अधिकार हम किसको दे रहे हैं। उनको उतने ही अधिकार दिये जांय जितने अपने अनुभव के आधार पर वे फैसले कर सकें। यदि आप आंकड़े देखें तो ८० प्रतिशत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो दर्जा दो से कम पढ़े हुये हैं। वे लोग फैसले कर रहे हैं और ऐसे गलत फैसले कर रहे हैं जिनको देखकर आश्चर्य होता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ऐसा भी मुकदमा मेरे सामने आये जबकि मैं एक केस में आर्गुमेंट कर रहा था कि चेयरमैन ने सिर्फ दस्तखत किये थे लेकिन फैसला किसी दूसरे ने लिखा था। ऐसे अनेक फैसले हमारे सामने आते रहते हैं। जब हाईकोर्ट के सामने आते हैं तो फाड़ कर फेंक दिये जाते हैं। लेकिन आप केवल यह देखते हैं कि ८०० या हजार फैसले हो गये लेकिन कैसे फैसले हुये हैं इसकी ओर आपका ध्यान नहीं गया।

किसी भाई ने सही कहा कि आनरेरी मजिस्ट्रेट का एबालीशन होना चाहिये। यह बात सही है उनका एबालीशन होना चाहिये।

नरसिंहनारायण जी ने यह सही कहा कि माननीय मंत्रीजी ने जो बम्बई की बात बतायी उसको सुनकर इन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि वे अनुभवी व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि बाम्बे में जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन से क्राइम्स बढ़ गये हैं। इनके सेपरेशन से क्राइम्स बढ़े है या कि लोगों का नैतिक पतन हो गया है अथवा एडमिनिस्ट्रेशन लूज हो गया है, इस कारण से क्योंकि पुलिस गलत आदमियों को सताती है इसलिये मुनासिब कार्यवाही नहीं हो पाती। क्राइम्स को रोकने में जो सफलता नहीं मिल रही है उसका कारण एग्जीक्यूटिव का जुडीशियरी से सेपरेशन बतलाया गया। अगर ऐसी बात है तो कांस्टीट्यूशन को स्क्रैप कर दीजिये, फिर इसको क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? मुझे इस तरह की बातें सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ। जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ला ऐंड आर्डर के बल पर राज्य कर रही थी उसी तरह से आज ये भी कहते हैं कि हम ला ऐंड आर्डर के बल पर राज्य करेंगे।

एक बात और लूजनेस की उदाहरण के तौर में मैं बतला देना चाहता हूं जो मुझे पता लगा है भगवान जाने कहां तक सच है। एटा के सिविल और डिस्ट्रिक्ट जज में चखचख चल रही है। इतने बुरे-बुरे आरोप हैं जिनको मैं सदन के सामने नहीं कहना चाहता। वहां के बार एसोशियेशन ने रिजोल्यूशन पास किया लेकिन न तो हाईकोर्ट पर जूं रेंगा, न सरकार पर। उससे केवल एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि जिस जुडिशियरी में हमारी इतनी आस्था थी

वह भी अब पार्टी पोलिटिक्स में पड़कर किसी ग्रुप से प्रभावित हो रही है और वहां एक ऐसा मामला पैदा हो गयी है जिससे एक ही परिवार के हमारे डिस्ट्रिक्ट जज व एक सिविल जज में आपस में मेल नहीं है। इसको जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव की गड़बड़ी ही कह सकते हैं।

तीसरी बात बड़े महत्व की है कि अक्सर जुरिस्डिक्शन को चेंज कर दिया जाता है। आज जहां सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वह कल रेवेन्यू कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में चला गया। मुझे ताज्जुब है कि माननीय मिनिस्टर साहब जो इतने अनुभवी व उच्च कोटि के वकील हैं, कैसे इस बात को मान सकते हैं कि यह चीज अपनी जगह पर सही है कि क्वालिटी का ध्यान न करके क्वानटिटी पर ध्यान हो। मेरा उसने यह आग्रह है कि जितनी भी अपीलें हैं वे डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होनी चाहिये।

जहां तक कोर्ट फीस बढ़ाने की बात है, आपको इस पर विचार करना होगा कि अगर आपको रुपये की सचमुच जरूरत है और डेवलमेंट का काम करना आवश्यक है तो उसके लिये डाइरेक्ट टैक्स लगाइये, इनडाइरेक्ट टैक्स न लगाइये। मुझे कहना तो नहीं चाहिये लेकिन वकील होने की वजह से पढ़े-लिखे हाकिमों के मन की आवाज हम समझते हैं कि अगर भारतवर्ष के लोगों की आस्था जुडिशियरी पर से हट गयी तो इन कांटों से घिरे हुए डेमोक्रेसी को पसन्द नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष—सदन का समय १५ मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री सैयद अलीजहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को जिन्होंने यहां के इस डिस्कशन में दिलचस्पी ली, उन सब का बहुत आभारी हूं। बहुत सी बातें एक तरफ से कहीं गयीं और दूसरी तरफ से उनका जबाब दे दिया गया। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। आज बाते हैं कि जिनको बार-बार कहा गया। जो मुख्य बातें हैं उनके मुताल्लिक चन्द बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। एक मांग बहुत से सदस्यों की तरफ से जोरों से यह आयी कि कोर्टफीस बहुत बढ़ी है और कोर्ट फीस को घटा देना चाहिये। खासतौर पर हवाला दिया गया रिट पेटीशन का कि उसके लिए ५० रु० कोर्ट फीस कर देने में कोई खास जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमें अपने देश के लोगों के मिजाज के ट्रेन्ड को देखना चाहिये। आप जानते हैं कि पहले कोर्ट फीस कम थी, अभी चन्द साल के अन्दर एक दफा कुछ बढ़ी और उसके बाद थोड़ी-सी दोबारा बढ़ी और अभी तीन चार साल हुआ कोर्ट फीस बढ़ चुकी है। अगर आप यह समझते हैं कि कोर्ट फीस बढ़ने से लोगों को परेशानी होती है तो कम से कम हमारे सामने यह नतीजा तो आना ही चाहिये था कि मुकदमे ज्यादा दायर न होते या कम मुकदमे अदालतों में जाते, लेकिन बरखिलाफ इसके उनकी तादाद आज बढ़ती ही चली जा रही है और हम जितने भी जजेज और मुन्सिफ बढ़ाते जाते हैं सब नाकाफी होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा आज हर चीज की कीमत बढ़ी है और रुपये की वेल्यू घटी है और इस बात को देखते हुये भी बढ़ी हुई कोर्टफीस कोई नाजायज या नामुनासिब नहीं है।

इसके अलावा हमें अपने यहां जनता के ट्रेन्ड्स को भी देखना होगा, हमारे यहां सब तरह के वकील मिलते हैं, बाज ऐसे हैं कि जो दस-बीस रुपये पर मुकदमा ले लेते हैं, बाज १५०-२०० से कम नहीं लेते, बाज हजार डेढ़ हजार से कम नहीं लेते, लेकिन कुछ ऐसा यहां का ट्रेन्ड है कि मुअक्किल अच्छे से अच्छे वकील को करना चाहते हैं चाहे उनकी फीस ज्यादा से ज्यादा ही क्यों न देना पड़े। इस तरह का मुकदमेबाजी का हमारे यहां का एक ट्रेन्ड है, लोगों को कुछ मुकदमेबाजी में दिलचस्पी और शौक होता है जिस तरह से शादी में खूब रुपया खर्च करते हैं इसी तरह से मुकदमेबाजी में भी रुपया खर्च करते हैं। इसको आप कैसे रोक सकते हैं? मेरा खयाल है कि हम न्याय को यहां के हालात में और सस्ता करते चले जायं तो मुकदमों की तादाद इतनी बढ़ जायगी कि आप किसी हालत में भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और आपको यह अदालतें बन्द करना पड़ जायेंगी।

[श्री सैयद अली जहीर]

तीसरी बात इस सिलसिले में गौर करने की यह है कि कोर्टफीस का भार किसके ऊपर पड़ता है। मैंने माना कि शुरू में मुद्दई को फीस खर्च करना पड़ती है, लेकिन आखिर में उसका भार उस शख्स पर पड़ता है जिसकी गलत जवाबदेही होती है। अगर उसने गलत दावा किया है, तो जो कुछ रुपया कोर्टफीस में लगा है वह अदालत दूसरे फरीक को वह हर्जा दिलाती है और अगर अदालत समझती है कि दावा सही है तो उसका भार मुद्दाअलेह पर पड़ता है जिसने उज्रदारी की और गलत जवाबदेही की। इसलिये कोर्टफीस बढ़ाने का असर किसी पर बेजा नहीं पड़ता और हालात के मातहत उसका बढ़ाना जरूरी था।

इसके अलावा किसी से अदालतों में जाने के लिये कौन कहता है, हम किसी को मजबूर नहीं करते कि वह वहां जाय। लोग अपने छोटे-मोटे मुकदमें पंचायतों में तय करा सकते हैं सर जमीन बरसर जमीन जहां का झगड़ा हो वहीं आपस में बैठकर पंचायतों में तय करा लें और अगर कोई बड़े मामले हों तो वह भी आर्बीट्रेशन के जरिये से या सालसी जिसे कहते हैं उसके द्वारा फैसला कराये जा सकते हैं। जिस किसी मामूली आदमी में दोनों फरीक का विश्वास हो उसको दोनों फरीक आर्बिट्रेटर मुकर्रर करके फैसला ले सकते हैं। कहा गया कि हाईकोर्ट के जजों को सरकार नौकरी कहीं बाद में दे देती है तो उससे करप्शन होता है। मैं कहता हूं कि हाईकोर्ट के जजों से कम से कम पब्लिक इतना ही लाभ उठायें कि आपस में अगर कोई झगड़ा हो तो लोग उसके पास जायं और कहें कि हमारा मामला तय करा दीजिये ताकि कोई कोर्टफीस और कचहरी का खर्च न करना पड़े और मामला तय हो जाय। लेकिन यह सब होते हुये भी हमारे यहां के कुछ ट्रेन्ड्स ऐसे हैं। अभी साउथ के एक चीफ जस्टिस ने कहा था हाल ही में कि आज के हालत में कोर्टफीस को घटाने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हमें देखना होगा कि इस तरह के ट्रेन्ड्स यहां हैं या नहीं। तो जो गवर्नमेंट होती है और जो विधानसभा होती है वह सब हालात देख कर फैसला करती है, ला कमीशन है लेकिन वह कोई हुक्म नहीं चला सकता है वह तो सिर्फ सजेशन्स देता है, वह सब चीजों को गवर्नमेंट से मानने को मजबूर नहीं करता, वह अपनी राय देता है। साहब कोर्टफीस बहुत बढ़ गई है इस वजह से किसी किस्म की तकलीफ हो रही है, मेरे खयाल में बहुत सी बातें उसमें से सही नहीं हैं।

करप्शन और बददयानती के मुताल्लिक कहा गया। मैंने बताया कि जो कमेटी हमने मुकर्रर की थी उसने कहा है अपनी रिपोर्ट में, जिसको मैंने पढ़ दिया था, कि करप्शन से कोई यह सवाल नहीं है कि कुछ अफसर ही महज करप्ट हैं। माननीय सदस्यों ने खुद ही मिसाल दी कि गवाहों का करप्शन कैसे होता है। जो प्रोसीक्यूशन के गवाह होते हैं वे पेश किये जाते हैं लेकिन उनको पैसा दे कर तोड़ा जाता है। और इस किस्म की बातें जिनका कोई ताल्लुक सरकारी अफसरों से नहीं है, उसमें जो करप्शन होता है उसके लिये कौन जिम्मेदार है? सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि सरकारी अफसरों में करप्शन नहीं होना चाहिये तो उसके लिये हम उपाय कर रहे हैं। लेकिन उसके बाहर भी तो करप्शन है। उसके लिये कौन जिम्मेदार? खुद अपने चारों तरफ देखिये कितना करप्शन फैला है। मुल्क की आबोहवा है, कुछ मालूम होता है हमारी कांशेंस इतनी डल हो गई है कि हर शख्स देखता है और देख कर चुप हो जाता है। मेरी खुद मिसाल है। मैंने कभी किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ ऐक्शन लेने की कोशिश की तो मालूम नहीं कितनी सिफारिशें मेरे पास पहुंच गईं कि इसको छोड़ दिया जाय। तो यह सारी इस प्रकार की नाजायज कोशिशें हुआ करती हैं। हाउस में खड़े होकर बहुत उसके खिलाफ कहा जाता है, लेकिन मेरा खयाल है जो लोग स्पीचेज देते हैं अगर वाकई उनकी मंशा हो कि करप्शन खत्म हो तो बहुत कुछ वह खुद कर सकते हैं अपने उस सर्किल में, करप्शन को दूर करने के लिये, जहां उनका असर है। खुद हम अपनी जगह तय कर लें कि करप्शन नहीं करना है तो उसमें काफी कमी हो सकती है। महज इसलिये कि सरकार पर अटैक करने के लिए तो करप्शन पर बहस करना एक अच्छा तरीका है, इससे काम चलने वाला नहीं है। इससे जाहिर तो यही होता है कि मकसद यह नहीं होता कि करप्शन खत्म हो।

एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन का सवाल है । आप लोगों ने कांस्टीट्यूशन का हवाला दिया । मैंने अर्ज किया कि हम हर जिले में कर चुके हैं । अब सवाल यह है एक किस्म का सेपरेशन वह है जो मद्रास और बम्बई में है और दूसरे किस्म का हमारे यहां, बंगाल और बिहार में है । यह नहीं है कि हम कांस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं । हां, यह अलग सवाल है कि जो सेपरेशन कर रहे हैं इसको हम और आप काफी समझें या नाकाफी समझें । आप यह कहें कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का तभी सेपरेशन होगा जब जुडिशियल अफसर या डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट के मातहत कर दिये जायं । बहरहाल, यह एक सवाल अलग है और इसके ऊपर दो रायें हो सकती हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जो हमने कहा है वह ठीक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है । फिर भी किस हालत में होना चाहिये, कब होना चाहिये यह मामला तय करने का है । उसी के सिलसिले में मैंने यह कहा अगर हमारे सूबे की कुछ क्राइम की हालत बेहतर हो तो सोच सकते हैं जो सूरतेहाल है इसको बदल दें और बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट के मातहत कर दें । लेकिन आज तो यह है हमारे यहां की बहुत सी पोलिटिकल पार्टीज बाहर लोगों को भड़काती हैं कानून की शिकनी करने के लिये । पहले ला अबाइड करना तो सिखाइये और खुद आप पाबन्दी करें तब कहें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन की बात । हमारे उग्रसेन जी मालूम नहीं कितनी दफा एडजर्नमेंट मोशन ला रहे हैं कि पहली जून से कानून शिकनी करने वाले हैं । उसकी नोटिस क्यों नहीं लेते....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---वह प्रदर्शन है, आन्दोलन की शुरुआत है ।

श्री अध्यक्ष---वही मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रदर्शन कानून की शिकनी है ।

श्री सैयद अलीजहीर---हमारे साथी लोग और भाई लोग यहां बैठकर कानून बनाते हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो कानून शिकनी के लिये लोगों को आमादा करते हैं और भड़काते हैं और फिर कहते हैं कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी अलग क्यों नहीं करते हो, तो मुझे अचम्भा होता है । एक बात मैं आप लोगों की इत्तला के लिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---इस तरह से नामुनासिब है कि बीच-बीच में बोला जाय ।

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक हिन्दी का ताल्लुक है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अदालतों में हिन्दी रायज हो जाय और नीचे की अदालतों में तो हो गई है, लेकिन हाई कोर्ट के मुताल्लिक भी.....

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, अंग्रेजी में ही लिखते हैं।

श्री सैयद अलीजहीर---इसलिये तजवीज अंग्रेजी में लिखते हैं कि शायद यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाय, लेकिन वहां बहस हिन्दी में हो सकती है । अब हाई कोर्ट ने भी फैसला कर लिया है और हम आभारी हैं कि वह इस बात पर राजी हो गये हैं कि जो फौजदारी के मुकदमे या अपील हैं उनमें अगर कोई वकील हिन्दी में बहस करना चाहेगा तो वे उसको रोकेंगे नहीं, बल्कि इजाजत दे देंगे । मैं यह कहना चाहता था कि यह एक बड़ा कदम है और रफ्ता-रफ्ता हिन्दी का रिवाज जल्द से जल्द हो जायगा ।

अभी यह चीज कही गई कि जिस तरह से मजिस्ट्रेट्स का प्रमोशन होता है तो उनको स्पेशल आलउन्स मिलता है, लेकिन मुंसिफ जब सिविल जजी पर जाता है या उसके अधिकार बढ़ जाते हैं तो उसे कोई स्पेशल पे नहीं मिलती, इसके मुताल्लिक मुझसे भी कई मुंसिफों ने कहा है और सरकार इस पर विचार कर रही है और अगर हम देखेंगे कि इसमें जरूरत है तो हम गौर करेंगे ।

[सैयद अलीजहीर]

इसके बाद १९३९ के फैसले को साइट किया गया और कहा गया कि सरकार जुडीशियल मामलों में बहस करती है। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि वह ३९ के जमाने की बात याद कर लें कि वह क्या जमाना था। वह जमाना ऐसा था जब कि बहुत बड़ा एजीटेशन करीब करीब होने जा रहा था और जिसके हाथ में हुकूमत आई थी वह पार्टी वह थी जिसका काम था कानून शिकनी करना और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जहां तक हो सके उसके खिलाफ जजबा पैदा करें। जब ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आई तो इस किस्म की कोई बात हुई हो तो उसकी नजीर १९६२ में पेश करना मेरे खयाल में कमजोर दलील है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं रह गई तो यह बात कही गई। बहरहाल, न तो सरकार की नीति है और न हम यह चाहते हैं कि किसी मामले में जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का क्लैश हो। एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का अलग-अलग सर्किल और अलग-अलग वर्क है और हम उसकी रेसपेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और हम भी नहीं चाहते हैं कि उनके किसी मामले में हम या हमारा कोई साथी मदालखत करे। यही मुझे अर्ज करना है। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो अनुदान मैंने पेश किया है उसको सदन मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष--माननीय त्रिपाठी जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तावित हुआ है उसको मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १३--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२८,९१,८०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ
३१ मई, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१३ पर)

Allotment of Plots

Plots in the scheme shall be allotted by a Sub-Committee appointed by the High Power Committee, hereinafter referred to as the Allotment Committee. The Allotment Committee may adopt any method of allotment which it considers suitable, provided that there shall be no auction in respect of the leasing of the plots, nor shall tenders be called in regard thereto; and provided further that the method of allotment shall be notified to the applicants by the Board in such manner as the Allotment Committee may decide.

संसद विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १–२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२० पर)

तालिका 'क'

थाना	१९५९				१९६०				१९६१			
	डकैती	कत्ल	चोरी	राहजनी	डकैती	कत्ल	चोरी	राहजनी	डकैती	कत्ल	चोरी	राहजनी
१—कर्वी	..	..	५	५०	..	..	१	४९	२	२	७	५०	१
२—बदौला	..	१	४	२०	..	..	१	२१	१	१	२	१३	..
३—मऊ	..	..	..	१४	..	..	..	२०	..	..	३	२९	..
४—रायपुरा	..	..	..	९	..	..	३	५	..	..	..	२०	१
५—राजापुर	..	..	२	१२	..	..	..	२५	..	..	३	२६	..
६—मानिकपुर	..	..	..	१४	..	..	३	१०	..	२	..	१३	..
७—नरैनी	..	..	२	१३	१	१	१	१८	१	१	४	११	..
८—कालिंजर	..	..	..	६	२	१	..	६	..	..	..	७	१
९—पहाड़ी	..	..	२	१२	..	..	२	११	..	..	४	१२	..
१०—कोतवाली	..	..	१	५८	..	..	३	६९	..	१	५	६६	..
११—अतरा	..	..	..	२०	..	..	४	४८	..	१	..	६१	१
१२—बबेरू	..	..	१	१२	१	..	१	१४	१	२	१	१६	..
१३—कमासिन	..	..	३	१३	..	..	५	१२	..	..	२	१७	..
१४—मार्का	..	..	१	७	..	१	२	७	..	..	५	९	..
१५—मतांध	..	..	४	११	..	..	..	९	..	१	२	१५	..
१६—गिरवां	..	२	३	२०	..	१	..	११	१	२	४	२३	..
१७—पैलानी	..	..	१	१५	..	..	१	१५	१	..	२	१३	..
१८—तिंदवारी	..	..	..	१६	१	..	२	१२	..	..	२	१७	..
१९—बिखेंडा	..	..	३	१३	१	१	५	१४	..	..	६	८	..
योग	..	३	३२	३३५	६	५	३४	३७६	७	१३	५२	४२६	४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका 'ख'

सन्	डकैती				कत्ल				चोरी				राहजनी			
	गिरफ्तार	सजा	रिहा	विचाराधीन न्यायालय	गिरफ्तार	सजा	रिहा	विचाराधीन न्यायालय	गिरफ्तार	सजा	रिहा	विचाराधीन न्यायालय	गिरफ्तार	सजा	रिहा	विचाराधीन न्यायालय
१९५९ ..	२४	५	१९	..	१०७	५	१०१	१	१६५	११४	५१	..	९	४	५	..
१९६० ..	२४	..	१८	६	१२३	३४	८८	१	१४८	९९	४२	७	१५	८	७	..
१९६१ ..	९१	९	४१	४१	१९५	५१	७३	६९	२१३	९८	३३	८२	५	२	३	..

नोट--कोतवाली के मु० इ० नं० १११ धारा ३०२ साल १९६१ के दो अभियुक्तों के विरुद्ध अभी जांच जारी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२१ पर)

प्रतिलिपि कार्यवाही बैठक साधारण सभा सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड, रामकोला पंजाबी दिनांक १२-२-६१

प्रस्ताव सं० १

समिति नियमावली के नियम २८ का निम्न प्रकार संशोधन करना।

प्रत्येक सरकारी नम्बरी ग्राम टोला वा पुरवा जिसमें सदस्यों की संख्या ५० तक सीमित है एक प्रतिनिधि भेजेगें और पचास से अधिक सदस्यों की संख्या वाले ग्राम दो प्रतिनिध भेजेंगे जिस ग्रामों के सदस्यों की संख्या १० से कम है कोई प्रतिनिधि नहीं चुना जायेगा किन्तु ऐसी दशा में ऐसे ग्रामों के सदस्य पास वाले ग्राम में जिसका कि डाइरेक्टरों का बोर्ड निश्चित कर सकता है समिति का कार्य चलाने के लिये और प्रतिनिधि के चुनाव के लिये सम्मिलित होंगे।

सभा आरम्भ होने के पूर्व यह आपत्ति उठाई गई कि प्रतिनिधियों का निर्वाचन वर्तमान नियमावली की धारा २८ के अनुसार नहीं हुआ है क्योंकि कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव टोलो एवं पुरवों द्वारा कर लिए गए है जो कि सरकारी नम्बरी ग्राम नहीं है प्रतिनिधियों का निर्वाचन परम्परा के अनुसार किया गया है। इसलिये यह तय पाया कि नियमावली की धारा १०८ के अनुसार केन कमिश्नर से इसकी व्याख्या करालो जाय। अगर उनके निर्णय में वर्तमान प्रतनिधियों का निर्वाचन उचित तथा वैधानिक हो तो इन्हीं प्रतिनिधियों की दूसरी साधारण सभा बुलाई जाय और यदि अवैधानिक हो तो पुनः नियमानुसार प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराने के बाद साधारण सभा बुलाई जाय। इस निर्णय के लिये आज की सभा की कार्यवाहीं स्थगित की गई। अन्य आये हुये प्रस्ताव अगली बैठक में रखे जायं।

ह० राम मंगल राय
सभापति।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२६ पर)

Main recommendations of the Committee appointed to advise the State Government in the Matter of Revision of Minimum Wages for various Scheduled Employments under the Minimum Wages Act, 1948.

Recommendations—

1. There is no need of revision of minimum rates of wages already fixed for the employment in Lac Manufactory in this State.

2. The minimum rates of wages fixed for other scheduled employments need revision. The proposed revised rates of minimum wages or different scheduled employments are as follows :—

(1) *Rice Mill, Flour Mill and Dall Mills*—Rs. 40 per month or Rs. 1·50 nP. per day for adult workers employed in this employment in the following districts :

Ballia, Ghazipur, Azamgarh, Varanasi, Jaunpur, Sultanpur, Pratapgarh, Allahabad, Rae Bareli, Faizabad, Bara Banki, Bahraich, Gonda, Basti, Gorakhpur, Deoria, Banda, Hamirpur, Jalaun, Jhansi, Naini Tal, Almora, Pauri-Garhwal, Tehri-Garhwal and Dehra Dun.

Rs. 45 per month or Rs. 1.75 nP. per day to an adult worker for the rest of the districts of the State.

(2) *Tobacco (including* bidi *making) manufactory—Bidi making*—Rs. 1.44 nP. per thousand to *bidi* makers.

Rs. 35 p.m. or Rs. 1.35 nP. per day to time raters.

Tobacco Manufactory—Rs. 37.50 nP. per month or Rs. 1.44 nP. per day to adult workers.

(3) *Tea Plantation*—Rs. 37.50 nP. per month or Rs. 1.44 nP. per day to adult workers in the tea gardens of Dehra Dun only. No revision is necessary in case of tea gardens of Almorah and Garhwal. The existing piece rate of pluckers should be so adjusted as to ensure earnings recommended for time raters.

(4) *Oil Mills*—Rs. 45 p.m. or Rs. 1.73 nP. per day to adult workers.

(5) *Local Authorities*—Rs. 30 per month or Rs. 1.15 nP. per day. Employees who are covered by this recommendation will continue to get benefit of existing graded scales fixed by Government from time to time.

(6) *Road construction or maintenace and building operations ; and*

(7) *Stone breaking and stone crushing*—Rs. 45 p.m. or Rs. 1.73 nP. per day for adult workers.

(8) *Public Motor Transport*—Rs. 52 per month or Rs. 2 per day for adult workers.

(9) *Tanneries and Leather Manufactory*—Rs. 45 per month or Rs. 1.73 nP. per day for adult workers.

(10) *Agriculture*—(A-i)—In farms of 100 acres and above—Rs. 37.50 nP. per month or Rs. 1.44 nP. per day for adult workers ; and

(ii) In farms of below 100 acres—Rs. 32.50 nP. per month or Rs. 1.23 nP. per day for adult workers in the following districts of State :

Ballia, Ghazipur, Azamgarh, Varanasi, Jaunpur, Sultanpur, Pratapgarh, Allahabad, Rae Bareli, Faizabad, Bara Banki, Bahraich, Gonda, Basti, Gorakhpur, Deoria, Banda, Hamirpur, Jalaun, Jhansi, Hilly area of district Naini Tal, Pauri-Garhwal, and Drehra Dun and district of Almorah and Tehri-Garhwal.

(B-i) In farms of 100 acres and above—Rs. 45 p.m. or Rs. 1.73 nP. per day for adult workers. and

(ii) In farms of below 100 acres—Rs. 39 p.m. or Rs. 1.50 nP. per day for adult workers in the remaining districts of the State including the remaining areas of District Naini Tal and Pauri-Garhwal not covered by districts under "A" above.

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३४ पर)

तहसील का नाम	रुपया जो कुओं के निर्माणार्थ ऋण के रूप में व्यक्तियों को दिया गया		व्यक्तियों की संख्या जिनको रुपया दिया गया	
	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६०–६१	१९६१–६२
बरेली ..	४८,४५०	८९,४३०	७५	१२०
नवाबगंज ..	५९,२५०	७३,५००	७९	९९
आंवला ..	८७,१९०	५४,५५०	१४४	९४
बहेड़ी ..	७४,४००	१,४०,५००	८५	१७३
फरीदपुर ..	४८,४२०	५७,८००	७४	८९
योग ..	३,१७,७१०	४,१५,७८०	४५७	५७५

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३६ पर)

उन गांव पचायतों की सूची जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिघाड़ा बोने के लिये अनुदान दिया गया :—

क्रम-सं०	नाम गांव पंचायत	गांव पंचायत के कोष में जमा करने की तारीख
१	२	३
	वर्ष १९५९–६०	
१	गौसिंहा	१७–४–६०
२	दुरगोड़वा	..
३	धनखर	..
४	सुलमीपुर	..
५	बेलवा नोहर	..
६	सरैया चौबे	..
७	उज्जैनी जमाल	२३–३–६०
८	पूरे तिवारी	५–३–६०
९	नन्दनगर	३१–३–६०
१०	हनुमतनगर	३१–३–६०
११	जमुनही	३१–३–६०
१२	टैगनहिया	३१–३–६०
१३	गंगापुर बांकी	३१–३–६०
१४	चकवा	३१–३–६०
१५	सेखुइया	३०–४–६०
१६	इमिलिया	३१–३–६०
१७	लुचुइया	३१–३–६०
१८	बहरेकुइयां	३१–३–६०
१९	महादेव मिश्र	३१–३–६०
२०	फरेन्दा	३१–३–६०
२१	ढ़ोढ़ारी	३१–३–६०
२२	बरांव	३१–३–६०
२३	बलरामपुर	२४–२–६०
२४	जड़ारपाकर	२४–२–६०
२५	सोनपुर	२४–२–६०
२६	उदयीपुर	२४–२–६०
२७	शंकरपुर	२४–२–६०
२८	रछौड़ा	२३–२–६०
२९	भवनियापुर	२३–२–६०
३०	बधंवा	२२–२–६०
३१	विशुनीपुर	२२–२–६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम गांव पंचायत	गांव पंचायत के कोष में जमा करने की तारीख
१	२	३
३२	देवरावा	२१–२–६०
३३	लिजवा	१०–३–६०
३४	गौरा तुरकौलिया	१०–३–६०
३५	गनरिया	२२–२–६०
३६	कोइलिया	२२–२–६०
३७	कटिया	२७–२–६०
३८	कांदभारी	२७–२–६०
३९	घुसाह	१९–४–६०
४०	घूघुरपुर	२२–४–६०
४१	कोइलरा	३१–३–६०
	वर्ष १९६०–६१	
१	गोगिया	१९–३–६१
२	मिश्रोलिया	१५–५–६१
३	झिलाही	१५–५–६१
४	अंधियारी	१६–५–६१
५	घुसवा	१६–५–६१
६	दुलहिया कल्यानपुर	१६–६–६१
७	लोहरौली फीरोज	१५–५–६१
८	बक्सरा आज्ञाराम	१२–२–६२
९	रमईपुर पठी	६–८–६१
१०	खेसरी	६–८–६१
११	कुंजलपुर	४–८–६१
१२	भिटोरा	१३–७–६१
१३	गनोरा	१–७–६१
१४	बीरेपुर	१–७–६१
१५	करोहानाथ	२०–७–६१
१६	मछलीगांव	१८–७–६१
१७	कहौवा	४–८–६१
१८	बिद्यानगर	५–८–६१
१९	तुर्काडीहा	५–८–६१
२०	अयाह	३१–३–६१
२१	शीतलगंज गून्ट	१५–१–६२

पी० एस० यू० पी० ए०-पी०—९१ एल० ए०—१९६२—८४५ ।

सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश सरकार